खण्ड-257, अंक-7
बुधवार, 8 वैशाख, शक संवत् 1887
(28 अप्रैल, 1965 ई0)

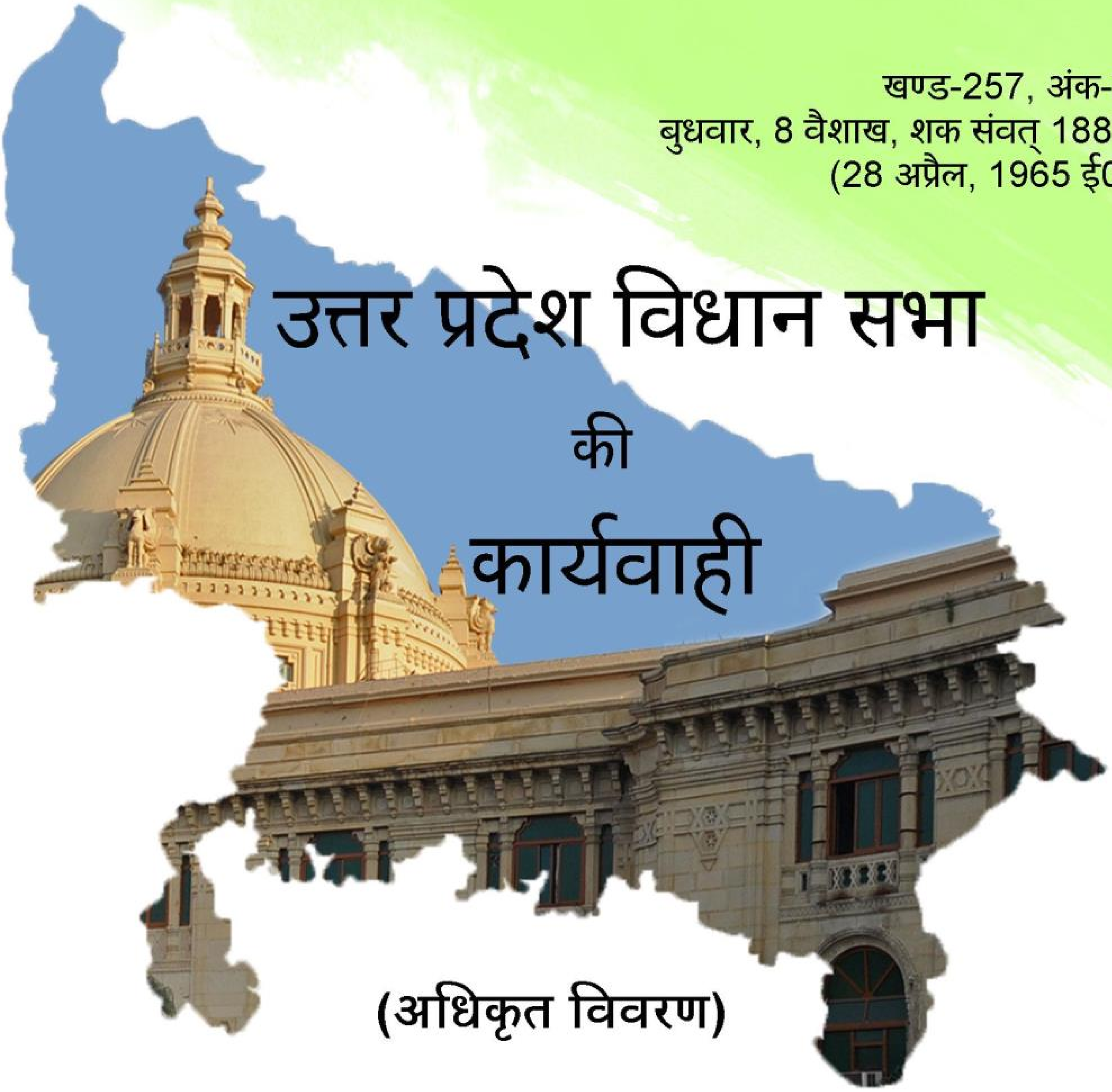

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 257 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | ७५९–७६३ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. | ७६३–७९८ |
| प्रदेश में चीनी सामान की बाजारों में बिक्री पर आपत्ति .. .. | ७९८–७९९ |
| याचिका समिति (१९६४–६५) का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) | ७९९ |
| कृषि उप मंत्री, श्री बलदेवसिंह आर्य के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना .. .. .. .. | ७९९–८०० |
| अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही करने के विषय पर अभिपूर्वित कार्य-स्थगन प्रस्तावों के संबंध में वक्तव्य .. .. | ८००–८०७ |
| नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | ८०८ |
| प्रदेश के विभिन्न जिलों में चेचक के प्रकोप के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य .. .. .. .. | ८०८–८११ |
| टीकाराम गर्ल्स डिग्री कालेज, अलीगढ़ में विद्यार्थियों द्वारा छात्राओं के साथ कथित अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य | ८११–८१२ |
| इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र में कारखानों के लिये उपजाऊ भूमि सरकार द्वारा लिये जाने के संबंध में वक्तव्य .. .. .. .. | ८१३–८१४ |
| राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ के छात्रों को डिप्लोमा न दिये जाने के संबंध में वक्तव्य .. .. .. .. | ८१४–८१६ |
| स्वच्छता निरीक्षकों की आजीविका तथा उससे संबंधित अन्य विषयों का विनियमन बनाने हेतु प्रस्ताव (स्वीकृत) .. .. .. | ८१६–८१९ |
| उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५ (प्रस्ताव कि विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक पर विचार किया जाय—जारी) .. .. | ८२०–८४२ |
| नत्थियां .. .. .. .. | ८४३–८५६ |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २८ अप्रैल, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

## उपस्थित सदस्य—३७१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविंद सहाय, श्री
घनश्याम, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री

पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, खाँ
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कंथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री

रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कन्नौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति, 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
राम समुझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री

संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, गृह उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

---

# प्रश्नोत्तर

---

बुधवार, २८ अप्रैल, १९६५

---

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

### भाग्यनगर तथा सहार ब्लाक में मुर्गी पालने के लिए सहायता

*१—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक भाग्यनगर (इटावा) तथा ब्लाक सहार (इटावा) के अन्तर्गत सन् १९६१, ६२, ६३, ६४ में किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना रुपया मुर्गी पालने के लिए अनुदान या तकावी के रूप में दिया गया है ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

मुर्गी पालन के लिए भाग्य नगर तथा सहार विकास खंडों में प्रसंगगत वर्षों में कोई तकावी नहीं दी गई है। वर्ष १९६१ में भाग्यनगर तथा वर्ष १९६१, ६२ में सहार मे अनुदान भी नहीं दिया गया। इन ब्लाकों में और संबंधित वर्षों में दिए गए अनुदान की सूचियां संलग्न हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८४३–८४४पर)

*२—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या यह सच है कि उनमें से कुछ व्यक्तियों ने इस दलील के साथ की उनकी मुर्गियां रोग से मर गई हैं रुपया माफ करा लिया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं। किसी भी व्यक्ति का रुपया माफ नहीं किया गया है।

*३—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

यदि हां, तो ये कौन-कौन से व्यक्ति हैं तथा उन्होंने कितना-कितना रुपया माफ करा लिया है और क्या रुपये माफ कराने के पहले किसी उच्चाधिकारी ने उसकी जांच की थी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर इस बात की जांच करायेंगे कि जिन-जिन व्यक्तियों को अनुदान दिए गए हैं उन्होंने वास्तव में मुर्गियां पालीं भी या रुपया यों ही हजम कर गए ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जो फेहरिस्त दी गई है उसमें वह देखेंगे कि यह अनुदान है क्या ? बीस-बीस रुपये का अनुदान है। पूरी लिस्ट के अन्दर जो मुर्गियों के लिए मकान बनाने के लिए अनुदान दिया गया है वह दो तीन आदमियों को दिया गया है और बाकी बीस-बीस रुपये का अनुदान है, अब उसमें वह मुर्गियां खा जायं या रुपया खा जायं, इसकी जांच कहां तक करायी जा सकती है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

ढाई-ढाई सौ रुपये का भी अनुदान है और मेरी सूचना यह है कि उन्होंने यह अनुदान लेकर एक भी मुर्गी नहीं पाली है और न कोई मकान उसके लिए बनाये हैं, सारा रुपया उनकी पाकेट में चला गया है, तो क्या मेरी सूचना को आधार मानकर वह फिर से इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राममूर्ति—

यह जैसा कि माननीय सदस्य फरमा रहे हैं इसमें केवल ५ आदमी ऐसे हैं कि जिनको मुर्गियों के लिए मकान बनाने के लिए रुपया दिया गया है और बाकी सबको मुर्गी खरीदने के लिए रुपया दिया गया है तो जब तक कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, यह लिखकर माननीय सदस्य नहीं देंगे तब तक सबकी जांच कराना संभव नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

कृषि विभाग ने जगह-जगह पर केंद्र बनाये है जहां पर अच्छे किस्म के अंडे रखे जाते हैं और उनसे बच्चे निकलवाये जाते हैं और वह उनको बेचे जाते हैं जो मुर्गी पालने का काम अपने हाथों में लेते हैं, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन लोगों ने जिनको बीस-बीस, पचास-पचास या ढाई-ढाई सौ रुपया अनुदान दिया गया, इन जगहों से बच्चे खरीदे या नहीं और नहीं तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

यह जो सवाल पूछा गया है इसका स्कोप दूसरा है। इतना डिटेल यहां पर इस वक्त नहीं दिया जा सकता है ?

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

जिन लोगों ने मुर्गी पालने के लिए रुपया लिया उनके पास मंत्री जी बतायेंगे कि कितनी-कितनी मुर्गियां हैं और कितने-कितने बच्चे हैं उन मुर्गियों के ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

जो अनुदान दिया जाता है वह नकद दिया जाता है या मैटीरियल दिया जाता है जैसे हाउस बनाना हुआ उसके लिए या खाद्य पदार्थ जो मुर्गियों को दिए जाते हैं वह उन मुर्गियों को असल में देते भी हैं या वह बाजार में बिक जाता है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह तो मुर्गी खरीदने के लिए रुपया हम उनको देते हैं और वह उससे मुर्गी ले-लेते हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि पांच व्यक्तियों को ढाई-ढाई सौ रुपया मुर्गियों के लिए मकान बनाने के लिए दिया गया, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों ने मुर्गियों के लिए मकान बना लिया है, इसकी जांच आपने करा ली है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार उन्होंने बना ही रखा है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मुर्गियों के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसके साथ-साथ क्या यह भी है कि मुर्गियों में जब बीमारी फैले तो वेटरनरी डाक्टर को सूचना देने पर वहां जाय और उनको इन्जेक्शन लगायें?

श्री बंशीधर पांडेय—

जब मुर्गियों में इस प्रकार की बीमारी आती है, तो उनको टीका देते हैं ।

## नर्सिंग असिस्टेंट एसोसिएशन की मांगें

*४—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जन स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश के नर्सिंग असिस्टेंन्ट्स् एसोसियेशन की तरफ से १० दिसम्बर, १९५९ को एक पत्र डायरेक्टर जन-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

जी हां ।

*५—श्री बृजबिहारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक उन मांगों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उनकी ८ मांगों में से ४ मांगें सरकार द्वारा अस्वीकार कर दी गई हैं तथा १ मांग सरकार के तथा एक मांग वेतन अभिनवीकरण समिति के विचाराधीन है । शेष दो मांगें सरकार को (conditionally) कुछ शर्तों पर मान्य हैं ।

श्री बृजबिहारी—

वे कौन-कौन सी मांगें हैं, जिन्हें सरकार ने अस्वीकार कर दिया है और क्यों अस्वीकार किया है ? क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उनकी सैनिक सेवा की गणना सिविल में की जाय, एक तो मांग यह थी। इसको अस्वीकार कर दिया गया है। दूसरे इन कर्मचारियों को स्वास्थ्य शिक्षा एवं टीका लगाने का प्रशिक्षण दिया जाय, इसे अस्वीकार कर दिया। यूनिफार्म उनके लिये निर्धारित किया जाय और उसका प्राविधान किया जाय, इसे अस्वीकार किया और मेडिकल फैक्लटी में उनके व्यवसाय को रजिस्टर और रेगुलेट करने का कार्य सौंपा जाय, इसे अस्वीकार कर दिया।

श्री बृजबिहारी—

मैंने प्रश्न किया था कि क्यों अस्वीकार किया गया, इसका उत्तर दें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अब अगर उनके लिये यूनिफार्म दी जाय, तो बाकी इसी वर्ग के कितने ही कर्मचारी और भी हैं, जिनके सम्बन्ध में सोचना पड़ेगा और इसलिये अभी हम तैयार नहीं हैं। उसी तरह से जो इनकी सैनिक सेवा है, वह सिविल में जोड़ने योग्य नहीं है क्योंकि प्रदेशीय सरकार की सेवा तो जोड़ी जा सकती है लेकिन सैनिक सेवा को किसी जगह पर नहीं जोड़ते हैं। इसी तरह से जहां तक प्रशिक्षण की बात है ये लोग केवल दर्जा आठ तक पास हैं, इनको कोई हायर प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। जितना प्रशिक्षण उनको दिया गया, उतना पर्याप्त है। सैनिक सेवा के समय भी इनके कार्य के लिये पर्याप्त समझा जाता है। और इनके लिये अलग फैकल्टी बनाने की भी बात इसलिये आवश्यक नहीं समझी गयी।

श्री बृजबिहारी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वे कौन-कौन सी मांगें हैं, जो वेतन अभिनवीकरण समिति के विचाराधीन हैं और उन पर कब तक निर्णय हो जाने की आशा की जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वेतन अभिनवीकरण का जो टर्म है, उसी के अन्दर उनको कुछ विचार करना है। बाकी उनका वेतन-क्रम संशोधित कर दिया जाय तथा ४०—२—५०—ई० बी०—३—६५ के बजाय ४५—२—६५—ई० बी०—३—८०—४—१०० कर दिया जाय, यह मांग भी वेतन अभिनवीकरण समिति के सुपुर्द कर दी गई है।

श्री बृजबिहारी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे, कि जिन मांगों को सरकार ने स्वीकार किया है उनमें शर्तें क्या लगाई गई हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उनको इस समय ट्रांसफर रेट पर यात्रा भत्ता दिया जाय जब वे जिला मुख्यालय को छोड़कर इंटीरियर में मेडीकल रिलीफ या इनाकुलेशन पोस्ट पर नियुक्त हों। अब इस में शर्त यह है कि ३ महीने से अधिक होते हैं, तो उनको ट्रांसफर रेट पर दिया जाता है, नहीं तो साधारण रेट पर दिया जाता है। इसी तरह से जहां पर नर्सिंग असिस्टेंट जब स्वतंत्र रूप से जिले के इंटीरियर में काम करते हैं, तो उन्हें ट्रांसपोर्ट कुली अपीडेमिक मजदूर की सुविधा दी जाती है तथा जहां कार्य का भार होता है, उस भार को तथा आवश्यकता को देखते हुये स्वीकार किया जाता है।

[२८ अप्रैल, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## तालबेहट ब्लाक में भ्रष्टाचार

*१—श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ताल बेहट (जिला झांसी) ब्लाक में फैले व्यापक भ्रष्टाचार के विरुद्ध झांसी जिलाधीश तथा अन्य अधिकारियों के पास गत जनवरी मास, १९६४ में शिकायतें की गई थी तथा गत जनवरी में विरोध स्वरूप एक व्यक्ति ने तालबेहट में भूख हड़ताल की थी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां। शिकायतें अप्रैल व अक्तूबर १९६४ में प्राप्त हुई थीं। भूख हड़ताल जून, १९६४ और जनवरी, १९६५ में हुई थी।

*२—श्री कृष्णचन्द—

क्या उक्त आरोपों की जांच जिलाधीश अथवा उप जिलाधीश, ललितपुर ने की थी ? यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उक्त आरोपों की जांच परगनाधिकारी, ललितपुर तथा जिलाधीश, झांसी द्वारा कराई गई। जांच द्वारा यह पता चला कि अनुदान के लिये स्वीकृत धनराशि का दुरुपयोग हुआ जिसके लिये ब्लाक प्रमुख तथा खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी पाये गये। उक्त जांच के फलस्वरूप खंड विकास अधिकारी को सजा देने के लिये आवश्यक आदेश जा चुके हैं तथा ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अनुदान की धनराशि वसूल करने की उचित कार्यवाही करने के लिये जिलाधीश, झांसी को लिखा गया है।

श्री कृष्णचन्द—

मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे आरोप क्या थे, जिनके सम्बन्ध में जांच कराई गई और जिसके लिये दो बार भूख हड़ताल हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह तो ११–१२ प्वाइंट हैं, अगर आप आज्ञा दें, तो मैं पढ़ दूं। प्रश्न १ यह है कि ५७ से लेकर ६४ तक कुंआ निर्माण तथा बैल के लिये कितना अनुदान किन-किन आदमियों को दिया गया, उनकी हैसियत, नाम, वल्दियत क्या है तथा किस जाति के हैं ? दूसरा यह है कि सन् ५७से ६४ तक बगीचा निर्माण के लिये किन-किन आदमियों को दिया गया उनकी हैसियत, वलदियत और जाति क्या है तथा कहां के रहने वाले हैं ? तीसरा यह है कि ५७ से लेकर ६४ तक पाठशाला एवं रोड निर्माण के लिये कितना अनुदान किन-किन आदमियों को दिया गया, उनकी जाति, वलदियत और हैं सियत क्या है।

श्री अध्यक्ष—

यह आप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह आरोप पढ़ रहा हूं।

श्री कृष्णचन्द—

श्रीमन्, मैंने यह पूछा था कि वह आरोप जिनकी जांच की गई जिलाधीश और उप जिलाधीश द्वारा वह क्या थे और वे आरोप क्या थे, जो सही पाये गये ? जो सही पाये गये उनकी तालिका चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आरोप जो लगाये गये और जो सही पाये गये वह आप बतावें ।

श्री राममूर्ति---

जैसा आपने कहा, पहले आरोपों की लिस्ट सुनाई जा रही है, उसके बाद वह लिस्ट सुना देंगे कि किस-किस आदमी के बारे में क्या हुआ । कौन लोग हैं, आप कहें तो पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष---

यह नहीं पढ़ी जायगी, बहुत लम्बी है ।

श्री कृष्णचन्द---

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आरोप लगाये गये हैं, अगर लम्बी लिस्ट है, तो सबको न पढ़ जो कर मुख्य आरोप लगाये गये और जिनकी जांच जिलाधीश और उप जिलाधीश ने की तथा सही पाये गये, भ्रष्टाचार के, गबन के और मिस-अप्रोप्रियेशन के उन्हीं को बता दें ।

श्री अध्यक्ष---

पहले यह बता दीजिये कि कौन से आरोप सिद्ध हुये---

श्री बंशीधर पांडेय---

जो रिपोर्ट जिलाधीश ने की है उसमें कुछ मामलों का बहुत स्पेस्फिक उन्होंने नहीं कहा कि यह दुरुपयोग हुआ है । नियमतः एक तो यह कुंआ का था जो नाथूराम ने बनाया और जो ब्लाक प्रमुख थे, उनके दरवाजे के सामने हैं । उन्होंने उसमें अपना परशियन वील लगा लिया । अब वह कहते हैं कि पब्लिक कुआं था, परशियन वील क्यों लगा लिया । जिलाधीश ने आदेश दिया है कि उसे हटा लें । दूसरा उनका आरोप था बाग लगाने का । तो उसको उन्होंने देखा है बाग के लिये नहीं है, तो उसके लिये आवश्यक कार्यवाही के लिये लिख दिया गया है और अगर पेड़ नहीं है, तो कार्यवाही होगी । तीसरे यह है कि एक कुआं शाह इंटरमीडिएट कालेज के सामने बना है और कहते हैं कि वहां पर हैबीटेशन नहीं है और वहां पर कालेज जल्दी ही शिफ्ट होने वाला है क्योंकि उसके सामने पुलिस स्टेशन और ब्लाक हैं, दोनों के अपने कुयें हैं, इसलिये वह कुआं बेकार है । लेकिन कलेक्टर ने कहा कि वह अनजस्टीफाइड नहीं था, चूंकि कालेजम हजार-पांच सौ लड़के पढ़ते हैं, इसलिये वहां बनाने में कोई हर्ज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

आपने जो उत्तर में कहा है कि कुछ अनुदानों का दुरुपयोग हुआ है, जिसके फलस्वरूप कार्यवाही की गई है, तो किस अनुदान का दुरुपयोग हुआ है, वह बता दें ।

श्री बंशीधर पांडेय---

वही बता रहा हूं कि कलेक्टर ने उनसे कहा कि उनको अपना परशियन वील नहीं लगाना चाहिये और उनको परशियन वील हटाने का आर्डर दे दिया है । एक हजार रुपया गांव समाज की ओर से दिया गया था, एक रोड बनाने की बात चली, रोड उन्होंने बनाई है । कलेक्टर ने कहा, इसको उन्हें नहीं लेना चाहिये .....

श्री अध्यक्ष---

यह बहुत लम्बी है और कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूछिये ।

श्री कृष्णचन्द---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बी० डी० ओ० के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है, क्या सजा की कार्यवाही की जा रही है और ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

ब्लाक प्रमुख के खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिये, उसके किये जाने के लिये कमिश्नर को लिख दिया गया है। बी० डी० ओ० के खिलाफ मामले की सीरियसनेस के अनुसार उसके करेक्टर रोल में ऐंट्री करने के लिये लिख दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम द्वारा प्रदेशीय सरकार ने ब्लाक प्रमुखों को यह अधिकार दिया है कि वे जिला परिषदों के पदेन सदस्य होंगे। ऐसी हालत में अगर वह किसी प्रकार से सरकारी अनुदान का दुरुपयोग करता है तो सरकार को यह अधिकार है कि वह उसको वहां से हटा दे। फिर सरकार ने उस अधिकार का उपयोग क्यों नहीं किया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह सही है कि क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम के अन्तर्गत प्रमुख जिला परिषद् का सदस्य पदेन होता है। लेकिन जो दोषारोपण किया गया है उसके लिये प्रस्क्राइब्ड अथोरिटी कमिश्नर है, क्योंकि ब्लाक प्रमुख की हैसियत से उसने मेलाफाइडी कार्य किया है, इसलिये उचित कार्यवाही करने के लिये कमिश्नर को ही सरकार ने लिखा है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिस व्यक्ति ने भूखहड़ताल की और जिसके बाद सरकार ने ऐक्शन लिया तो जब उसने कई पत्र सरकार को लिखे और हजारों पर्चे निकाले तब कोई ऐक्शन क्यों नहीं लिया गया था ?

श्री राममूर्ति—

उन्होंने जो शिकायतें कीं वे (१) नन्दा जी को, (२) लखनऊ कमिश्नर को, (३) झांसी के जिलाधीश को, (४) डी० पी० ओ० झांसी को, (५) ललितपुर के जिलाधीश को, (६) माननीय सदस्य को, (७) हिन्द कार्यालय को कीं। इसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल की। लेकिन जब उनको बतलाया गया कि उसकी जांच हो रही है, उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दी।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि नाथूराम के घर के पास के कुवें में परशियन व्हील लगा लिया गया। इस प्रकार से नियमों की अवहेलना हुई। लेकिन उत्तर में कहा गया है कि कमिश्नर को कार्यवाही करने के लिये लिख दिया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम की धारा १६(३) के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश क्यों नहीं दिया गया ?

श्री राममूर्ति—

जब हमारे यहां यह रिपोर्ट आयी और हमारे दफ्तर ने देखा कि यह अनियमितता हुई है तो कमिश्नर को लिखा गया कि कानून के अनुसार जो भी कार्यवाही की जा सकती है, वह की जाय।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जिला परिषद् के इंजीनियर जो इस ब्लाक में कार्य करते थे, उन्होंने रिपोर्ट की थी कि यहां पर बी० डी० ओ० और ब्लाक प्रमुख मिल कर रुपये का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसी कारण उन्हें पदमुक्त कर दिया गया। बाद में जब हाईकोर्ट में रिट दायर की गयी तो दुबारा नियुक्त किया गया। क्या सरकार इस बारे में भी दुबारा जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--

माननीय सदस्य ने जिस चीज का जिक्र किया है उसका एक लफ्ज भी हमारी रिपोर्ट में नहीं था ।

श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)--

जिस बी० डी० ओ० का ट्रांसफर कर दिया गया है, क्या वह चला गया, या अभी वहीं है ?

श्री राममूर्ति--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

## मैनपुरी जिले में ए० डी० ओ० (सी०)

*३--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के विकास खंडों में ऐसे ए० डी० ओ० सी० कुल कितने हैं जिनको एक ही स्थान पर लगातार रहते हुये तीन साल से अधिक हो चुके हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

मैनपुरी जिले के विकास खंड में केवल एक ए० डी० ओ० (सी) एक ही स्थान पर ३ वर्ष से अधिक समय से है ।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या जिन ए० डी० ओ० सी० को तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं, उनको हटा दिया गया है ?

श्री राममूर्ति--

साधारणतः नियम यह है कि एक स्थान पर ३ से ५ साल तक कोई रह सकेगा और एक जिले में ६ साल तक रह सकेगा । यदि किसी के विरुद्ध कोई शिकायत हुई तो प्रशासनिक रूप ले स्थानान्तरण किया जा सकता है ?

*४--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--

[हटा दिया गया ।]

## देवरिया जिले में सिनेटरी इन्स्पेक्टर

*५--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायगी कि देवरिया जिला में कितने ऐसे सेनेटरी इंस्पेक्टर हैं जो तीन साल से अधिक से एक स्थान पर नियुक्त हैं और कहां-कहां कौन-कौन नियुक्त हैं ? उनमें से कितनों के विरुद्ध मंत्री को शिकायतें मिली हैं जिलाधीश, स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री को शिकायतें मिली हैं और शिकायतों के बावजूद ऐसे इंस्पेक्टरों का तबादला न करने का कारण क्या है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)--

सुचना एकत्रित की जा रही है ।

*६-७--श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)--

[वापस लिये गये ।]

## लघु सिंचाई योजनान्तर्गत ऋण

*८—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लघु सिंचाई योजना के अधीन सरकार द्वारा दिये जाने वाले कर्ज सीधे किसानों को न दे कर केन यूनियन के माध्यम से दिया जाता है। और सरकार यूनियनों से साढ़े तीन प्रतिशत सूद लेती है और यूनियनें किसानों से सवा छः प्रतिशत सूद लेती हैं? यदि हां, तो सूद में इतना भारी अन्तर क्यों रखा गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ना समिति के माध्यम से अपने सदस्यों को नियमानुसार दिया जाता है। सरकार यूनियनों से साढ़े चार प्रतिशत ब्याज लेती है न कि साढ़े तीन प्रतिशत। इस प्रकार दोनों में केवल सवा प्रतिशत का ही अन्तर है जिसे भारी नहीं कहा जा सकता है।

*९—श्री भीखालाल—

क्या यह सही है कि जिस किसान को लघु सिंचाई योजना के अधीन कर्जा देना मंजूर होता है उसको उसी दिन से सूद देना पड़ता है जिस दिन से रुपया सरकार द्वारा यूनियन को दे दिया जाता है जब कि यूनियन काफी समय बाद किसान को किस्तों में भुगतान करती है और इस प्रकार किसान को उस अवधि का भी सूद देना पड़ता है जिस अवधि में पैसा उसको प्राप्त नहीं होता है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं,सदस्यों से समिति द्वारा केवल उस दिन से ब्याज लिया जाता है जिस दिन से उन्हें रुपया दिया जाता है। रुपये का भुगतान नकद या उसके खातों में जमा करके किया जाता है। धन का दुरुपयोग रोकने के लिये खातों में जमा ऋण सिंचाई के साधनों के निर्माण की प्रगति के अनुसार किस्तों में भी किया जाता है।

श्री भीखालाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार इसमें क्या कठिनाई महसूस करती है कि किसानों को उसके द्वारा सीधा कर्ज दिया जाय, ताकि उनको कम सूद देना पड़े ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन् ,गन्ना यूनियन अपने मेम्बरों को बहुत सी सहूलियत प्रदान करती हैं और उन्हीं के द्वारा यह कर्ज भी दिया जाता है। इसलिये यही उचित होगा कि वही अपने मेम्बरों को कर्ज बांटे।

## सहकारी निरीक्षक

*१०—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत १९५१–६४ तक प्रतिवर्ष कितने सहकारी निरीक्षक (द्वितीय श्रेणी) के पद स्थायी स्वीकृत किये गये तथा उक्त पदों पर कितने सहकारी निरीक्षक (द्वितीय श्रेणी) १९५१–१९६४ के प्रति वर्ष स्थायी किये गये ?

*११—क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी निरीक्षक (द्वितीय श्रेणी) के कितने स्थायी पद १९५१–६४ तक रिक्त हैं और क्यों ?

श्री बनारसीदास—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१२—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)

[१० वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

## फैजाबाद जिले में कोआपरेटिव सुपरवाइजर व सरपंचों द्वारा गबन

*१३—श्री सुखरामदास (जिरा फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगीं कि सन् १९६४–६५ में जिला फैजाबाद के कुछ कोआपरेटिव सुपरवाइजरों के खिलाफ गबन की रिपोर्ट आई है ? यदि हां, तो किस-किस के खिलाफ और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

*१४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद अन्तर्गत तहसील टांडा में टांडा मार्केटिंग यूनियन में जनवरी, १९६५ में कोआपरेटिव सुपरवाइजर व सरपंच के खिलाफ गबन की शिकायत मिली हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बनारसीदास—

गबन की कोई शिकायत नहीं मिली है बल्कि विभागीय जांच के परिणामस्वरूप दो सुपरवाइजर, श्री हरिहर प्रसाद तथा श्री विश्वनाथ प्रसाद और श्री मुहम्मद सुलेमान सरपंच के विरुद्ध गबन के मामले की रिपोर्ट पुलिस में ३–३–६५ को दर्ज करा दी गई है और विभागीय अनुशासन की कार्यवाही भी की जा रही है । श्री हरिहर प्रसाद और श्री मुहम्मद सुलेमान सरपंच द्वारा किये गये कथित गबन का मामला टांडा मार्केटिंग यूनियन से संबंधित है और श्री विश्वनाथ प्रसाद का मामला महमूदपुर सहकारी संघ से संबंधित है ।

श्री सुखरामदास—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस सुपरवाइजर के खिलाफ गबन की शिकायत हुई है उसको इसके पहले इनाम भी दिया जा चुका है ? यदि हां, तो वह इनाम किसकी सिफारिश पर दिया गया था ?

श्री बनारसीदास—

इनाम दिया गया होगा तो उसके कोई अच्छा काम किया होगा, उसके सिलसिले में दिया गया होगा ।

श्री सुखरामदास—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह गबन कितने रुपये का है ?

श्री बनारसीदास—

शिकायत मिलने के बाद जो जांच की गयी उसमें दोनों सरपंचों के खिलाफ १२,६९८ रुपये का गबन है ।

श्री सुखरामदास—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि पुलिस में रिपोर्ट की गयी है तो क्या विभाग और पुलिस दोनों कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—

सरपंचों के खिलाफ १२,६९८ रुपया का गबन है, और ७,००० रुपये का गबन सुपरवाइजर का बताया जाता है । ३–३–६५ को ही यह मामला पुलिस को सुपुर्द किया गया और उसके साथ ही जिल के अन्दर जो समिति होती है उसको भी यह मामला सुपुर्द किया गया ।

श्री सुखरामदास—

क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

श्री बनारसीदास—

३ मार्च को ही पुलिस में रिपोर्ट की गयी । पुलिस अभी जांच कर रही है, उसके बाद कार्यवाही होगी।

श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस सुपरवाइजर के खिलाफ यह गम्भीर आरोप है वह अभी तक मुअत्तल हुआ या नहीं ?

श्री बनारसीदास—

जब तक कि यह मामला अनुशासन समिति के सुपुर्द न किया जाय कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, पहले जिले में सोसाइटी ऐक्शन कमेटी ने किया और बाद को इसके सुपुर्द किया गया है ।

श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब आप स्वयं कह रहे हैं कि एक ने सात हजार और दूसरे सरपंच ने १२ हजार रुपये का गबन किया है तो आप उस की जांच क्या करायेंगे, इस हालत में उसको हटाया क्यों नहीं गया, ससपेंड क्यों नहीं किया गया ?

श्री बनारसीदास—

नियमानुसार उसको पुलिस के सुपुर्द किया गया है, जब कैश बुक में देखा गया तो मालूम हुआ कि उन्होंने कैश बुक से वह रुपया निकाल लिया था और दूसरी जगह देखा गया, पहले तो उन्होंने कागजात नहीं दिये, उसके बाद कई बार कोशिश की गई उससे शुबहा हुआ कि गबन तो नहीं है, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई है और ससपेंड की कार्यवाही जब तक लोकल कमेटी कुछ न करे तब तक नहीं हो सकती ।

श्री ऊदल—

इस बात को देखते हुए कि किसी की शिकायत नहीं थी, विभागीय जांच में दोनों गबन पकड़े गये और पुलिस को रिपोर्ट भी की गई तो उन को ससपेंड न करने का कारण क्या है ?

श्री बनारसीदास—

इसके लिये कमेटी के सामने मामला जाना जरूरी है क्योंकि जो व्यक्ति अप्वाइंटिंग अथारिटी होता है वही ससपेंड कर सकता है, यह लोग सहकारी यूनियन के कर्मचारी होते हैं और बैंकों के अधीन काम करते हैं और बैंकों की अनुशासन समिति होती है वही उनके खिलाफ काम कर सकती है, चुनाव बाद में हुआ मार्च में सुपुर्द किया तो जांच के बाद हम अवश्य कार्यवाही करेंगे लेकिन जब ए०आर० ने देखा कि प्राइमाफेसी केस ठीक है तो पुलिस के सुपुर्द कर दिया और वह जांच कर रही है । उसी के आधार पर कार्यवाही होगी, इस तरह हमने दोहरी कार्यवाही की है ।

श्री सुखरामदास—

मंत्री जी ने बताया कि पहले अच्छा काम किया होगा तभी इनाम दिया गया तो क्या मंत्री जी को मालूम है कि विभागीय कर्मचारियों को अधिकारी जानते हैं कि वह काम नहीं करते लेकिन फिर भी सिफारिश करके उनको इनाम दिलाते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

## जिला अस्पताल, बुलन्दशहर में निर्माण की आवश्यकता

*१५—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर के राजकीय चिकित्सालय में १० हार्स पावर का ट्यूबवेल, शौचालय (फ्लश) स्नान के स्थान का अभाव है, बनाने की व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां, इनका अभाव है ।

आशा की जाती है कि ये निर्माण कार्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में लिये जा सकेंगे ।

*१६—श्री जसरामसिंह—

इस संबंध में मैंने एक पत्र लिखा था, उस पर क्या कार्यवाही की गई, बताने की कृपा की जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कथित पत्र में जहां तक राजकीय जिला अस्पताल, बुलंदशहर में फ्लश शौचालय, स्नान गृह तथा नये ट्यूब वेल बनाने का उल्लेख है, उसकी स्थिति ऊपर बताई जा चुकी है । जहां तक उक्त अस्पताल में नरसों की संख्या में बृद्धि का सुझाव है, उस पर निदेशक द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जसरामसिंह—

श्रीमन्, जब मेरा लड़का बीमार हुआ तो मुझे इस अस्पताल में रहने का जहां मरीज रहते हैं, मौका हुआ और इस संबंध में मैंने मंत्री जी को भी लिखा कि वहां उसके दस गज पर लोग शौच आदि करते हैं, बदबू आती है तो क्या मंत्री जी जल्द ही वहां शौचालय का प्रबन्ध कराने की कृपा करेंगे ताकि वह अगले साल तक बन जायं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चौथी पंचवर्षीय योजना अगले ही वित्तीय वर्ष में आरम्भ होगी और हम इस बात की कोशिश करेंगे कि उसके आरम्भ में ही बनवा दें ।

श्री जसरामसिंह—

पानी का जो अभाव है उसके लिये भी वहां पर दो-एक हैन्ड पाइप लगवाने की कृपा करेंगे जिससे वहां की तकलीफ दूर हो सके ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना—

इसको भी देख लेंगे ।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही बुलन्दशहर के राजकीय चिकित्सालय में जो कमी है, उनको पूरा करवा देंगें तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसी प्रकार की और जगह जैसे बलिया आदि में भी जो कमियां हैं, क्या आप इस प्रकार का कोई विवरण तैयार करायेंगे कि कहां-कहां पर इस प्रकार की कमियां है, और उनको भी चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरा करवाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जहां-जहां पर कमियां होती हैं हमारे विभाग द्वारा रिपोर्ट बनायी जाती है, पर यदि माननीय सदस्य का किसी स्थान के लिये कोई सुझाव हो तो उसे भी देख लेंगे ।

श्री जसरामसिंह--

एक माह व्यतीत हुआ जब कि यह पत्र मैंने विभाग को भेजा था लेकिन विभाग की ओर से मुझे कोई उत्तर नहीं दिया गया । तो क्या माननीय मंत्री जी विभाग को इस प्रकार के आदेश देने की कृपा करेंगे कि जब कोई माननीय सदस्य उन्हें पत्र लिखें तो कम से कम उत्तर दे दें ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

## जिला बुलन्दशहर में सहकारी बीज गोदाम

*१७--श्री जसरामसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिला बुलन्दशहर में सहकारी बीज गोदाम कहां-कहां पर हैं और उनमें कौन-कौन सुपरवाइजर कब-कब से काम कर रहे हैं, किनके प्रति क्या-क्या शिकायतें है, इन सुपरवाइजरों में दलित वर्ग के कितने सुपरवाइजर हैं ?

श्री बनारसीदास--

जिला बुलन्दशहर के सहकारी बीज गोदाम व उन पर काम करने वाले सुपरवाइजरों के बारे में एक विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है । उन सुपरवाइजरों में से किसी के विरुद्ध कोई शिकायत विभाग में आई हुई प्रतीत नहीं होती । इन सुपरवाइजरों में कोई दलित वर्ग का नहीं ह ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८४५-८४६ पर)

श्री जसरामसिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना आश्वासन चाहता हूं कि क्या वे अपने विभाग में १८ प्रतिशत हरिजनों का कोटा पूरा करने की कृपा करेंगे, सारे प्रदेश में ?

श्री बनारसीदास--

यह सरकारी नौकरी तो नहीं है जिनके लिये हम मजबूर कर सकें लेकिन फिर भी प्रयास अवश्य किया जायगा ।

श्री लखीसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सुपरवाइजर तो दलित जाति के नहीं हैं, लेकिन बुलन्दशहर में आपके विभाग में सुपरवाइजरों के अतिरिक्त दलित अथवा अछत जाति के और कितने कर्मचारी हैं ?

श्री बनारसीदास--

अब इसका उत्तर तो मैंने दे दिया है । माननीय सदस्य यह समझते हैं कि जैसे सारी की सारी डिक्शनरी उनके पास है मेरे पास भी होगी, वह मेरे पास तो नहीं है ।

*१८-१९--श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

[हटा दिये गये ।]

## सैनेटरी इन्स्पेक्टरों के कैडर का एकीकरण

*२०--सर्व श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद) आदि--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् के सैनेटरी इंसपेक्टरों को जिनकी सेवायें विकास खंड में ले लेने की योजना है, वह कब तक कार्यान्वित की जायेगी ? क्या सरकार उक्त योजना की रूप-रेखा की एक प्रति को मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जिला परिषद् के सेनेटरी इन्सपेक्टर को नियोजन विभाग में लेने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है जिस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

*२१--सर्व श्री सत्यनारायण पांडेय आदि--

प्राइमरी हेल्थ यूनिट तथा ब्लाक्स में जो सैनेटरी इंसपेक्टर ८/१० वर्ष से कार्य कर रहे हैं उनको अब तक स्थायी न करने का क्या कारण है जब कि उन्हीं स्तर के तथा उनसे कम सेवाओं वाले अधिकांश सहायक विकास अधिकारियों को स्थायी किया जा चुका है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

स्वास्थ्य विभाग तथा नियोजन विभाग के सैनेटरी इन्सपेक्टरों के कैडर (Cadre) के एकीकरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है जिस पर निर्णय के पश्चात् संबधित कर्मचारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही की जायगी ।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मसला विचाराधीन है उस पर कब तक निर्णय हो जायगा, क्योंकि कर्मचारी सस्पेंस में कब तक पड़े रहेंगे ?

श्री राममूर्ति--

ये बड़े कम्पलीकेटेड मैटर्स हैं । फाइनेंस विभाग से विचार विमर्श होता है । टाइम बताना मुश्किल है, लेकिन सरकार गौर कर रही है और इसके बारे में जल्द ही कोई न कोई फैसला जरूर हो जायगा ।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि ये बड़े कम्पलीकेटेड मामले हैं, तो क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि इनकी भी कोई सीमा होनी चाहिये ? मैं केवल जानना चाहता हूं कि यह मामला कब से सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

यह तब से विचाराधीन है जब से क्षेत्र समिति जिला परिषद् ऐक्ट आया और जब से प्रथम प्रक्रम में जो ब्लाक्स होते हैं उनके द्वितीय प्रक्रम में जाने पर इन सैनेटरी इन्सपेक्टर की सेवायें स्वास्थ्य विभाग को चली जाती हैं ।

## हैदरगढ़--सुबहा सड़क

*२२--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या यह बात सही है कि वन विभाग की ओर से हैदरगढ़ से सुबेहा, जिला बाराबंकी की सड़क को मैनपावर स्कीम के अन्तर्गत चौथी योजना में पक्की बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार को हाल में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब और क्या ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

जी नहीं ।

*२३--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क को पक्का बनाने के लिये विभाग की ओर से कितनी लम्बी सड़क की योजना है और इसे पक्की बनाने में कितना धन व्यय किया जायगा ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

इस बात को देखते हुए कि हैदरगढ़ से सुबेहा जो सड़क जाती है इस सड़क के किनारे वन विभाग के कई काम चल रहे हैं और स्थानीय अधिकारियों ने सरकार को यह लिखा है कि वन विभाग के कार्यों की सुविधा के लिये रूरल मैन पावर स्कीम में इस सड़क को सम्मिलित कर लिया जाय और तृतीय चरण में इस सड़क पर ऐसा ज्ञात हुआ है कि साढ़े ३ लाख रुपये का एक एस्टीमेट बनाया गया था तो क्या सरकार आगे इस सड़क को प्राथमिकता देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

सरकार के यह विचाराधीन है और सरकार की सहानुभूति भी है लेकिन गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से यह योजना मंजूर नहीं हुई है । तृतीय चरण में पहले इमरजेंसी की वजह से नहीं हुई । दोबारा लिखा गया । फिर भी मंजूर नहीं की गयी और अब कहना मुश्किल है कि कब उसे लिया जायगा ।

श्री ज० पी० मिश्र--

अवध के जिले बड़े बदकिस्मत है क्योंकि सारी योजनाओं में हम सरकार के दृष्टिकोण से परे हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि और पूछना चाहूंगा कि क्या वे इस बात के लिये तैयार हैं कि अवध के जिलों के लिये एक अलग कमीशन बैठा कर सारी परिस्थिति की जांच करके उनके उत्थान के लिय और नियोजन के लिये प्रबन्ध किया जाय ?

श्री राममूर्ति--

अध्यक्ष महोदय, मैं तो अवध के जिलों को बदकिस्मत नहीं मानता, क्योंकि जहां से जे० पी० मिश्र साहब आ रहे ह वे बड़े खुश किस्मत है । कमीशन बिठाने का प्रश्न गवर्नमेंट के सामने नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्राथमिकता का प्रश्न नहीं उठता है तो मिश्र जी ने उठ जाने के बाद भी क्या प्रश्न नहीं उठता है ?

(हंसी)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

मैन पावर स्कीम के अन्तर्गत प्रदेश की बहुत सी स्कीमें केंद्रीय सरकार के टेक्निकल बोर्ड के सामने पड़ी हुई हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना का यह अंतिम साल पूरा होने वाला है तो क्या माननीय मंत्री इसके लिये प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी उन स्कीमों के अन्तर्गत काम शुरू हो ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह बात तथ्य से परे है कि हमारी कोई स्कीम गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने है । उस प्लान से इसका कोई मतलब नहीं है । प्लान आइटम के जो प्रस्ताव होते हैं वे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण में आते हैं ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या कोई इस प्रकार का प्रस्ताव केन्द्र से मिला है कि रूरल मैन पावर स्कीमों के कार्यों का सर्वेक्षण कराया जाय और ज्यादा से ज्यादा जनशक्ति द्वारा उपयोगी कार्यक्रम बनाये जायं ? तो क्या माननीय मंत्री इस कार्यक्रम के अनुसार इस सड़क को इन योजनाओं के साथ सम्मिलित करने की कृपा करग ?

श्री राममूर्ति—

ऐसी कोई खबर हमारे पास केंद्रीय सरकार से नहीं आई है । इसके बरखिलाफ जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको भी रोक दिया गया है ।

## भदोही तहसील में हैसियत-कर न लगना

*२४—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार ३ मार्च, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि चकिया, बनारस स्टेट का ही हिस्सा है जिसमें जिला परिषद् ऐक्ट के लागू होते ही हसियत-कर लग गया, लेकिन भदोही तहसील पर यह हैसियत-कर अब तक क्यों नहीं लगाया गया ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री—

मैं यह जानना चाहता हूं कि सूचना कहां से प्राप्त होगी और इस समय कहां से इकट्ठा की जा रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

भारत का संविधान जब आया तो उसमें सी०पी० टैक्स स्टेट लिस्ट में नहीं है और भदोही तहसील में चूंकि सी० पी० टैक्स अब तक नहीं लगा है इसलिये यह विवाद की बात हो गयी है । लिहाजा यह बात ला डिपार्टमेंट के विचाराधीन है ।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मर्जर की कोई शर्त ऐसी भी थी कि टैक्स न लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो विधि का है, जो स्वंय आप देख सकते हैं ।

## बेलोली—रतनपुरा सड़क

*२५—श्री बृजबिहारी—

प्रश्नकर्ता के दिनांक १० फरवरी, १९६५ के प्रश्न २३–२४ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त बेलोली–रतनपुरा सड़क का शेष भाग ७ मील का जो ब्लाक रतनपुरा में स्थित है, उसे भी चतुर्थ चरण में सम्मिलित करके केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृत के लिये भेज दिया गया था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां ।

*२६—श्री बृजबिहारी—

यदि प्रश्न १ का उत्तर हां में है, तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जी नहीं ।

श्री बृजबिहारी--

क्या माननीय मंत्री महोदय बतान की कृपा करेंगे कि इस भाग की स्वीकृति के लिये जो केन्द्र में भेजा गया था, इसकी स्वीकृति क्यों नहीं हुई है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

इसका उत्तर तो विकास मंत्री जी न पहले ही दे दिया है कि हमारे यहां से यह ऐसे १४६ ब्लाक भेजे गये थे, लेकिन इस बीच लड़ाई आ गयी, इमर्जेन्सी घोषित हो गयी तो इसे केवल पिछड़े हुए इलाकों के लिये ही इस स्कीम को रखा, तो ब्लाक कम हो गये और इसलिये यह नहीं हो सका।

श्री बृजबिहारी--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सड़क का ६ मील का भाग स्वीकृत हो चुका है और उस पर पक्का करने का कार्य भी आरम्भ हो गया है तो जो शेष भाग ७ मील का है बेलोली से रतनपुरा का, उसको भी मंत्री जी पक्का कराने की कृपा करेंगे, जो जिले के पिछड़े हुये भाग में स्थिति है ?

श्री राममूर्ति--

पहली मंजूर हो गयी है, उसमें खुशी होनी चाहिये और दूसरे में हमारी मजबूरी है, इस पर ध्यान देना चाहिये ।

## मड़ियाहूं-नवाढ़िया मार्ग निर्माण-व्यय

*२७--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २४ फरवरी, १९६५ के तारांकित प्रश्न ७२ के उत्तर में २२, ११६ रु० का जो व्यय हुआ है उसम किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना प्रदान किया गया है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८४७ पर)

श्री जगन्नाथ राव--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मड़ियाहूं से नेवढ़िया तक की ९ मील की सड़क है जो श्रमदान द्वारा बनाई गई है इसमें किसी को ५००, किसी को ७००, १,२०० और २,३०० रुपया अलग-अलग दिया गया है । तो इनका रुपया अलग-अलग दने का क्या कारण है जबकि प्रत्येक को २ फर्लांग सड़क पक्की करने का ठका दिया गया था ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

इस सड़क के बारे में तो आपने स्वंय कहा कि २-२ फर्लांग का ठेका बांट कर दिया गया, और जिन्होंने जितना कार्य किया है, उसी के कार्य के अनुसार अनुदान दिया गया है ।

श्री जगन्नाथ राव--

जब काम पूरा हो जाता है तो पेमेन्ट दिया जाता है । तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने इसकी पूरी इंक्वायरी करायी है कि काम पूरा हुआ है या नहीं कराई है ? इस विषय में मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता दूं कि यह काम हुआ ही नहीं और रुपया ले लिया गया है । क्या आप इस बात की जानकारी करायेंगे कि यह धन किस-किस आदमी को कितना-कितना दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--

वह पूछ रहे हैं कि २-२ फर्लांग सड़क के निर्माण की प्रत्येक के लिये व्यवस्था थी, तो जब २-२ फर्लांग बनाना प्रत्येक के लिये अनिवार्य था और उसके लिये ५००-५०० रुपया तय हुआ था उससे ज्यादा किसी-किसी को क्यों दिया गया ?

श्री राममूर्ति--

कायदा यह है कि इस तरह के काम में रनिंग पेमेन्ट किया जाता है। जिसने जितना काम किया, उसको उतना दिया गया।

श्री जगन्नाथ राव--

इससे स्पष्ट है कि इस २ फर्लांग सड़क के लिये जो रुपया दिया गया है, उसमें काम नहीं हुआ। सड़क जो बनाई गई है उसमें पुलिया भी बनाई गई हैं, कहीं पर सड़क १० फीट गहरी हो गयी है और कहीं पर कई-कई फिट नीची हो गयी है। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी दशा में और रुपया खर्च करके उस सड़क को ठीक करा देंगे ?

श्री राममूर्ति--

यह योजना इस खयाल से ली गयी थी कि उस क्षेत्र के लोगों ने यह वादा किया था कि वे करेंगे। ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर और गांव सभा के सभापति, सब ने मिलकर उस योजना को मंजूर कराया और काम शुरू किया गया। यह उम्मीद की जाती थी कि सब लोग इस काम को करेंगे और सड़क को पूरा करेंगे लेकिन जब काम होने लगा तो कुछ ने अपना काम पूरा किया, कुछ ने अधूरा किया और कुछ ने सिर्फ ४ आने ही काम करके छोड़ दिया तो यह दिक्कत वहां पर अब है।

श्री जगन्नाथ राव--

यह ९ मील की सड़क श्रमदान द्वारा बनाई गई। गांव वालों ने जो कहा था उसको पूरा किया है लेकिन सरकार ने कहा था कि वह उसको पक्की करा देगी। उसके लिये ३० हजार रुपये का अनुदान भी दिया गया लेकिन वह सड़क बन नहीं पा रही है और रुपया का गलत ढंग से उपयोग हुआ है। तो क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिससे वह सड़क बन जाय ?

श्री राममूर्ति--

यह कहना तो मुश्किल है कि सड़क बन जायेगी या नहीं, लेकिन जहां तक जांच का ताल्लुक है वह फिर से करा दी जायगी और अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसको देख लिया जायगा।

## सराय मोहाना ग्राम के विकास की आवश्यकता

*२८--श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा फरवरी, १९६३ को लिखे गये पत्र के संबंध में जिस पर विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६३ के तीसरे बुधवार को तारांकित प्रश्न १६८, प्रथम सत्र, १९६४ के दूसरे बुधवार के तारांकित प्रश्न १६ और द्वितीय सत्र १९६४ के छठे बुधवार को तारांकित प्रश्न ७ आ चुके हैं ? क्या वाराणसी के संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा जांच और परस्पर के परामर्श का कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला और मंत्री महोदय उस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जांच और परामर्श का कार्य किया जा चुका है। चूंकि ऋषि वैली ट्रस्ट जिसे अब फाउन्डेशन फार न्यू एजूकेशन कहते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है तथा जनहित में कार्य कर रही है, इसलिये जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा २(१) (ग) तथा विज्ञप्ति संख्या ४०९३/१-क-४५०-५१, दिनांक १-७-५२ के अनुसार सराय मोहाना ग्राम में

उक्त अधिनियम लागू नहीं है। इसका यह भी नतीजा है कि गांव सभा सराय मोहाना में वह अधिकार निहित नहीं हुये जो आमतौर पर जमींदारी उन्मूलन के बाद निहित होते हैं। अगर किसी पक्ष को कोई संशय है या किसी ने कोई गैर कानूनी कार्य किया है तो न्यायालय द्वारा उसका फैसला करवाने पर उन्हें विचार करना चाहिये।

श्री रघुनाथसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, फरवरी, ६३ में माननीय मुख्य मंत्री जी जो विकास मंत्री भी थीं, को एक पत्र मैंने लिखा था और इस प्रश्न का सिलसिला २६ महीने से चल रहा है। तो क्या मैं माननीया मुख्य मंत्री जी से जान सकता हूं कि पत्र में क्या सरायं मोहाना गांव में जमींदारी टूटने के ही संबंध में यह लेख था या अन्य कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था? यदि अन्य तथ्य थे तो उनके संबंध में की गई जांच और परामर्श का क्या परिणाम निकला?

श्री अध्यक्ष—

आप अन्य बातें भी बतला दीजिये। क्या अन्य बातें थीं जिसके संबंध में शिकायत थीं?

श्री रघुनाथसिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा हुई और इस संबंध में मैंने आपसे अकेले बातचीत भी की है और उसमें मैंने यह बताया था कि एक तो उस गांव को दक्षिण ओर गंगा जी तोड़े दे रही है और दूसरी ओर से शिक्षा संस्था ने कटावदार तारों से उस सारे गांव को घेर लिया है। यहां तक कि गांव की स्त्रियों को अगर दिन में बाहर जाने की जरूरत पड़े तो कोई जगह नहीं है। इतनी मुसीबत में वहां के लोगों का जीवन बीतता है कि वह एक दयनीय कहानी है। मैंने लिखा था कि बीच में अगर मुख्य मंत्री जी स्वंय चल कर उस गांव में खड़ी हो कर देख लें तो सब स्थिति उनको स्पष्ट हो जायगी। बहुत लम्बी चौड़ी बातें थीं जो जमींदारी के न टूटने के संदर्भ में कही गयी थीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस पत्र में और भी आवश्यक बातें उस गांव के संबंध में थीं? यदि थीं, तो उस संबंध में जांच और परामर्श का क्या परिणाम निकला है?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, जैसा आप स्वंय जानते हैं, यह मसला बहुत दिनों से चल रहा है। हमने कई बार डिपार्टमेंट को भी लिखा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी लिखा और आखिर में जो फैसला हुआ है इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि ऋषि वैली ट्रस्ट और फोर्ड फाउन्डेशन स्कीम थीं। पहले ट्रस्ट के नाम में यह थी। उन्होंने इसकी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाकर गांव की जमीन को मोल ले लिया। चूंकि यह रजिस्टर्ड सोसाइटी थी इसलिये जमींदारी कानून इस पर लागू नहीं हो सकता और आज तक भी वही नियम है। सरकार इस बात में बिलकुल हेल्पलेस है इस माने में कि वह कुछ कर नहीं पा रही है। अब सिर्फ यह मामला अगर गांव वालों की तरफ से अदालत में उठ जाय, तभी गांव की रक्षा हो सकती है। इसके लिये हमने और सरकार ने बहुत कोशिश की लेकिन कानून यह बतलाता है और हम कुछ कर नहीं सकते।

श्री मैनेजरसिंह—

मंत्री जी ने अभी बतलाया कि यह संस्था जो चल रही है यह जनहित में काम करने वाली संस्था है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गांव सभा जनहित के खिलाफ काम करने वाली संस्था है? जमींदारी उन्मूलन न होने की वजह से वहां पर गांव सभा नहीं बन पाई है, जिसके कारण गांव सभा का संगठन नहीं हो पाया है और इस संस्था को आप जनहित में काम करनेवाली मानते हैं तो क्या गांव सभा ऐसी नहीं है?

श्री राममूर्ति—

ऐसी बात नहीं है। गांव सभा बनी हुई है और क्षेत्र समिति के अधीन भी है। जो कार्यवाही हुआ करती है वह क्षेत्र समिति के द्वारा हो रही है।

श्री रघुनाथसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर वहां पर जमींदारी नहीं टूटी है और किसी वैधानिक कारणों से आपकी मजबूरी है तो उस गांव के संबंध में जो बहुत सी दूसरी परेशानियां हैं, उस संबंध में तात्कालिक कोई व्यवस्था करने का आप कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

माननीय सदस्य जो यह कहते हैं कि स्त्रियों के जाने के वास्ते बन्द कर दिये गये हैं, यह बात सही नहीं है। वहां पर रास्ते बन्द नहीं हैं। लोग बाकायदा निकल सकते हैं और बहुत आसानी से निकल सकते हैं और जा सकते हैं।

श्री ऊदल—

इस गांव की जमींदारी नहीं टूटी है और यह संस्था अच्युत पटवर्धन के संरक्षण में चल रही है। यह गांव शहर से सटा हुआ गांव है और यहां पर गांव सभा भी कायम नहीं हुई है। तो सरकार क्या उन गांव वालों की सुविधा का ख्याल करेगी कि शहर से सटे हुये इस गांव को बिजली और पानी की सारी सुविधा मिल सकें ?

श्री राममूर्ति—

अगर माननीय सदस्य किसी को बिजली दिलानेमें दिलचस्पी रखते हों तो उसके लिये बिजली देने की बात सोची जा सकती है और जो जरूरी बातें हैं उनका इन्तजाम किया जा सकता है। टट्टी की बात जो कही गई, वहां सब टट्टी जाते हैं, किसी की टट्टी बन्द नहीं है। आखिर सब काम लोग वहां पर करते ही हैं।

श्री ऊदल—

जिस गांव के बारे में जिक्र हो रहा है उसकी जमींदारी नहीं टूटी है और वह गांव शहर से सटा हुआ है। राजघाट के पास बिलकुल यह पड़ता है। वहां के निवासियों को शहर के पास होने से पानी की सुविधा, सड़कों की सुविधा, बिजली की सुविधा और सफाई की सुविधा नहीं मिल रही है।

श्री राममूर्ति—

कोई पानी पीने का कुआं वहां पर न हो तो कुआं बनाने का इंतजाम किया जा सकता है।

श्री रघुनाथसिंह—

मैंने अपने पहले पत्र के संबंध में जो ४ प्रश्न पूछे तो दूसरे और तीसरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया कि संबंधित विभागों से जांच और परामर्श का कार्य जारी है। फिर पूछा गया तो यह बतलाया गया कि यह बहुत विस्तृत प्रश्न है और अब भी वह कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस पर १।। वर्ष से ऊपर हो रहा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि उत्तर में कहा गया कि जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा २ (१) (ग) तथा विज्ञप्ति संख्या ४०९३/१—क—४५०-५१, दिनांक १-७—५२ के अनुसार जमींदारी नहीं टूटी। तो क्या इतनी ही जानकारी करने के लिये आपने संबंधित विभागों से जांच और परामर्श किया और इसमें इतना समय लग गया ? कृपया बतायें कि वह विषय क्या थे, वह विभाग कौन-कौन थे और क्या परामर्श और जानकरी वह करना चाहते थे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो वह मानते हैं कि बहुत विलम्ब हुआ।

श्री रघुनाथसिंह—

उत्तर में यह कहा गया है कि संबंधित विभाग से जांच और परामर्श किया जा रहा है और मेरे प्रश्न का यह अधूरा उत्तर है। मैं जानना चाहता हूं कि किस-किस विषय पर जांच और परामर्श के लिये उनको लिखा गया, किन-किन विभागों को लिखा गया और क्या जानकारी वह और चाहते थे ?

श्री अध्यक्ष—

यह उन्होंने बतला दिया है।

## जलालपुर ग्राम के प्रधान, श्री शिवप्रसाद का निलम्बन

*२९—श्री विजयपालसिंह, (जिला मुजफ्फरनगर) श्री ऊदल तथा श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार को पता है कि श्री शिवप्रसाद, प्रधान, ग्राम जलालपुर खड़खड़ी, ब्लाक मोरना, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर को श्री एस० डी० एम० जानसठ, एन० एन० खेर ने जनवरी–फरवरी, सन् १९६३ को निलम्बित कर दिया था ? यदि हां, तो प्रधान के विरुद्ध कौन–कौन से आरोप लगाये गये थे और प्रधान ने उसकी जवाब देही की या नहीं ? अगर प्रधान ने उत्तर दिया है तो क्या ?

*३०—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री शिवप्रसाद, प्रधान को सन् १९६३ से लेकर सन् १९६५ तक यानी दो साल की अवधि तक निलम्बित रखा गया ? क्या सरकार इसके विरुद्ध एस० डी० एम०, जानसठ, के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री विजयपालसिंह—

श्रीमन्, आप मेरे प्रश्न को पढ़ कर देखें। उसमें केवल दो बातें पूछी गयी हैं। प्रधान को किस हालत में मुअत्तल किया गया, उसे दो साल तक मुअत्तल क्यों रखा गया और यह मसला शिवप्रसाद प्रधान से संबंधित है, जिसकी मिसिल कोर्ट में मौजूद है। तो क्या कारण है कि दो महीने में इसको देखने का मौका सरकार को नहीं मिला ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इस प्रश्न में आयी सारी चीजें मैं उत्तर में लाना चाहता हूं जिसमें पूछा गया है कि प्रधान के विरुद्ध कौन-कौन आरोप लगाये गये थे, उन्होंने उनका क्या जवाब दिया, दिया तो क्या, इन सब को देख कर ही उत्तर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप इन्तजार कर लीजिये।

श्री विजयपालसिंह—

मुझे एक बात यह कहनी है कि पूरा उत्तर पाने के लिये आप उनकी मिसिल को तलब कर लीजिये। उसमें एस० डी० एम० साहब मेरे सवाल पूछने के बाद सब आर्डर किये हैं, पिछली डेट में। पूरी मिसिल हाथ से लिखी हुई है और एक तीन लाइन का आर्डर टाइप किया हुआ है। इसलिये आप मिसिल तलब कर लीजिये। आप को एस० डी० एम० साहब की इस केस में और दूसरी कार्यवाहियां भी मालूम हो जायंगी।

## मोतीचक ब्लाक में सड़कों का निर्माण

*३१—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि देवरिया जिला के मोतीचक सुकरौली विकास खंड के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें जनशक्ति योजना तथा पटेल कमीशन के अन्तर्गत ली गयी हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मोतीचक विकास खण्ड, ग्रामीण जनशक्ति योजनान्तर्गत स्वीकृत नहीं है, सुकरौली ब्लाक में ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत केवल एक ८ मील लम्बी सर्विस रोड ली गयी है। जहां तक पटेल कमीशन के सिफारिश के अन्तर्गत ली जाने वाली सड़कों का सम्बन्ध है, सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रतीपाल—

यह सूचना इसी सत्र में आ जायगी या अगस्त में आयेगी ?

श्री अध्यक्ष—

कल आप को सूचना मिल गयी है कि हम ३० तक बैठेंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पटेल आयोग की मोटी सी किताब छपी है तब सूचना एकत्र करने का क्या सवाल है ?

श्री राममूर्ति—

इसकी एक मोटी सी किताब और एक पतली सी भी छपी है।

## फर्रुखाबाद जिले में सहकारी भट्टे

*३२—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में सहकारी संघों द्वारा ईंटों के ऐसे कुछ भट्ठे इस वर्ष चलाये जा रहे हैं जिनमें पहिले से ही घाटा रहा है ? यदि हां, तो अब उन भट्ठों में घाटा रोकने की क्या व्यवस्था कर ली गयी है और नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हां, ऐसा एक भटठा चलाया जा रहा है। घाटे से बचाने के लिए सम्बन्धित संघ के संचालक मन्डल तथा श्रम ठेकेदार (लेबर कन्ट्रैक्टर) के मध्य यह तय हो गया है कि यदि इस व्यवसाय में हानि होगी तो हानि ठेकेदार को बरदाश्त करनी पड़ेगी।

## बितरौला कोआपरेटिव फार्म

*३३—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर) तथा श्री मन्नालाल—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले के बितरौला कोआपरेटिव फार्म के सदस्यों के नाम वल्दियत और निवास स्थान क्या हैं ?

श्री बनारसीदास—

बिजनौर जिले के बितरौला कोआपरेटिव फार्म के सदस्यों के नाम, वल्दियत और निवास स्थान का विवरण †संलग्न है।

---

† छापा नहीं गया।

*३४--श्री श्रीराम तथा श्री मन्नालाल--

इस फार्म के कागज में कितनी भूमि है और मौके पर कितनी भूमि फार्म पर है ?

श्री बनारसीदास--

कागज में और मौके पर भी भूमि का रकबा ८४२ एकड़ है।

श्री मन्नालाल--

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि किस तारीख और किस सन् में यह कोआपरेटिव फार्म कायम हुआ और कितने उसके सदस्य थे ?

श्री बनारसीदास--

यह १९-९-५९ को रजिस्ट्रेशन हुआ और इस समय इसके १७ सदस्य फार्म पर काम करते हैं।

श्री मन्नालाल--

इस प्रश्न के सम्बन्ध में प्रथम सत्र के प्रथम शुक्रवार के लिए चौथे और पांचवें प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने बतलाया था कि ८५६ एकड़ है और अब जवाब दे रहे हैं कि ८४२ एकड़ है, तो दोनों में से कौन सा उत्तर सही है ?

श्री बनारसीदास--

देखना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा सही है।

## खन्डासा चिकित्सालय में डाक्टर न होना

*३५--श्री पूरनलाल (जिला हरदोई) तथा श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में खन्डासा परगना के अस्पताल में आज चार साल से भी अधिक हुआ अभी तक डाक्टर नहीं भेजे गये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां। खन्डासा चिकित्सालय में दिनांक ५-४-६१ से डाक्टर नहीं है।

*३६--श्री पूरनलाल तथा श्री धूमप्रसाद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खन्डासा में जब से डाक्टर नहीं है उस समय से आज तक कर्मचारियों के वेतन को छोड़कर शेष कितना व्यय प्रत्येक साल हुआ ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

चिकित्सालय में कर्मचारियों के वेतन को छोड़कर प्रत्येक वर्ष का व्यय इस प्रकार है:--

| १९६१-६२ | १९६२-६३ | १९६३-६४ | १९६४-६५ |
|---|---|---|---|
| रु० | रु० | रु० | रु० |
| २,४८१ | २,६८४ | २,७६५ | २,८४४ |

नोट:--तारांकित प्रश्न ३४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

## आई० टी० आई०, बरेली में कथित चुनाव

*३७--श्री श्रीराम तथा श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में दिनांक ३० अप्रैल, १९६३ और ४ मई, १९६३ तक आई० टी० आई० के चुनाव हुये थे ? इस चुनाव में कितने उम्मीदवार लिये गये और उनमें कितने सवर्ण लिये और कितने हरिजन उम्मीदवार लिये गये ? कितने की नियुक्तियां हुयीं तथा कितने वेटिंग लिस्ट में हैं ?

श्री बनारसीदास--

दिनांक ३०-४-६३ और ४-५-६३ तक आई० टी० आई० बरेली में किसी प्रकार के चुनाव नहीं हुये। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते।

## आजमगढ़ जिले में सीमेंट वितरण

*३८--श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के ब्लाक फतेहपुर मंडाव घोसी, दोहरीघाट में प्रत्येक में कितनी-कितनी सीमेंट अगस्त, १९६४ से जनवरी, १९६५ तक परमिट देने के लिए प्राप्त हुई हैं ?

श्री राममूर्ति--

आजमगढ़ के फतेहपुर मण्डाव, घोसी तथा दोहरीघाट विकास क्षेत्रों में अगस्त, १९६४ से जनवरी १९६५ तक क्रमशः २१७०, २११० एवं ३६२० बोरी सीमेंट परमिट देने के लिए प्राप्त हुईं।

*३९--श्री मंगलदेव--

क्या जिन लोगों को सीमेंट दी गयी उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

सीमेंट वितरण की सूची काफी लम्बी है। सदस्य महोदय इसे मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

*४०--श्री मंगलदेव--

क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि १९६३-६४ में मार्टीनगंज ब्लाक में कुल कितनी सीमेंट दी गयी और सीमेंट पाने वालों की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

वर्ष १९६३-६४ में विकास खण्ड, मार्टीनगंज में वितरण के लिए २७४२ बोरी सीमेंट दी गयी। सीमेंट पाने वालों की सूची सदस्य महोदय मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

## पंचायत मन्त्री तथा ग्रामसेवक

*४१--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--

क्या यह सही है कि पंचायत मन्त्रियों की कार्य-तालिका को देखते हुये ग्रामसेवकों की उपेक्षा पंचायती मन्त्रियों पर विकास सम्बन्धी कार्यों का भार कई गुना अधिक होते हुये भी उनका वेतन स्तर ग्रामसेवकों से कहीं अधिक कम है ? क्या सरकार इस असमानता को मिटाने पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--

पंचायत मंत्रियों तथा ग्रामसेवकों के कार्य क्षेत्र और कर्त्तव्य भिन्न-भिन्न हैं। अतः उन के कार्य क्षेत्र और भार की तुलना सम्भव नहीं है। पंचायत मंत्रियों का वेतन स्तर ग्रामसेवकों के वेतन स्तर से कम है। चूंकि पंचायत मन्त्री गांव पंचायतों के कर्मचारी हैं, अतः इनके वेतन स्तर उठाने का प्रश्न गांव पंचायतों के आर्थिक स्थिति से सम्बद्ध है। गांव पंचायतों की क्षमता बढ़ाने के लिए यदि आवश्यक होगा तो सरकार पंचायत मन्त्रियों के वेतन स्तर आदि के प्रश्न पर भी विचार कर सकती है।

*४२-४३--श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)--

[११वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

## वाराणसी डिवीजन में कृषि यन्त्र खरीदने में अनियमितता की जांच

*४४--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी कमिश्नरी में प्लानिंग विभाग में इम्प्लीमेंट खरीदने के लिए कोई कमेटी बनायी गयी है जिन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट की फर्म अप्रूव्ड की थीं? यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि कमिश्नरी के ब्लाकों में बिला अप्रूव्ड फर्मों से इम्प्लीमेंट सन् १९६२ से लेकर फरवरी, १९६५ तक खरीदे जा रहे हैं? यदि हां, तो वे फर्म कहां-कहां किस नाम की हैं, उसकी एक सूची सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति--

जी हां। एक ऐसी समिति का गठन सितम्बर, १९६४ के बाद हुआ था जिसमें कि कृषि यन्त्रों के मूल्य तथा उन फर्मों के नाम जिनके द्वारा पूर्ति की जायगी, की स्वीकृति जनवरी, १९६५ में प्रदान की। इस स्वीकृति के बाद गाजीपुर के भांवरकोल विकास क्षेत्र में २३७.०२ रु० की कृषि यन्त्र एक ऐसी फर्म से खरीदे गये हैं जिसका नाम मण्डल समिति द्वारा स्वीकृति सूची में नहीं है। उन परिस्थितियों की, जिनमें यह अनियमितता की गयी है, जांच की जा रही है।

## लखनऊ चिड़ियाघर

*४५--श्री ओंकारनाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ चिड़ियाघर को वन विभाग को सौंपने का वह विचार कर रही है?

*४६--क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई इस आशय का सुझाव भेजा है कि लखनऊ चिड़ियाघर वन विभाग के अन्तर्गत कर दिया जाय?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी नहीं।

## पडरौना चिकित्सालय में वैद्य की नियुक्ति

*४७--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा) तथा श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय श्रमहितकारी चिकित्सालयों के वैद्यों और हकीमों को अब तक ७५--२०० रु० का ही वेतनक्रम सरकार दे रही है जबकि इस वेतन क्रम को सरकार ने बदल कर १२०--२५० रु० कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बनारसीदास--

श्रम विभाग में वैद्यों और हकीमों का वेतन क्रम अभी ७५--२०० रु० ही है। इसके पुनरीक्षण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति को भेजा गया है और उनके विचाराधीन है।

*४८--श्री सूरजलाल गुप्त वकील तथा श्री सुखदेवप्रसाद--

क्या यह सत्य है कि पडरौना राजकीय श्रम हितकारी एलोपैथिक चिकित्सालय में एक वैद्य चिकित्सक के रूप में रखा गया है? यदि हां, तो चिकित्सक की उपाधि क्या है और किस विश्वविद्यालय की है तथा किस राजाज्ञा के अनुसार उक्त नियुक्ति सरकार ने कर रखी है एवं अन्य रिक्त श्रम हितकारी एलोपैथिक चिकित्सकों के पदों पर उसी प्रकार की नियुक्ति और क्यों नहीं की गयी है?

श्री बनारसीदास--

जी हां, उनके पास बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की ए० बी० एम० एस० की उपाधि है। उनकी नियुक्ति राजकीय आदेश सं० १०८१ (यल)--३६ बी० दिनांक ८ जुलाई, १९६० के अनुसार हुई थी। इस विभाग में एलोपैथिक चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति के लिए एम० बी० बी० एस० डाक्टर उपलब्ध होने की आशा है। अतएव अन्य उपाधि वाले डाक्टरों को नियुक्त करने की जरूरत नहीं है।

*४९--श्री देवदत्त मिश्र--

[११वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

## सहायक पंचायत अधिकारियों का वेतन

*५०--श्री देवदत्त मिश्र--

क्या सरकार जिला स्तरीय अन्य अधिकारियों की भांति सहायक जिला पंचायत अधिकारियों को भी क्लास टू का स्तर एवं वेतन क्रम प्रदान करने के प्रश्न पर विचार कर रही है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब तक किसी निर्णय पर पहुंचेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति--

जी हां। इस सम्बन्ध में यथासम्भव शीघ्र निर्णय लेने का प्रयास किया जायगा।

## बस्ती जिले के अस्पताल में मशीनें तथा वैद्यों व हकीमों का रजिस्ट्रेशन

*५१--श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अस्पताल, बस्ती में एक्सरे मशीन तथा और कई मशीनें जो दैनिक इस्तेमाल में आती हैं, खराब पड़ी हैं? उनको अभी तक ठीक न कराने का क्या कारण है तथा खराब मशीने कौन-कौन सी हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जिला अस्पताल, बस्ती में कोई भी एक्सरे मशीन या अन्य दैनिक प्रयोग में आने वाली मशीन खराब दशा में नहीं है।

*५२--श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च, सन् १९६४ से फरवरी, सन् १९६५ तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन आयुर्वेद मैडिसिन बोर्ड के मातहत हुआ है और कितने प्रार्थना-पत्र अभी तक विचाराधीन ह?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

कथित कालावधि में कुल ५६६ व्यक्तियों का जिसमें ५०७ वैद्य तथा ५९ हकीम हैं, का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी २७ वैद्यों एवं ५ हकीमों के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं।

## कुरावली ब्लाक में सीमेंट वितरण

*५३---श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुरावली ब्लाक, जिला मैनपुरी में सीमेंट बांटने की बी० डी० ओ० ने क्या पद्धति रक्खी है ?

श्री राममूर्ति---

प्रधानों एवं कृषकों के प्रार्थना-पत्र ग्राम सेवकों की संस्तुति सहित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्त होते हैं। कार्य की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये सीमेंट के परमिट दिये जाते हैं।

## राजकीय दुग्धशाला, आगरा

*५४---श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि राजकीय दुग्ध शाला, आगरा का हजारों रुपया कई साल का दूकानदारों पर बकाया है ? यदि हां, तो उसको वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसीदास---

राजकीय दुग्धशाला, आगरा का कोई रुपया किसी भी दूकानदार पर बकाया नहीं है, अतः उसकी वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

*५५---श्री बालोजी अग्रवाल---

उधार का रुपया किस-किस दूकानदार पर कितना-कितना बकाया है ?

श्री बनारसीदास---

प्रश्न नहीं उठता।

*५६---श्री रामभजन (जिला खीरी)---

[११वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

## फतेहपुर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र

*५७---श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)---

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के किस-किस विकास सेवा खंड के क्षेत्रवासियों को अब तक राजस्व रक्षा निहित प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों की सुविधायें भली प्रकार उपलब्ध हो चुकी हैं तथा कब से और उसके मुख्यावास कहां बनाये गये हैं ?

श्री राममूर्ति---

फतेहपुर जनपद में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों की सुविधायें जिन विकास खंडों में उपलब्ध हैं, उनका वांछित विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८४८-८४९ पर)

*५८—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिले के अन्य विकास सेवा खंडों के नागरिकों को कब तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों की सुविधायें पूर्णरूप से उपलब्ध होने की सम्भावनायें हैं? क्या यह सत्य है कि नियमों की अवहेलना कर कुछ विकास सेवा खंडों के मुख्यावासों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापित न करके खंड के अन्तर्गत अन्यत्र किसी ग्रामों में किये जा रहे हैं? यदि हां, तो किस खंड के किस ग्राम में तथा किन विशेष परिस्थितियों वश?

श्री राममूर्ति—

गणेशपुर जनपद में केवल ४ विकास क्षेत्रों (खजुहा, देवमर्ध, अमोली सराया) में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र अब तक नहीं खोले जा सके। इनको स्थापित करने को स्वीकृति दी जा चुकी है लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी और कम्पाउन्डरों के अभाव में सेवा केन्द्रों का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। प्रशिक्षित कम्पाउन्डरों के उपलब्ध किये जाने के प्रयास निरन्तर किये जा रहे हैं और जैसे ही वह उपलब्ध हो जायेंगे स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्य उन के द्वारा आरम्भ करा दिया जायगा।

ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अनिवार्यतयः विकास खन्ड के मुख्यालयों पर ही स्थित हों। ऐसे खण्डों के नाम जहां प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र मुख्यालयों के बजाय अन्य जगहों पर खोले गये हैं तथा किन विशेष परिस्थितियों में यह किया गया है, संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८४८–४९ पर)

## मुहम्मदाबाद ब्लाक में चिकित्सा सुविधाओं की कमी

*५९—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिला देहाती क्षेत्र में कितने अस्पताल हैं? उनमें से कितने अस्पतालों में डाक्टर हैं? जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं उन में उनके स्थान पर कौन कार्य कर रहा है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

फर्रुखाबाद जिले के देहाती क्षेत्र में १९ एलोपैथिक, १० राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी, १८ जिला परिषद् के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय हैं। देहाती क्षेत्र में ९ एलोपैथिक अस्पतालों के अतिरिक्त बाकी सब में डाक्टर अथवा वैद्य व हकीम हैं। जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं वहां का कार्य कम्पाउन्डर द्वारा चलाया जा रहा है।

*६०—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—]

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक मुहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद में एक ही अस्पताल है और वह ब्लाक क्षेत्रफल में और ब्लाकों से दूना है। इस कारण क्षेत्र की सारी जनता लाभान्वित नहीं हो पाती है? यदि हां, तो सरकार दूसरा अस्पताल खोलने पर विचार करेगी या चलते हुये प्राइवेट अस्पताल को सहायता देने पर विचार करेगी?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मुहम्मदाबाद ब्लाक जिला फर्रुखाबाद में केवल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जो मुहम्मदाबाद खास में है। इसके अतिरिक्त उस ब्लाक में एक राजकीय यूनानी चिकित्सालय पीपरगांव में और दो जिला परिषद् के आयुर्वेदिक औषधालय धीरपुर व परवना में हैं।

मुहम्मदाबाद ब्लाक में दूसरा अस्पताल शंकिसा में, जो मुहम्मदाबाद से लगभग १२ मील की दूरी पर है, खोलने के विषय में पत्र-व्यवहार चल रहा है।

वहाँ पर चलते हुये प्राइवेट अस्पताल के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अतएव आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर तब ही विचार किया सकता है जब कि उक्त प्राइवेट अस्पताल का पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से ज्ञात हो।

## श्रमहितकारी कार्य की मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट

*६१—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासनात्मक विकेन्द्रीकरण से राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों की कार्यप्रणाली में केन्द्र स्तर पर क्या अन्तर पड़ा है ?

श्री बनारसीदास—

विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप श्रम हितकारी केन्द्रों के कार्य सम्पादन और प्रशासन में कुशलता आ गयी है।

*६२—श्री शिवनाथसिंह—

क्या मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि श्रम हितकारी कार्य की मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसीदास—

समिति द्वारा की गयी कुछ सिफारिशों पर कार्यवाही की जा चुकी है। इनकी सूची सदन को मेज पर रख दी गयी है। अन्य पर विचार हो रहा है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८५०–८५१ पर)

*६३—श्री शिवनाथसिंह—

क्या मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि वर्ष १९४९ में श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश ने आदेश दिया था कि क्षेत्रीय कार्यालयों में महिलाओं की नियुक्ति होने से पूर्व उन की अनुमति प्राप्त की जाय ? उसके उपरान्त क्षेत्रीय कार्यालयों में कितनी महिलाओं की नियुक्ति हुई और क्या अनुमति प्राप्त की गयी ?

श्री बनारसीदास—

वर्ष, १९४९ में इस प्रकार का कोई आदेश नहीं जारी किया गया। वर्ष १९५० में श्रम आयुक्त ने यह आदेश जारी किया था कि उनकी अनुमति के बिना, उन पदों को छोड़कर जिन पर केवल महिलाओं की ही नियुक्ति होनी है, अन्य किसी पद पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं की जायेगी। उपरोक्त आदेश के उपरान्त क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक, टाइपिस्ट अथवा संकेत लिपिक के पदों पर १० महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनुमति लेकर की गयी।

*६४–६५—श्री श्यामसुन्दर शुक्ल—

[१०वें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ८३—८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६६—श्री पूरन लाल—

[११वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

*६७—श्री केदारनाथ भार्गव—

[प्रश्न-कर्त्ता की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

## हल्दीगांव में देव सहकारी समिति

*६८—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला अन्तर्गत, बलिया तहसील के हल्दी गांव में "देवसहकारी समिति" कब से स्थापित है और कुल कितने सदस्य, कितने परिवारों से इन समिति में हैं ?

श्री बनारसीदास—

देव सहकारी समिति दिनांक ६-१-६१ से स्थापित है। इस समिति में १३ परिवारों से १७ सदस्य हैं।

*६९—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या उपरोक्त समिति के हिसाब-किताब की जांच आडिट द्वारा कभी हुई है ? यदि हां, तो उसकी रपट क्या है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां।

समिति का वर्ष १९६२-६३ का आडिट हुआ है। आडिट रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८५२-८५३ पर)

## दहगवां में तौलाई का ठेका

*७०—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

६ मई, १९६४ के तारांकित प्रश्न २२-२३ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जब ठेके का काम सभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो अदालत सरपंच, श्री लक्ष्मी नारायण ठेका क्यों कर देते हैं और गांव सभा के संगठन को क्यों बदनाम करते और भ्रम पैदा करते हैं कि गांव सभा भी ठेका देने में सम्मिलित है जिससे सारी जनता में बड़ा रोष है ? क्या सरकार ऐसी कार्यवाही रोकने का आदेश देगी ?

श्री राम मूर्ति—

न्याय पंचायत के सरपंच, श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा तुलाई का ठेका सरपंच की हैसियत से नहीं बल्कि श्री कृष्ण लीला कमेटी के मन्त्री की हैसियत से दिया जाता है। गांव सभा का इस ठेके से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

## विकास अन्वेषणालय, इटावा

*७१—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विकास अन्वेषणालय (पी० आर० ए० आई०), उत्तर प्रदेश हेड क्वार्टर और उसके रिसर्च सेन्टर, इटावा के पाइलट-प्रोजेक्ट के तोड़ देने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

*७२—श्री मुहम्मद रफी खां—

[प्रश्नकर्त्ता द्वारा वापस ले लिया गया।]

## लालगंज बाजार से आय

*७३—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, रायबरेली के अन्तर्गत थाना व बाजार लालगंज में सहकारी भूमि में जो बाजार अन्न की लगती है उसमें सालाना आमदनी क्या है ?

श्री बनारसीदास—

इससे प्राप्त होने वाली आमदनी का सालाना औसत १,७००.०० है।

*७४—श्री गुप्तारसिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह रकम किस हेड में जमा की जाती है ?

श्री बनारसीदास—

यह रकम सहकारी क्रय-विक्रय समिति के निजी खाते में जमा होती है।

## दहगवां ब्लाक में 'प्यून बुक' का इस्तेमाल न होना

*७५—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंडों के पुस्तकालयों की देखभाल के लिए जो कर्मचारी रहता था, क्या वह पद फरवरी, १९६५ में समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। यह पद समाप्त कर दिया गया है क्योंकि मितव्ययिता की दृष्टि से पुस्तकों के क्रय करनेपर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं।

*७६—श्री उल्फतसिंह यादव—

मेरी इस सूचना को सत्य मान मान कर कि बदायूं जिले के विकास खंड दहगवां के ग्राम सेवक विकास खण्ड के अधिकारियों अथवा काश्तकारों को जो शासकीय कागजात लेते देते हैं वह प्यून बुक पर चढ़ा कर नहीं देते जिस से झगड़े हो जाते हैं ? तो क्या विकास मन्त्री यह व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि कागजात प्यून बुक पर ही चढ़ाकर लिये दिये जायें ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

यह सत्य है कि ग्राम सेवक काश्तकारों एवं क्षेत्र विकास अधिकारियों को पत्रों को देते समय कोई हस्ताक्षर नहीं लेते हैं। विकास क्षेत्र कार्यालय ग्राम सेवकों एवं काश्तकारों को शासकीय पत्रों को देते समय हस्ताक्षर लेते हैं।

ग्राम सेवक का कोई कार्यालय नहीं है तथा उन्हें कोई लिपिक भी नहीं दिया गया है। वे स्वयं मुख्यतया जन सम्पर्क का कार्य करते हैं और अधिकतर किसानों के बीच में रहते हैं जिस के कारण रास्ता चलते-चलते भी उनको प्रार्थना-पत्र मिलते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए प्यून बुक का रखना तथा प्राप्त पत्रों की रसीदें देना व लेना व्यावहारिक रूप में सम्भव नहीं है।

*७७–७८—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

[११वें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या ३१–३२ के अन्तर्गत स्थानन्तरित किये गये।]

## जिला परिषद् कार्यालय, बांदा से सीमेंट की चोरी

*७९—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी कुछ दिन पहिले जिला परिषद्, बांदा कार्यालय से काफी सीमेंट की बोरियों की चोरी हो चुकी है ? यदि हां, तो कितनी और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

जिला परिषद्, बांदा की २२२ बोरी सीमेन्ट दिसम्बर, १९६४ में चोरी चली गई थीं। पुलिस ने इस संबंध में जिला परिषद् के चौकीदार, नियोजन कार्यालय के लिपिक तथा उनके भाई को गिरफ्तार किया था जो जमानत पर छूट चुके हैं। पुलिस उनक खिलाफ जांच कर रही है। जिला परिषद् के चौकीदार तथा नियोजन कार्यालय के लिपिक नौकरी से अलग कर दिये गये हैं।

## अध्यक्ष, जिला परिषद्, सीतापुर के विरुद्ध जांच

*८०—श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २८ जनवरी, १९६५ को जिला परिषद्, सीतापुर के कुछ सदस्य जिलाधीश महोदय, सीतापुर से जिला परिषद् के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में मिले थे और उन्होंने कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। ज्ञापन में जिला परिषद्, उप सीतापुर के अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ शिकायतें की गई थीं जिनकी जांच। विकास आयुक्त, मध्य खंड, लखनऊ ने की।

*८१—श्री अवधेशकुमार सिनहा—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २९, ३० ३१ जनवरी, सन् १९६५ को उपविकास आयुक्त, मध्य खंड लखनऊ, जिला परिषद्, सीतापुर से संबंधित जांच हेतु सीतापुर गये थे ? यदि हां, तो किस संबंध में और उनकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम मूर्ति—

जी हां। वे जिला परिषद्, सीतापुर के अध्यक्ष के विरुद्ध की गई शिकायतों तथा दिनांक २८-१-१९६५ को जिला परिषद्, सीतापुर की बैठक में अध्यक्ष तथा मुख्य अधिकारी के मध्य हुये विवाद की जांच करने गये थे। उनकी जांच रिपोर्ट का बताना जनहित में उचित न होगा।

## लखनऊ में किंग्स इंग्लिश अस्पताल के डाक्टर सी० एल० चौधरी की मुअत्तली

*८२—श्री दलजीतसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि लखनऊ के टूड़ियागंज के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय से संबंधित किंग्स इंगलिश अस्पताल के इन्चार्ज, डा० सी० एल० चौधरी कब से और किस कारण मुअत्तल हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

डा० चौधरी शासन द्वारा दिये गये स्थानान्तरण के आदेश का नियत समय तक पालन न करने के कारण तथा अन्य कारणों से २९-८-६४ (अपरान्ह से) मुअत्तल हैं।

*८३--श्री दलजीत सिंह तथा श्री कृष्णा--

क्या किन्स इंग्लिश अस्पताल, लखनऊ में इन्चार्ज डाक्टर के लिये आवास गृह की व्यवस्था है ? यदि हां, तो उसमें इस समय कौन डाक्टर रह रहा है और वह कब से रह रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इस अस्पताल के इन्चार्ज डाक्टर के आवास गृह में डाक्टर सी० एल० चौधरी २-१०-६३ से रह रहे हैं।

*८४--श्री दलजीतसिंह तथा श्री कृष्णा--

क्या यह सही है कि आज कल किंग्स इंग्लिश अस्पताल, लखनऊ में अस्पताल के समय के अतिरिक्त इमरजेन्सी के लिये डाक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री दाउदयाल खन्ना--

जी नहीं।

## महिला चिकित्सालय, नानपारा

*८५--श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--

क्या स्वास्थ मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जिला बहराइच के अन्तर्गत नानपारा में नव निर्मित महिला चिकित्सालय में जिसे निर्मित हुये लगभग एक साल हो रहा है, उपकरण, औषधियां एवं डाक्टर आदि न भेजने का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

नानपारा के महिला चिकित्सालय का भवन पिछले वर्ष के अन्त में बन कर तैयार हुआ था और इस महिला चिकित्सालय की स्थापना तथा उपकरण, औषधियों एवं डाक्टर की नियुक्ति के आदेश दिये जा चुके हैं।

*८६--श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)--

[११वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

## इलाहाबाद में जाली परमिटों पर शकर देने की जांच

*८७--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद सहकारी संघ की शाखा से कई हजार बोरी चीनी गायब हो गई है ? यदि हां, तो कितनी और इसमें कितने आदमी गायब करने में संबंधित थे तथा इसका पता कब लगा ?

श्री बनारसीदास--

जी नहीं, कुल ४७२ बोरे जाली परमिटों पर विक्रय होने का पता ३-३-६५ को लगा। मामला जांच के लिये पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है।

*८८-८९--श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)--

[हटा दिये गये।]

## रामनगर ब्लाक के कर्मचारी तथा अनुदान

*९०—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में रामनगर ब्लाक को सन् १९६२–६३, १९६३–६४, १९६४–६५ में कितना–कितना अनुदान किस-किस मद में दिया गया तथा उक्त धनराशियां जनता में किस प्रकार बटीं ?

श्री राममूर्ति—

वांछित सूचना† माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

*९१—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

वर्तमान बी० डी० ओ० एवं अन्य पदाधिकारी इस ब्लाक में किस तारीख से काम कर रहे हैं ? उनके नाम व शिक्षा संबंधी योग्यतायें क्या-क्या हैं ? क्या बी० डी० ओ० अपने टूर की डायरी मेन्टेन करते हैं ? यदि हां, तो पिछले तीन महीने में हर एक तारीख में कहां-कहां दौरा किया ?

श्री राममूर्ति—

वांछित सूचनायें† माननीय सदस्य की मेज पर क्रमशः विवरण १ तथा विवरण २ में, प्रस्तुत हैं ।

## गोंडा जिले में सीमेंट का अभाव

*९२—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में लघु सिंचाई अभियान में जो कुयें खोदे गये हैं वे सीमेन्ट के अभाव में रुके पड़े हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और सीमेन्ट का अभाव दूर करने की प्रगति क्या है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां । ऐसे कुओं की संख्या १७८२ है । १९६५ के प्रथम त्रिमास में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली के आदेशानुसार ९७ वैगनों का पैसा जमा कराया जा चुका है जिसमें से केवल २५ वैगन सीमेन्ट ही चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री देने को तैयार है । इस संबंध में गवर्नमेन्ट सीमेन्ट फैक्ट्री चुर्क को पुनः लिखा गया है कि गोंडा जिले को कुल ९७ वैगन सीमेन्ट दे दी जाय । अप्रैल, १९६५ से जून, १९६५ के त्रिमास में भी ४००२ मैट्रिक टन (१७४ वैगन) सीमेंट का एलाटमेन्ट इस जिले के विकास कार्यों हेतु किया जा चुका है ।

*९३—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

[११ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया । ]

## सहकारी सूत मिल, इटावा का उत्पादन

*९४—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा के उत्तर प्रदेश सहकारी सूत मिल में मजदूरों में गत तीन मास से तीव्र असन्तोष छाया हुआ है जिसके कारण तीन मजदूरों ने दिनांक १५ फरवरी, १९६५ से १९ फरवरी, १९६५ तक मिल गेट पर भूख हड़ताल की थी और दिनांक २९ फरवरी, १९६५ को अधिकांश मजदूरों ने काम बन्द कर दिया था ? यदि हां, तो इस असन्तोष के क्या कारण थे और अब क्या स्थिति है ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री बनारसीदास--

यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश सहकारी सूत मिल, इटावा में गत तीन मास से तीव्र असंतोष छाया हुआ है।

तीन श्रमिक मिल के अन्दर श्रमिकों से चन्दा वसूल करने के अपराध पर २५-१-६५ से नौकरी से निकाल दिये गये थे। नौकरी पर फिर रखे जाने की मांग पर दो श्रमिकों ने १५ फरवरी से और तीसरे ने १६ फरवरी, ६५ से भूख हड़ताल की। सहानुभूति में मिल के समस्त श्रमिकों ने २० फरवरी, ६५ से हड़ताल कर दी। परन्तु जिलाधीश इटावा के हस्तक्षेप से उसी दिन ३ बजे शाम को श्रमिकों की भूख हड़ताल व हड़ताल समाप्त हो गई।

बाद में सूती मिल मजदूर यूनियन, इटावा ने नोटिस दिया कि यदि १४-३-६५ तक उक्त तीनों श्रमिक काम पर न लिये जायेंगे तो श्रमिक १५-३-६५ से हड़ताल कर देंगे। परन्तु जिलाधीश, इटावा के हस्तक्षेप से तीनों श्रमिकों ने प्रबन्धकों को लिखित माफीनामा दिया और वे ९-३-६५ से काम पर ले लिये गये। अब मिल में शांतिपूर्वक काम चल रहा है।

*९५--श्री सहदेवसिंह--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गत जनवरी और फरवरी, १९६५ में मिल में कितना उत्पादन हुआ और यह उत्पादन नवम्बर और दिसम्बर, १९६४ की तुलना में कितना कम या अधिक है ?

श्री बनारसीदास--

इस मिल में नवम्बर व दिसम्बर, ६४ में क्रमशः ६२५२८ व ८३८३१ किलोग्राम सूत का उत्पादन हुआ। जनवरी, ६५ में ८६१२६ कि० ग्राम सूत का उत्पादन हुआ जो नवम्बर व दिसम्बर, ६४ की तुलना में क्रमशः २३५९८ व २२९५ कि० ग्राम अधिक है। इसी प्रकार फरवरी, ६५ में ७८९६६ कि० ग्राम सूत का उत्पादन हुआ जो नवम्बर, ६४ के उत्पादन से १६४३८ कि० ग्राम अधिक और दिसम्बर, ६४ के उत्पादन से ४८६५ कि० ग्राम कम है।

*९६-९७--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--

[११वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

## अतारांकित प्रश्न

१-२--श्री मैनेजरसिंह--

[९ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १८-१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

### गोंडा जिले में दुकान अधिनियम का प्रवर्तन

३--श्री सुखदेवप्रसाद, श्री सूरजलाल गुप्त वकील तथा सरदार बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर, एवं उतरौली, जिला गोंडा के बाजारों में एक दिन सप्ताह में बन्दी कानून क्यों नहीं लागू किया गया है ? यह देखते हुये कि इन जगहों की आबादी काफी है और श्रमिक एवं व्यापारी दोनों चाहते हैं कि बाजार बन्दी कानून लागू किया जावें, तो सरकार कब से लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास--

बलरामपुर में उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम आंशिक रूप से लागू है। उतरौला एक छोटा नगर है और निरीक्षण अधिकारियों की कमी के कारण अभी दूकान अधिनियम का वहां प्रसार किया जाना संभव नहीं है।

## बाराबंकी जिले को विकास अनुदान

४—श्री गिरजा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बाराबंकी जिला के विकास योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि नलकूप, पम्पिंग सेट, रहट, कुआं तथा बोरिंग के लिये विकास क्षेत्र-वार १९६४–६५ वर्ष में दी है ? क्या यह काम पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—

सूची संलग्न है। कुछ काम पूरे हो चुके हैं और शेष काम तकावी वितरण के १ वर्ष के अन्दर पूरे हो जाने की संभावना है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८५४–८५६ पर)

## रामनगर नगरपालिका में जनाना अस्पताल

५—श्री देवीदत्त (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल की रामनगर नगरपालिका में एक जनाने अस्पताल का भवन बनाने के लिये कितना धन जनता ने चन्दे से दिया और यह धन अब तक कहां जमा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

रामनगर, जिला नैनीताल में महिला अस्पताल के भवन निर्माणादि कार्य के हेतु प्राप्त १०,९०० रुपये की धनराशि सिविलि सर्जन, नैनीताल के पर्सनल लेजर एकाउन्ट में जमा है।

६—श्री देवीदत्त—

क्या सरकार इस एकत्रित धन से शीघ्र ही रामनगर में जनाने अस्पताल के भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। अभी महिला अस्पताल के लिये भवन बनाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

## प्रदेश में चीन के सामान की बाजारों में बिक्री पर आपत्ति

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन यदि आपकी आज्ञा हो, तो करना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्रीमन्, अभी कुछ दिन पहले इस सदन में कुछ चीनी सामान के बारे में चर्चा की गई थी, इधर से भी और उधर से भी। आज सारे बाजारों में खुले आम चीनी सामान बिक रहा है। मेरे पास यह बूट पालिश है, जिसपर "ब्लैकबर्ड लिखा है, यह चीनी सामान है जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह समस्या बड़ी गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष—

अगर बाद में कहते तो माननीया मुख्य मंत्री.....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जैसी आज्ञा हो, मैं बाद में कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष---

वह तो आपने अब कह ही दिया ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

इस तरह से एक बस्ती जिले बार्डर पर, और हमारे सारे सरहद पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है और बाजारों में भी पड़ रहा है । सब सामान पर चायनीज माल लिखा हुआ है । बूट पालिश पर "ब्लैकबर्ड" लिखा हुआ है । मैं सरकार का ध्यान और माननीया मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस गम्भीर स्थिति में इसकी तरफ से सतर्क हों जिससे समस्या ठीक हो ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, हो गया ।

## याचिका समिति (१९६४-६५) का पंचम प्रतिवेदन †

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)---

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति (१९६४-६५) का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

## कृषि-उपमन्त्री, श्री बलदेवसिंह आर्य के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आयी है, माननीय लखपतराम शर्मा ने भेजी है । उन्होंने प्रश्न यह किया था, माननीय मंत्री कृषि से, कि लोगों ने बयान हलफी दिये हैं, तो क्या सी०आई० डी० की जांच करने की कृपा करेंगे ? तो माननीय बलदेवसिंह आर्य ने कहा कि कोई हलफी बयान जिलाधीश को नहीं दिया गया है ।

अब माननीय उपमंत्री, कृषि विभाग को क्या कहना है इसके सिलसिले में ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री लखपतराम जी ने प्रश्न संख्या ४०, नत्थी "ग" में एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर मैंने यह दिया था कि दो शिकायतें जिलाधीश को मिली हैं । उन शिकायतों के साथ में कोई हलफी बयान नहीं था । अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मैंने उनको अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यहां दी है वह भी उपलब्ध सूचना के आधार पर दी है । मैंने अपनी ओर से जानबूझकर कोई ऐसी बात नही कही है, इसलिये उनका यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता । अगर यह इस पर जोर देते ही है कि यह बात सत्य नहीं है तो इसकी छान-बीन की जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष---

क्या मतलब यह है कि आप यह कह रहे हैं कि जो सूचना आपके पास उपलब्ध थी उसके अनसार आपने उत्तर दिया, लेकिन अब चूंकि यह विशेषाधिकार का प्रश्न आया है तो आप इसकी जांच करा लेंगे ।

---

† छापा नहीं गया ।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जो हां, मैं करा लूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

तो आप जांच करा लीजिये । जांच कराकर सूचना दे दीजियेगा ।

## अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही करने के विषय पर अभिसूचित कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--

अध्यक्ष महोदय, प्राप्त सूचना के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि १२ अप्रैल, १९६५ को अलीगढ़ विश्वविद्यालय की एडमीशन कौंसिल ने विश्वविद्यालय की उच्च तथा तकनीकी संस्थाओं में विश्वविद्यालय के तथा अन्य विद्यार्थियों के दाखिले का अनुपात ५० प्रतिशत प्रत्येक के लिये निश्चित किया । यह निश्चय विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या को अच्छा नहीं लगा ।

२५-४-६५ को अपरान्ह जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कोर्ट की यूनियन हाल में विश्वविद्यालय के पदों के निर्वाचन के लिये मीटिंग हो रही थी तो लगभग १५०० विद्यार्थियों ने इस निर्णय के विरोध में प्रदर्शन किया । विद्यार्थियों के पास ईटें, पत्थर, लाठियां तथा खाली बोतलें थीं और उन्होंने मांग की कि विश्वविद्यालय कोर्ट द्वारा बाहर के विद्यार्थियों के दाखिले के संबंध में हुए निर्णय को तुरन्त ही वापस लिया जाय । उन्होंने हाल में पत्थर और बोतलें फेंकना आरम्भ कर दिया । उपकुलपति ने टेलीफोन द्वारा पुलिस अधीक्षक को सहायता के लिये सूचना भेजी और पुलिस अधीक्षक थोड़ी देर पश्चात् ही पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच गये । संभवतः पुलिस के पहुंचने से विद्यार्थियों में उत्तेजना फैली और भीड़ काफी बढ़ गयी । भीड़ ने पुलिस को वापस जाने के नारे लगाये और पुलिस की तरफ बढ़ी । पुलिस पर ईट पत्थर भी चलाये गये तथा इससे पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस दल के कुछ सदस्यों को चोटें आईं । भीड़ ने पास ही खड़ी कारों को भी क्षति पहुंचाई । गम्भीर स्थिति तथा बढ़ती हुई हिंसा के फलस्वरूप यह देखते हुये कि भीड़ पुलिस पर काबू न पा ले, पुलिस ने अपने बचाव में ३ राउन्ड फायर किये, दो विद्यार्थियों के चोटें आईं । इसके पश्चात् कुछ देर के लिये विद्यार्थी तितर-बितर हो गये, परन्तु शीघ्र ही वे फिर एकत्रित हुये और पुलिस के विश्वविद्यालय के अन्दर आने का विरोध करने लगे तथा ईट पत्थर फिर फेंकने लगे । विद्यार्थी काबू से बाहर हो गये और विश्वविद्यालय के अधिकारियों को पुलिस के बुलाने के लिये दोषी ठहराने लगे । वे यूनियन हाल में मीटिंग के समय जबरदस्ती घुस गये और हाल में उपस्थित विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा अन्य उपस्थित लोगों को मारना आरम्भ कर दिया ।

अलीगढ़ में और पुलिस भेज दी गयी है और शांति तथा सुरक्षा की व्यवस्था के लिये उचित प्रबन्ध कर दिया गया है तथा प्रोहिबिटरी आदेश भी जारी कर दिये गये हैं । गश्त का प्रबन्ध भी कर दिया गया है तथा स्थिति अब काबू में है । हिन्सात्मक काम करने वालों तथा अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी । दो मुकदमें थाना सिविल लाइंस, अलीगढ़ में रजिस्टर किये गये हैं एक भारतीय दंड विधान की धारा १४७/३०७/३३२ के अन्तर्गत तथा दूसरा १४७/३०७/३२५ के अन्तर्गत तीन विद्यार्थी पकड़े गये हैं । ८ ने आत्म समर्पण किया है तथा ३ को विश्वविद्यालयों के अधिकारियों ने पुलिस को सौंपा है । आयुक्त तथा उप पुलिस महानिरीक्षक उसी दिन सायंकाल अलीगढ़ पहुंच गये तथा स्थिति की देखभाल कर रहे हैं ।

उप-कुलपति को काफी चोटें आई है । वह इस समय दिल्ली में है । गोली चलने की घटना के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये हैं । भारत सरकार को भी अवगत करा दिया गया है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

जो यह तीन छात्र पकड़े गये हैं वे भारतवर्ष के ही रहने वाले हैं या पाकिस्तान के रहने वाले हैं ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)

यह सूचना नहीं है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जिस दिन यह घटना हुई, क्या उस दिन पाकिस्तान एम्बेसी का भी कोई आदमी अलीगढ़ में, यूनिवर्सिटी कैम्पस में अथवा उसके बाहर था ?

श्री हरगोविन्दसिंह

ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वे वहां थे या नहीं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

जब पहले से यह आशंका थी कि विद्यार्थी उत्तेजित हैं और कुछ गड़बड़ी करेंगे, तो पुलिस ने पहले से सतर्कता क्यों नहीं बरती ?

श्री हरगोबिन्दसिंह—

चूंकि यह यूनिवर्सिटी के अन्दर की बात थी और इस बात की आशंका नहीं थी कि इस तरह से विद्यार्थी वाइस-चांसलर पर हमला करेंगे इसलिये पहले से कोई इन्तजाम नहीं किया गया ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

जब उपकुलपति और दूसरों पर मार पड़ने लगी तो पुलिस कहां थी और पुलिस की असावधानी के बारे में माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उसकी जांच हो रही है ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

क्या गोली चलाने के अलावा और कोई सूरत नहीं थी कि उसे अख्तियार करके गोली न चलानी पड़ती ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो उन्होंने बयान कर दिया है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

उपकुलपति के चोटें आने के बाद पुलिस बुलवाई गई या पहले आई ? और अन्दर घुसे हुए विद्यार्थियों और हाल के बीच में पुलिस ने घेरा क्यों नहीं डाला ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उपकुलपति हाल में थे, जैसे ही पुलिस अहाते में पहुंची लड़कों से मुठभेड़ हो गई ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद ही बृटिश राज्य से साम्प्रदायिक आधार पर है और जिस दिन यह झगड़ा हुआ उससे एक दिन पहले वहां पाकिस्तान के प्रेसीडेंट अयूब साहब के चित्र की पूजा की गयी थी, अयूब साहब भी इसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुये हैं । इस यूनिवर्सिटी का

[श्री राधेश्याम शर्मा]

सरकार के पास कोई इलाज नहीं है । क्या मेरी इस सूचना को सही मानकर इस यूनिवर्सिटी को सरकार अविलम्ब तोड़ने की कृपा करेगी ? क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

वह केन्द्र की यूनिवर्सिटी है, तो आप लोग यह सिफारिश केन्द्र को भेजिये ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गृह मंत्री, प्रश्नों से यह संकेत हो रहा है कि पाकिस्तान के कुछ तत्व हैं जो वहां के छात्रों को प्रभावित कर रहे हैं । माननीया मुख्य मंत्री ठीक कहती हैं कि वह यूनिवर्सिटी केंद्रीय सरकार के अधीन हैं और उसके अन्दर जो घटनायें होती हैं या जो प्रवृत्तियां वहां जागृत हो रही हैं, या जैसा माननीय राधेश्याम जी ने कहा, वह साम्प्रदायिक आधार पर चल रही है, तो आप सतर्क रहकर वहां के वातावरण को देखेंगे या केंद्रीय सरकार से कहेंगे, परामर्श करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हमारे आई० जी० (पी०) और कमिश्नर वहां गये हुये हैं । उसे हम काफी महत्व देना चाहते हैं । उन लोगों के आने पर हमारी तरफ से केंद्रीय सरकार से बातचीत होगी । हम भी होशियार रहेंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

लेकिन ला ऐंड आर्डर की हालत तो हमारे प्रदेश की खराब होती हैं । हम चाहते हैं कि सरकार तत्काल इसे बन्द करे और फिर केंद्रीय सरकार से बात करती रहे ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के विद्यार्थी भी मौजूद हैं ? यदि हां, तो उनकी लिस्ट उनके पास है या नहीं और क्या उनका कोई हाथ इस गड़बड़ी में था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं था और लिस्ट मेरे पास नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब १५०० विद्यार्थियों ने आन्दोलन की तैयारी की और आपकी इंटेलीजेंस और सेंटर की इंटेलीजेंस यूनिवर्सिटी में घूमती है तो उन्होंने कोई सूचना वहां के एस०पी० और जिला अधिकारियों को दी कि प्रदर्शन होने वाला है ? यदि हां, तो फौरन प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस बात की सूचना तो थी कि वहां छात्र उत्तेजित हैं इस प्रस्ताव पर । उसके पहले भी उन्होंने डिमांस्ट्रेशन किया था । लेकिन जब वाइस-चांसलर ने पुलिस बुलाई तो पुलिस वहां गई ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गृह मंत्री ने कहा कि चूंकि यूनिवर्सिटी के अन्दर की बात थी, यूनिवर्सिटी कैम्पस की बात थी, इसलिये उन्होंने कार्यवाही नहीं की ।

श्री नेकराम शर्मा---

मेरा सवाल यह है कि सेंट्रल इंटेलीजेंस और प्रदेश की इंटेलीजेंस ने वहां के जिलाधिकारियों को सूचना दी या नहीं और अगर दी तो सरकार ने पहले से प्रबन्ध क्यों नहीं किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

लड़के जरूर एजीटेटेड थे लेकिन यह आशंका नहीं थी कि ऐसी घटना होगी। कोर्ट की मीटिंग हो रही थी और एजेंडे पर यह प्रश्न भी था। उसके बारे में लड़के डिमांस्ट्रेशन कर रहे थे। उस समय वहां के जिलाधिकारियों ने और पुलिस ने ठीक ही समझा कि बिना बुलाये पुलिस को नहीं जाना चाहिये।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

सत्य सत्य ही है। प्रश्न यह है कि पाकिस्तान का दिमाग खराब है। उसका असर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर है। वाइस-चांसलर पर हमला होना छोटी बात नहीं है। क्या माननीय मुख्य मंत्री इस यूनिवर्सिटी को डिसबेंड करने की सेंटर से सिफारिश करने के लिये तैयार हैं ताकि पाकिस्तान का दिमाग इन स्टूडेन्ट्स के जरिये और ज्यादा खराब न हो सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जैसा मैंने पहले कहा, यह सेंटर की यूनिवर्सिटी है। ला ऐंड आर्डर मेनटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर उनकी कोई यूनिवर्सिटी के जरिये ला ऐंड आर्डर पर खराब असर पड़ता है तो उसे भी हमें नोट करना है। जब तक हमारे पास वहां की पूरी खबर न आ जावे तब तक हमारे लिये यहां कुछ करना संभव नहीं है। जब पूरी खबर आ जायेगी तो मैं खुद केंद्र में जाऊंगी और इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करूंगी।

कुंवर श्रीपालसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिस प्रश्न को लेकर यह झगड़ा हुआ, यानी ५० फीसदी लड़के बाहर के और ५० फीसदी यनिवर्सिटी के लिये जायं, जैसा कि पहले भी यही था, लेकिन जब तैयब जी वाइस चांसलर होकर आये तब उन्होंने इस प्रस्ताव को तोड़ा और शायद २५ और ७५ प्रतिशत कर दिया। प्रेजेंट वाइस चांसलर श्री यावरजंग ने फिर उसी पुराने प्रस्ताव को रखा जिसका लड़कों द्वारा विरोध किया गया है और उसका एकमात्र कारण यही है कि पाकिस्तान ने जिस दिन हमारे देश पर हमला किया तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों ने, जिनमें एक अच्छी खासी संख्या पाकिस्तानी लड़कों की है। जो हमारे ही रुपये से पढ़ते हैं और यहां ट्रेनिंग पाकर पाकिस्तान का काम करते हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी के मुस्लिम लड़कों को इसी आधार पर भड़काया कि ५० फीसदी हो जाने से मुस्लिम लड़के कम और हिन्दू लड़के अधिक आ जायेंगे, उन्होंने उप-कुलपति को पिटवाया और पुलिस से लड़वाया, क्या माननीय मंत्री जी के पास इसकी सूचना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि पहले ५० प्रतिशत ही था, फिर २५ और ७५ प्रतिशत हो गया और प्रेजेंट वाइस चांसलर ने उसे फिर ५० प्रतिशत कर दिया, यह बात सही है। अब पाकिस्तानी लड़के वहां पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, यह तो सर्व विदित है, उस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूं। यह बात कि उस झगड़े में केवल मुस्लिम लड़के थे, हमारी रिपोर्ट ऐसी नहीं है। हमारी रिपोर्ट में है कि यूनिवर्सिटी के मिले-जुले लड़के थे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या माननीया मुख्य मंत्री बतायेंगी कि उन लड़कों ने अन्दर घुस कर कोर्ट के सभी व्यक्तियों को मारने पीटने के बजाय कुछ विशेष व्यक्तियों को ही मारने पीटने का टारगेट बनाया ? यदि हां, तो जिनको टार्गेट बनाया वे कौन-कौन लोग थे और उनके क्या नाम हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वाइस चांसलर को चोट पहुंची है। बाकी नाम हमारे पास नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, हमको और आपको पता है कि सन् ३५ से लेकर सन् ४७ तक जब पाकिस्तान बना। यह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इस आन्दोलन का केंद्र रही। सन् ४७ से लकर सन् ५२ तक इस उत्तर प्रदेश में जितने हिन्दू मुस्लिम दंगे हुये, उसके संचालन और उसके शुरुआत का भी केंद्र अलीगढ़ विश्वविद्यालय ही रहा। फिर सन् ५७ से लेकर आज तक उर्दू की आड़ में यहीं से मुसलमानों के साम्प्रदायिक संगठन का संचालन होता रहा है। इसके अलावा जब कंजरकोट पर पाकिस्तान का हमला हुआ उसके बाद ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में यह गड़बड़ी हुई और उसी के दो दिन बाद टीकाराम गर्ल्स कालेज में शर्मनाम घटना हुई और उसी के दूसरे दिन डाक्टर फरीदी साहब ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में उर्दू भाषा के नाम पर हंगामा किया। ये चार घटनायें हुई हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा षड़यंत्र का अड्डा हो रहा है, इन सब बातों को देखते हुये क्या आप अपनी सारी पुलिस को अलीगढ़ में विद्यमान असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की और उन पर कड़ी निगाह रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह जो सारी थिसिस माननीय काशीनाथ जी ने दी है, मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूं लेकिन यह सही है कि पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया है और प्रो पाकिस्तान एलिमेंट देश के अन्दर कोई गड़बड़ी न कर सकें इसके लिये हम उन पर कड़ी निगाह रखेंगे और जिनको गिरफ्तार करने की जरूरत होगी उनको गिरफ्तार भी किया जायगा, क्योंकि हम इस समय किसी किस्म की ऐसी कोई बात बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं जिससे कि हमारे देश के ऊपर खतरा हो।

श्री अध्यक्ष--

इस हाउस में जो बातें कही गयी हैं, जब आप सेंटर में जायं, तो यहां की भावनायें भी आप उनको कनवे कर देंगी।

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, हमें इस बात की सही सूचना मिली है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो विज्ञान की पढ़ाई होती है, वहां हथगोले और राइफल्स जैसे हथियार बनाये जाते हैं और वे पाकिस्तान को सप्लाई किये गये हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी हमारी इस सूचना को सही मानकर जो विज्ञान का केन्द्र है उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस झगड़े में दोनों फिरके के तालिबइल्म शरीक हैं और जो दूसरे फिरके के तालिबइल्म हैं उनका सम्बन्ध जनसंघ से है ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि १९४७ में भारत के आजाद होने के पहले हिन्दू मुस्लिम लड़कों का वहां पर क्या परसेंटेंज था और आज १९६५ में उनका क्या परसेंटेंज है ? अगर मेरी सूचना को आप मानते है तो इंजीनियरिंग कालेज में ४० परसेंट दूसरे फिरके के लोग वहां तालीम पा रहे हैं, तो फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अन्दर हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान का सवाल जो उठाया गया, इस पर मैं जानकारी चाहूंगा कि अलीगढ़

यूनीवर्सिटी के बारे में आया वही खयाल जो कि हमारे जन संघ के भाइयों का है, वही खयाल इस सरकार का भी है ? (शोर)

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया । )

श्री शौकत हमीद खां (जिला मेरठ)--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन-जिन जगहों पर स्टूडेंट इनडिसिप्लिन हुई है, क्या उन सब को बंद करने का विचार उनका है ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं, बन्द करने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कालेज से जितने विद्यार्थी पास हुये उनमें से कितने भारतवर्ष में काम कर रहे हैं और कितने पाकिस्तान में ?

श्री अध्यक्ष--

अब यह विषय समाप्त ।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, एक प्रश्न बहुत आवश्यक है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बध में जितनी बातें कही गई हैं उनको देखते हुये क्या एक कमीशन, एक आदमी का या तीन आदमियों का बैठा कर के सारे मामले की जांच कराने की कृपा करेंगे जो अपनी रिपोर्ट यहां प्रस्तुत करें ?

श्री अध्यक्ष--

यह कैसे हो सकता है ? यह तो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी है ।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब यह विषय समाप्त होता है, कृपा करके बैठ जायं ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है इसी सम्बन्ध में । आपने एक व्यवस्था दी थी कि दूसरे सदन में जो कुछ होता है उसको हम यहां कोट नहीं करेंगे और किसी प्रकार उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे । लेकिन डाक्टर फरीदी ने जो कुछ भी प्रदर्शन किया परिषद में, उसके विषय में यहां उल्लेख किया गया और उन्होंने जो कुछ भी किया उस व्यवहार को प्रो-पाकिस्तानी एलीमेंट बताया गया और यह कहा गया कि जो पाकिस्तान का कंजरकोट पर हमला हुआ.... (शोर)

मेरी बात सुननी पड़ेगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

उर्दू के प्रश्न को अंग्रेजी के माध्यम से उठाना, यह पाकिस्तानी एजेंटों का ही काम किया.....

श्री भानुप्रतापसिंह--

श्रीमन्, मैं इस प्रकार की असहिष्णुता को उचित नहीं समझता हूं, यह इस सदन की मान-मर्यादा के विरुद्ध है। उन्होंने जो कुछ भी कहा एक तो उसका उल्लेख इस सदन में नहीं होना चाहिये था जैसी कि आप व्यवस्था दे चुके हैं, और दूसरी बात जो उल्लेख किया गया वह इस प्रकार से किया गया, तो आप उसको प्रोसीडिंग्स से निकलवाने की कृपा करेंगे, यह मेरी मांग है।

(शोर)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

आप कृपा कर अभी व्यवस्था न दें। व्यवस्था देने से पहले आप मुझ सुन लें। (व्यवधान) आपने कहा था कि मुख्य मंत्री के वक्तव्य के बाद आप इस पर विचार करेंगे कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करें या नहीं। मेरा निवेदन है कि जो बातें माननीय मंत्री जी के उत्तर में आयीं, आप देखें कि उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, हम लोगों को अपनी जानकारी प्रश्नों के माध्यम से देने में कितनी कठिनाई है, कितने संकुचित रूप से हम दे सके हैं, अपने विचार भी हम नहीं दे सके हैं, मुख्य मंत्री जी के हमारी इन भावनाओं के साथ सम्मिलित होते हुए भी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर सीधे सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। हमारी भावनाओं को सुनने और सुनाने का अवसर नहीं मिला। मैं समझता हूं कार्य-स्थगन प्रस्ताव की आप स्वीकृति देंगे। मुझे आज्ञा देंगे कि मैं अनुज्ञा मांगूं और सदन के विचारों से आप अवगत हो चुके हैं। यहां सब का विचार है कि इस विषय पर विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने एक प्रश्न उठाया है, माननीय काशीनाथ मिश्र ने एक घटना का उल्लेख किया है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने एक सिलसिला कहा और आपको अख्तियार है कि उसे मानें या न मानें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

एक बात आप मेरी सुन लें, पूर्व इसके कि आप अपने विचार व्यक्त करें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

आपने कहा था कि इस प्रकार की बातों को हाउस में न आने देंगे। आपने हमारी बात को सुना नहीं..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

किस किस्म की बातें आनी चाहिये, किस किस्म की नहीं आनी चाहिये, आप अपनी पार्टी से पूछिये। अब सवाल यह है कि काम रोको प्रस्तावों.....

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। इस सदन में दो बातें कही गईं। एक तो माननीय गंगा प्रसाद ने खड़े होकर यह कहा कि जितने मुसलमान यहां बैठे हुये हैं, सब पाकिस्तानी हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने नहीं सुना।

श्री चन्द्रजीत यादव--

उन्होंने खड़े होकर सदन में कहा ।

अनेक सदस्य--

नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष--

अगर यह बात कही गई तो गलत कही गई और रिकार्ड में नहीं आयेगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

माननीय काशीनाथ मिश्र ने कहा.....

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)--

श्रीमन्, मैं उनकी जानकारी के लिये एक बात कह दूं....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

जो माननीय काशीनाथ मिश्र ने कहा, उसकी पूरी प्रोसीडिंग मंगा कर आप देखें, तो पायेंगे कि उन्होंने एक जुमले में यह कहा कि पाकिस्तान ने जो हमला किया, उसी सम्बन्ध में प्रो-पाकिस्तानी विद्यार्थियों और डाक्टर फरीदी का जो कौंसिल में आचरण हुआ है, उस सबको एक साथ जोड़ कर कहा । उसके बारे में मैं समझता हूं, जैसी कि आपने रूलिंग दी है कि अगर दूसरे सदन के माननीय सदस्य कुछ बातें कहें, उनके बारे में यहां जिक्र नहीं होना चाहिये...

(व्यवधान)

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था के बाद माननीय सदस्य कुछ नहीं कह सकते ।

श्री अध्यक्ष--

मैं व्यवस्था दे चुका हूं कि उन्होंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

श्रीमन्, यह चीन और पाकिस्तान की मिली-भगत है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि मेरी व्यवस्था हो चुकी है और अब उस बारे में आप कुछ न कहिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

अगर एक सदन के सदस्य दूसरे सदन के सदस्य को अपमानित करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है और यह दोनों के लिये घातक है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

जो कामरोको प्रस्ताव है, उसके विषय में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यहां के विचार वह केन्द्र में प्रस्तुत कर देंगी, इसके बाद मैं समझता हूं कि अब कामरोको प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है । इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

## नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना आई थी, उसे मैंने स्वीकार नहीं किया है।

## प्रदेश के विभिन्न जिलों में चेचक के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

गत दो वर्षों से जनवरी, १९६५, से अप्रैल तक के चेचक के प्रकोप के आंकड़ों को देखते हुये इस वर्ष प्रदेश में चेचक का प्रकोप बहुत ही कम है। यह तथ्य इससे सिद्ध हो जाता है कि इस वर्ष की मृत्यु संख्या १९६४ की इसी अवधि की मृत्यु की संख्या .....

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हम साढ़े १२ बजे से चुनाव का कार्यक्रम शुरू कर पायेंगे। अतः आज साढ़े ५ बजे तक चुनाव की कार्यवाही चलेगी।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

एक आपसे क्लेरीफिकेशन चाहूंगा। आपने कहा कि माननीया मुख्य मंत्री जा कर केन्द्र में विचार रखेंगी। तो कौन सा विचार रखेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

वह विषय समाप्त हो चुका है। अब आप बैठ जायं।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

तो मैं कह रहा था कि मृत्यु संख्या का १/३ से भी कम है और इसी प्रकार १९६३ की मृत्यु संख्या का १/१२ है।

बुलन्दशहर, कानपुर, आजमगढ़, गोंडा, इलाहाबाद एवं बस्ती के जिलों में चेचक विशेष के अधिक प्रकोप की ओर विशेषतया ध्यान आकर्षित किया गया है। इस सम्बन्ध में बुलन्दशहर को छोड़कर अन्य ५ जिलों में चेचक का प्रकोप बहुत ही कम है और अधिकतर रोगी चिकन-पाक्स या मीजल्स के ही हैं जो कि खतरनाक नहीं हैं और घातक भी नहीं हैं। साधारणतया बुखार के तुरन्त पश्चात् ही हर प्रकार के दानों को जन साधारण अज्ञानवश चेचक ही कहते हैं और यही जनता में आतंक का कारण बन जाता है। जहां तक बुलन्दशहर जिले का प्रश्न है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों में टीका लगवाने के प्रति विशेषतया नवजात शिशु तथा बालकों में प्रतिरोध है जिसके फलस्वरूप इनकी एक बड़ी संख्या अपने को टीका लगवाने से बचा लेती है। फलतः चेचक का प्रकोप इन्हीं लोगों में चल रहा है और अधिकांशतः बच्चे ही इस रोग के शिकार हो रहे हैं। इसका केवल एक मात्र समाधान यही है कि जनता चेचक के टीकों को अपनायें।

जहां तक बीमारी के रोक थाम का प्रश्न है, हर प्रकार के संभव उपाय शासन द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं। रोग ग्रसित क्षेत्रों में सामूहिक रूप से टीके लगाये जा रहे हैं और प्राथमिक टीकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इन चार महीनों में बुलन्दशहर में लगे टीकों में लगभग ५० प्रतिशत प्राथमिक टीके बच्चों को लगाये गये हैं।

उपर्युक्त अवधि में सम्पूर्ण प्रदेश में ५९,३०,५७७ टीके लगे हैं जिसमें से प्रश्नगत ६ जिलों में ५,७०,८०० से अधिक टीके लग चुके हैं। इन जिलों में प्रदेशीय एवं क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी दौरा कर रहे हैं और सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को बीमारी की रोकथाम में सहायता दे रहे हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है और इस वर्ष की स्थिति गत वर्षों की तुलना में कोई चिन्ताजनक नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिन लड़कों, पुरुषों या स्त्रियों को टीका लगाया गया, उन्हें भी चेचक की बीमारी हुई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

चेचक नहीं निकली हैं, बल्कि मीजिल्स और खसरा है। यह दूसरी बात है कि हर प्रकार के दाने को चेचक मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह तो पूछते हैं कि जिनको टीका लगाया गया, उनकी मृत्यु हुई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

चेचक से मृत्यु नहीं हुई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश की आबादी अथवा जनगणना के अनुसार टीका न लगाये जाने का कारण क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जितने लोग लगवाना चाहते हैं, हमें कोई इनकार नहीं है। हम तो प्रयत्न करके हर बच्चे से बड़े तक को चेचक का टीका लगाने की कोशिश करते हैं।

मैं निवेदन कर दूं कि टीका लगाना जरूरी है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आदेश हैं कि इस तरह की बीमारी फैले तो टीके अवश्य लगाये जायं, लेकिन जब बड़ी आबादी है और टीके लगाये गये हैं तो मैं नहीं मान सकता.....

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि जब रूल है कि टीके सबको लगाये जायं तो वह टीके क्यों नहीं लगते ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

यह चेचक उन्मूलन का कार्य हमारे यहां बराबर जारी है और पूरे प्रदेश के लिये हमारी कोशिश है कि हर आदमी के टीके लगाये जायं और नये बच्चों तक के लगाये जायं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

चेचक छूत की बीमारी है और उसके रोगी के लिये विशेष रूप से चिकित्सा की व्यवस्था होती है, तो इन जिलों में इन छूत की बीमारियों के लिये कितने बेड्स हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चेचक के लिये कोई खास अलग से बैड नहीं हैं, जो छूत रोगों के बैड हैं उन्हीं में यह लोग भी रखे जाते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

एक दो बैड्स से अधिक वहां नहीं हैं। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ५ जिलों के अस्पतालों में कितने ऐसे रोगियों की चिकित्सा कराई गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इन जिलों में कोई भीषण प्रकोप है, मेरी सूचना के अनुसार ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

चिकिन पाक्स बच्चों, पुरुष और स्त्रियों के निकलती रहती है और मौतें टीके लगाने के बावजूद भी होती रहती हैं । क्या मंत्री जी कोई व्यवस्था करेंगे कि जिससे ऐसी व्यवस्था हो सके कि इसके निकलने के कारण का पता लग सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

स्माल पाक्स की तो रोकथाम होती है लेकिन मीजिल्स और चिकिन पाक्स के लिये अभी नहीं है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि टीकों के जो आंकड़े दिये जाते हैं वे वास्तविक नहीं होते हैं बल्कि वह वैक्सीनेटर फर्जी भर देता है ? इस सम्बन्ध में इलाहाबाद की जिला परिषद् में प्रश्न आया और कहा गया कि अमुक गांव में टीके लगे हैं लेकिन वहां लगे ही नहीं थे । क्या मंत्री जी भविष्य के लिये व्यवस्था करेंगे कि जो आंकड़े दिये जायं उनके वास्तव में टीके लगें ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यदि इसके लिये वह कोई स्पेसिफिक कम्पलेंट देंगे तो उसकी जांच होगी और शिकायत सही साबित होने पर सख्त सजा दी जायगी ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बुलन्दशहर जिले में विशेष रूप से क्यों ज्यादा चेचक है और क्यों अधिक मौतें हुई हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

पहले ही निवेदन किया कि वहां पर कुछ लोगों को टीका लगवाने में एतराज थे, राजी नहीं थे लेकिन कोशिश करके वहां लगाने का प्रयत्न किया गया ।

वहां १९३ सीजर्स और १४० मौतें हुईं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

चेचक को ही स्माल पाक्स कहते हैं, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह चिकिन पाक्स ज्यादा मुर्गी खाने से होती है जो कि बुलन्दशहर में ज्यादा खाये जाते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया । )

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन जिलों में चेचक के प्रकोप से लड़ने के लिये उन्होंने कितना अस्थायी और स्थायी स्टाफ लगा रखा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इसके फीगर इस समय मेरे पास नहीं हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में चेचक उन्मूलन के लिये पूरी कोशिश हो रही है और जरूरी स्टाफ दिया जा रहा है । एक बात और कह दूं कि नियम ५२ के अन्तर्गत दो सूचनायें आपको दी गयीं । इन दोनों सूचनाओं में से नाथूराम शिक्षक जी की जो सूचना है उसमें यह दिया हुआ है कि सैकड़ों मौतें हो रही हैं और दूसरी सूचना में यह दिया है कि हजारों मौतें हो रही हैं तो स्पष्ट है कि माननीय सदस्यों को स्वयं मौतों की जानकारी नहीं है ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान तहसील मंझनपुर जो कि हेडक्वार्टर भी है, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर अगर वे जांच करा लें तो सैकड़ों की तादाद में मौतें हुई हैं या नहीं, पता चल जायगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है।

श्री अध्यक्ष---

जिम्मेदारी छोड़िये। स्पेसिफिक बात कहिये।

श्री नाथूराम शिक्षक---

मेरी सूचना है कि टीकों को प्रायः नष्ट कर दिया जाता है और झूठी संख्या बता दी जाती है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे कि यह सही है अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

आप किसी व्यक्ति विशेष को बताइये। कोई स्पैसिफिक केस बताइये।

श्री नाथूराम शिक्षक---

श्रीमन्, मैं बताऊंगा।

## टीकाराम गर्ल्स डिग्री कालेज, अलीगढ़, में विद्यार्थियों द्वारा छात्राओं के साथ कथित अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)---

प्राप्त सूचना के अनुसार २२ अप्रैल, १९६५ तथा २४ अप्रैल, १९६५ को टीकाराम गर्ल्स डिग्री कालेज में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। कालेज के प्रिंसिपल से पुलिस के गजटेड अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत जांच की गई और उन्होंने प्रस्ताव में उल्लिखित किसी घटना का होना वहां नहीं बताया। कोई परीक्षा नहीं हटी है और नहीं किसी प्रकार से जनता में बेचैनी, परेशानी और असंतोष फैला हुआ है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सामान्य पुलिस का प्रबन्ध किया गया है। पुलिस में इस प्रकार की किसी घटना की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है।

२४ अप्रैल, १९६५, को धर्म समाज डिग्री कालेज में परीक्षा आरम्भ होने से पहले एक लड़की को एक फेंका हुआ पत्थर लगा जिससे उसके माथे पर थोड़ी-सी चोट आई परन्तु पुलिस में इसकी रिपोर्ट न तो लड़की ही ने की और न उसके अभिभावक ने ही की तथा न कोई रिपोर्ट कालेज के अधिकारियों की तरफ से ही की गयी। इसलिये इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---

यहां सदन में कुछ देर पहले यह कहा गया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में कि वहां पर विदेशी लोगों के जरिये से गड़बड़ हुयी। तो क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि धर्म समाज डिग्री कालेज में उन छात्राओं पर जो कि परीक्षा देने जा रही थीं आर० एस० एस० और जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं ने हमला किया और लड़कियों को मारा, पीटा और बुरा व्यवहार किया ? यदि नहीं, तो क्या इस बात की वे जानकारी करवायेंगे ?

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

माननीय रिजवी को अपनी बात की सत्यता का प्रमाण भी देना पड़ेगा। मैं उनके विरुद्ध प्रिविलेज का नोटिस देता हूं।

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जैसा मैंने अभी निवेदन किया, टीकाराम गर्ल्स कालेज में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुयी। धर्म समाज डिग्री कालेज में एक लड़की को एक फेंका हुआ पत्थर लगा।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

माननीय मंत्री जी यह भी कह रहे हैं कि कोई घटना नहीं हुयी और यह भी कह रहे हैं कि एक लड़की के फेंके हुये पत्थर से चोट लगी है और उन पर हमला हुआ....

श्री अध्यक्ष---

वे यह कहां कह रहे हैं ?

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

इस सदन में जितने भी सदस्य यहां पर (इधर) बैठे हुये हैं, उनके बारे में यह कहा है कि फलां मुल्क के गद्दारों से यह सब हुआ है, लेकिन जितनी पार्टी उनकी वफादार है उससे भी कम और पार्टियों में नहीं हैं। आज तक जितने भी झगड़े हुये हैं इस पार्टी (जनसंघ) का हाथ नहीं रहा है, यह कहना गलत होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, इसका तो प्रमाण मिल चुका है कि कौन गद्दार है और कौन गद्दार नहीं है।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद---

शराफत हुसैन जी से मैं जानना चाहूंगा कि उनकी सूचना का आधार क्या है सिवा समाचार पत्रों के जब कि वे यहां सदन में उपस्थित थे। क्योंकि उन्होंने जनसंघ के लोगों पर आरोप लगाया है इसलिये वे अपनी सूचना का आधार बतला दें। मैंने प्रिविलेज का नोटिस दे दिया है लिहाजा बाद में वे कोई बात मैन्युफैक्चर न कर सकें, ज्यादा से ज्यादा वह झूठ बोलेंगे, इसलिये अपनी बात का आधार वे इसी समय सदन में बतला दें।

श्री अध्यक्ष---

जो सूचना आपने दी थी वह समाप्त हुई। अब जो कायदा है उसके अनुसार आप अलग से कार्यवाही करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, आप बातों को टाल देते हैं। कोई पाकिस्तानी कहे, कोई मुसलमान कहे और हम सब लोग सुनें ?

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये। बिला वजह आप बात उठाते हैं। आपकी पार्टी वाले भी कहते हैं, पहले उनको समझाइये।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

कोई भी पार्टी हो, उसका विरोध होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा, अब आप बैठ जाइये।

# इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र में कारखानों के लिये उपजाऊ भूमि सरकार द्वारा लिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--

इस सदन में तथा सदन के बाहर सदा इस बात पर बल दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का औद्योगीकरण द्रुत गति से किया जाय । राज्य सरकार भी इस दिशा में काफी प्रयत्न कर रही है और भारत सरकार से बराबर यह मांग करती रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योग खोले जायं जिससे इस पिछड़े प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा जनता को रोजगार मिले जिससे बेकारी दूर हो सके ।

राज्य सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत सरकार ने कुछ भारी उद्योगों की स्थापना के लिये इस प्रदेश में विभिन्न स्थानों का सर्वेक्षण कराया । हाल ही में केन्द्रीय सरकार के उच्च अधिकारियों ने, रूसी तथा आस्ट्रियन विशेषज्ञों के साथ, इलाहाबाद जिले में नैनी क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के पश्चात् उस स्थान को प्रारम्भिक तौर पर--(१) हैवी पम्प्स एवं कम्प्रेसर फैक्टरी, (२) हैवी एग्रिकल्चरल फैक्ट्री, (३) रेलवे की स्टील कास्टिंग फैक्ट्री, तथा (४) रेलवे वैगन वेल्डिंग फैक्ट्री स्थापित करने के लिये उपयुक्त करार दिया । इसके पश्चात् भारत सरकार के उद्योग तथा रेल मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ लखनऊ में एक मीटिंग की गयी जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराने के लिये यह आवश्यक है कि इस स्थान की जमीन की भार क्षमता तथा कंटूर सर्वे आदि के विषय में विस्तृत विवरण १५ जून, १९६५, तक उनके पास भेज दिया जाय। इसी संबंध में सर्वेक्षण तथा मिट्टी की जांच की सूचना एकत्र करने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो दल नैनी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ।

भारत सरकार को इन कारखानों की स्थापना तथा उनसे सम्बद्ध आवास गृहों के लिये लगभग ३,००० एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी । जमीन को अधिग्रहण करने के लिये अभी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है । मोटे तौर पर अभी जो नक्शा बनाया गया है उससे यह अनुमान है कि १६ गांव प्रभावित होंगे । इनमें से चक माधो दीक्षित, चकगुलाम मुहम्मद, चक नौनिया, गोवर्धनपुर तथा मदनुआ अपरहर नामक ५ गांवों में कोई आबादी नहीं है । लवाइकलां, मवइया उपरहार, नैनी तालुका, दादरी चक, बबूरा, आलिमाबाद सदवा कलाँ तथा महुआरी नामक ६ गांवों की आबादी अधिग्रहण के प्रस्ताव में नहीं सम्मिलित की गई है । इस प्रकार से भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव से केवल नेवादा समोधर लवांइखुर्द, बैलवट, पूरे पांडे तथा बारिका नामक ५ गांवों की मुख्य आबादी प्रभावित होगी । इसके फलस्वरूप ६५४ परिवा ों के ३,१३९ व्यक्ति प्रभावित होते हैं । परन्तु ऐसा अनुमान है कि भूमि अधिग्रहण करने का अन्तिम रूप से जो प्रस्ताव बनेगा उसमें कुछ कम परिवार प्रभावित होंगे । चूंकि भूमि अधिग्रहण करने के लिये अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, इसलिये संबंधित व्यक्तियों को किसी प्रकार का नोटिस या मुआवजा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता । जब भी भूमि ली जायगी संबंधित व्यक्तियों को उचित मुआवजा दिया जायगा ।

खाई तथा मुंडा नामक गांवों के बीच एक बड़ा भूमि का टुकड़ा है जो कम उपजाऊ है, परन्तु इसके भी अधिकांश भाग में खेती होती है । खाली जमीन बहुत कम है । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की भूमि असमतल है तथा इसके बीच एक नाला भी बहता है। मुंडा गांव इलाहाबाद-मिर्जापुर सड़क से ९ मील भीतर हटकर है । अतः यातायात, बिजली व पानी की सुविधा आदि की दृष्टि से यह क्षेत्र उपयुक्त नहीं है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार के विशेषज्ञ किसी स्थान को चुनते समय वहां पर बिजली, पानी की उपलब्धता, यातायात के साधन तथा अन्य सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं । इन सभी सुविधाओं को देखते हुये नैनी के पास उन्होंने जिस स्थान को चुना है उसमें अब किसी प्रकार का परिवर्तन करना संभव नहीं है ।

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने सर्वेक्षण के लिये कुछ स्थानों पर झंडियां गाड़ी थीं जिन्हें बाद में हटा लिया गया। कुछ छोटे-छोटे खम्भे भी गाड़े गये हैं और मिट्टी को जांच के लिये कुछ गड्ढे भी खोदे गये हैं। परन्तु न तो किसी खेत की मेंड़ गिराई गयी है और न उपज की हानि का प्रश्न उठता है क्योंकि खेतों में इस समय कोई उपज नहीं है। मकानों पर झंडियां गाड़ने तथा उनको गिराने की तैयारी करने की बात असत्य है क्योंकि जब तक भूमि अधिग्रहण नहीं की जाती तब तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। सरकारी अधिकारियों ने ग्रामवासियों की एक सभा बुलाई थी जिसमें उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण कार्य किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। संबंधित इंजीनियर ने भी ग्रामीणों को यह आश्वासन दे दिया है कि जांच कार्य पूर्ण होते ही गड्ढे भर दिये जायेंगे।

शुरू में हैवी पम्प्स एवं कम्प्रेसर फैक्ट्री, हैवी स्ट्रक्चरल्स फैक्ट्री तथा रेलवे की स्टील-कास्टिंग फैक्ट्री स्थापित की जायगी। इन फैक्ट्रियों की अनुमानित लागत लगभग ३०–३५ करोड़ रुपये होगी। बाद में रेलवे वैगन प्लांट बिल्डिंग भी स्थापित किया जायगा जिस पर अनुमानतः लगभग २० करोड़ रु० की लागत लगेगी। इस तरह इन फैक्ट्रियों पर लगभग ५५ करोड़ रु० की लागत लगेगी। इन प्रायोजनाओं के प्रारम्भिक चरण में लगभग ६,००० व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और जब इनकी स्थापना पूर्ण रूप से हो जायगी इससे भी कहीं अधिक व्यक्तियों को रोजगार में लगाया जायगा। भारत सरकार के अधिकारियों ने इस बात का आभास दिया है कि जहां तक सम्भव हो सकेगा हर ऐसे परिवार के एक सदस्य को जिनकी जमीन ली जायगी, रोजगार दिया जायगा।

इतनी बड़ी लागत के चार कारखाने लगने से नैनी तथा आस-पास के क्षेत्र का विकास बहुत बड़े पैमाने पर हो जायेगा। वहां पर अनेकों छोटे-बड़े कारखाने तथा अन्य व्यवसाय स्वतः विकसित हो जायेंगे और रोजगार की कमी नहीं रहेगी। अनेकों स्कूल, कालेज, अस्पताल, बाजार तथा नयी बस्तियां बन जायेंगी जिससे नैनी के निवासियों को उन्नति करने का पूर्ण सुअवसर प्राप्त हो जायेगा। इतने बड़े लाभ के लिये किसानों तथा अन्य निवासियों को अपनी जमीन का त्याग अवश्य करना पड़ेगा परन्तु राष्ट्रीय एवं सामाजिक हित में उन्हें तथा हम सबको इन कारखानों का स्वागत करना चाहिये।

## राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ, के छात्रों को डिप्लोमा न दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

*समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

उत्तरीय क्षेत्र समिति, कानपुर, ने सलाह दी कि ललित कला, व्यापारिक कला तथा मूर्ति कला के पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय टेक्निकल कौंसिल द्वारा निर्धारित नेशनल डिप्लोमा के पाठ्यक्रम के अनुरूप परिवर्तित कर दिया जाय। यह इसलिए कहा गया था कि नये डिप्लोमा का स्तर पुराने डिप्लोमा से ऊंचा हो।

इस उद्देश्य को लेकर इस वर्ष विद्यार्थियों का प्रवेश इस डिप्लोमा के पाठ्यक्रम के अनुसार किया गया। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का हित सामने रखकर उनका पाठ्यक्रम भी नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार परिवर्तित कर दिया गया। यह नया कोर्स पांच साल की अवधि का है। पहले, तीसरे तथा चौथे वर्ष के पश्चात् जो परीक्षायें होती हैं वह होम एग्जामिनेशंस हैं और परीक्षाओं को करने की जिम्मेदारी कालेज की है। प्रश्न केवल नीचे की परीक्षाओं के संबंध में हैं :—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(१) द्वितीय वर्ष के बाद परीक्षा,

(२) ५ वर्ष के पश्चात् की परीक्षा जिसके अन्त में डिप्लोमा दिया जाता है ।

इस विषय में अखिल भारतीय कौंसिल से प्रार्थना की गयी है कि वह द्वितीय वर्ष तथा ५वें वर्ष के पश्चात् होने वाली परीक्षायें कंडक्ट करें । परन्तु उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की और यह कहा कि अखिल भारतीय कौंसिल धीरे-धीरे परीक्षा लेने का कार्य-कम कर रही है और परीक्षा संबंधी कार्य प्रत्येक राज्य में उस राज्य के स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन द्वारा किए जा रहे हैं इसलिए राज्य के स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन से प्रार्थना की गयी कि वहां द्वितीय वर्ष के अन्त में तथा ५ वर्ष के कोर्स की परीक्षाओं का प्रबंध करें । इन परीक्षाओं के संचालन के लिए टेक्निकल एजूकेशन ऐक्ट में संशोधन करना आवश्यक है । अतः विद्यार्थियों के हित में यह निश्चय किया गया कि केवल इस साल द्वितीय वर्ष के अन्त में होने वाली परीक्षा कालेज के द्वारा ही करायी जाय । यह कहना कि स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन ने परीक्षा लेने से इनकार कर दिया, सत्य नहीं है । संबंधित विद्यार्थियों से वे ही फार्म भरवाये गये हैं जो अन्य डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट परीक्षा के परीक्षार्थियों से भरवाये गये । द्वितीय वर्ष के अन्त में होनेवाली इस वर्ष की परीक्षा को स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन से मान्यता प्राप्त होने की पूरी आशा है ।

एडवांस डिप्लोमा का स्तर वर्तमान डिप्लोमा से निश्चय ही ऊंचा है तथा नेशनल डिप्लोमा से किसी भी प्रकार नीचा नहीं होगा । इस नये डिप्लोमा का नाम भले ही नेशनल डिप्लोमा न रहे क्योंकि नेशनल शब्द उन्हीं परीक्षाओं से संबंधित होता है जिनकी परीक्षा अखिल भारतीय कौंसिल से होती है, परन्तु यह पूर्ण रूप से निश्चित है कि हमारे कालेज के एडवांस डिप्लोमा होल्डर्स नौकरियों में नेशनल डिप्लोमा होल्डर्स की समानता कर सकेंगे ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं नियम ११३ (१) के अन्तर्गत पाकिस्तानी सेना का शान से मुकाबला करने के लिए अपनी सेना के लिए बधाई का प्रस्ताव लाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

वह आप इस समय कैसे ला सकते हैं ?

कुंवर श्रीपालसिंह—

नियम ११३ के अन्दर बधाई का, और कन्डोलेंस और विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों को जिनका उसमें जिक्र है, किसी समय बिना सूचना लाया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

वह माननीय मुख्य मंत्री जी के परामर्श से ही लिया जा सकता है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

किन्तु नियम में तो कोई ऐसा उल्लेख नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

नियमों में तो उल्लेख नहीं है लेकिन यह परंपरा है कि ऐसे प्रस्तावों का विरोध नहीं होना चाहिए और न उसकी अस्वीकृति की संभावना होनी चाहिए । अतः आप कृपया मुख्य मंत्री जी से बातचीत कर के तब लाइए ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, मेरी विशेषाधिकार की सूचना थी . .

श्री अध्यक्ष--

आप सदन में नहीं थे तो मैं क्या करूं ? उन्होंने कहा है कि उनको जो सूचना थी उसी के अनुरूप उन्होंने उत्तर दिया है लेकिन आपकी सूचना भिन्न है, तो वह इन्क्वायरी करायेंगे और आवश्यक कार्यवाही करायेंगे ।

## स्वच्छता निरीक्षकों की आजीविका तथा उससे सम्बन्धित अन्य विषयों का विनियमन बनाने हेतु प्रस्ताव

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)--

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं--

"चूंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता से प्रशासन से संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों (Sanitary Inspectors) की आजीविका के विनियमन का विषय सामान्य महत्व का है और उससे संबंधित समस्यायें सभी राज्यों के लिए एक-सी हैं ; और उक्त प्रयोजन के लिए विधि, भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची २ की प्रविष्टि ६ और प्रविष्टि ११ में प्रगणित विषयों से संबद्ध है जिनके संबंध में संसद को, संविधान के अनुच्छेद २४९ तथा २५० में की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त राज्यों के लिए कोई भी विधि बनाने का अधिकार नहीं है । और चूंकि सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा ऐसी विधि बनाई जानी चाहिए :

अतएव अब भारत के संविधान के अनुच्छेद २५२ के खंड (१) के अनुसरण में यह सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि स्वच्छता निरीक्षकों (Sanitary Inspectors) की आजीविका तथा उससे संबंधित समस्त अन्य अथवा आनुषंगिक विषयों का विनियमन इस राज्य में संसद के अधिनियम द्वारा किया जायगा ।

अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में बहुत मुख्तसर में यह अर्ज कर दूं कि भारत सरकार को कांस्टीट्यूशन की रोशनी में यह अधिकार नहीं है कि वह ऐसा कोई बिल लाकर कानून बना सके लेकिन अगर किसी राज्य सरकार के विधान मंडलों की बैठकों में यह प्रस्ताव पास हो जाय, तो वह ऐसा कानून बना सकती है । चूंकि यह सनीटरी इंस्पेक्टर का मसला सारे देश में है तो यह जरूरी है कि उसके लिए एक से नियम बनें, एक से रेगुलेशन बनें और एक से कैरीकुलम बनें । इसी दृष्टि से इस बात की जरूरत समझी गयी कि पार्लियामेंट एक कानून बना दे तो उसके हिसाब से हम अपने प्रदेश में भी इस कार्य को करें । इसलिए यह छोटा-सा संकल्प है और इसको पास करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए । मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य इसको स्वीकार करें ।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

मैं इसका विरोध करता हूं । माननीय मंत्री जी ने केवल यही कारण बतलाये कि ट्रेनिंग के विषय में एक-सी सहूलियत मिल जायगी और एक तरह की उनकी ट्रेनिंग होगी । मैं माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि अभी शिक्षा संस्थाओं की बात आई और जितने हमारे उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बगल में जब केंद्रीय सरकार के कर्मचारी बैठते हैं और एक ही किस्म का काम करते हैं तो उनकी तनख्वाह में बहुत अन्तर हो जाता है । उनको अलग-अलग तनख्वाह दी जाती है । अलग-अलग उनको महंगाई-भत्ता दिया जाता है । इतना ही नहीं बल्कि जो आयोग बैठाया गया उसने भी उनकी महंगाई और तनख्वाह के बारे में अपना निर्णय दिया और दो-दो बार उनको महंगाई भत्ता दिया जा चुका है । यहां पर मैं देखता हूं कि हम अभी किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे हैं । जो अवधि ३० अप्रैल तक थी वह भी अब बढ़ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जा रही है। इस तरह की हरकत यहां पर हो रही है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब सेनीटरी इंसपेक्टरों का एक कैडर होगा तो उसकी व्यवस्था क्या होगी। क्या आप उनको एक किस्म की तनख्वाह दे सकते हैं? क्या आप उनको एक किस्म का महंगाई भत्ता दे सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेनीटरी इन्सपेक्टर होंगे उनको जो सहूलियत मिलेगी क्या आप भी उनको वही सहूलियत देंगे?

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां टाउन एरिया में, नोटिफाइड एरिया में और नगरपालिका के अन्दर अलग अलग ग्रेड हैं और यह सरकार भी उनके साथ तरह तरह का बरताव करती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि नगरपालिकाओं में और टाउन एरिया में जो कर्मचारी हैं, सेनीटरी इंसपेक्टर हैं उनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। हां, इस सरकार ने ब्लाक्स के अन्दर एक नई प्रणाली कायम की है। वहां पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था है। मगर मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अगर हम अपने यहां से इस प्रस्ताव को पास करके भेज देते हैं २५२ (२) के अधीन तो हमको फिर उस कानून को रिपील करने का अख्तियार नहीं है। जो हमारी पावर सेनीटरी इन्सपेक्टरों के लिए कानून बनाने की है उससे हम महरूम हो जाते हैं, जो अभी तक व्यवस्था रही है वह यह है कि हमको अपनी पावर बढ़ानी चाहिए न कि घटानी चाहिए। तो जो पावर इस सदन को है उस पावर को मंत्री जी केंद्रीय सरकार को सरेंडर कर रहे हैं। अगर एक बार हम पावर को सरेंडर कर दें तो फिर हम दोबारा कानून नहीं बना सकते जैसा कि २५२ (२) में दिया है।

अभी एक बात माननीय मंत्री जी ने कही कि २४९ और २५० आर्टिकिल में हमको पावर नहीं है। मैं मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि उसमें आपकी पावर की जरूरत नहीं है। २४९ के अनुसार राज्य सभा २/३ बहुमत से किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सिफारिश कर सकती है और २५० के अनुसार इमरजेंसी में किसी भी स्टेट लिस्ट के विषय पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। इस समय इमरजेंसी है ही। अगर इमरजेंसी समाप्त हो गयी होती तो उस समय यह प्रस्ताव लाना ठीक था। ऐसी हालत में केंद्र कानून बना सकता है। अब रहा रिपगनेन्ट होने के बारे में। २५१ में यह दिया हुआ है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बनाये और केंद्र भी बनाये तो स्टेट का कानून उस हद तक रिपगनेंट होगा जिस हद तक वह केंद्र के कानून के कंट्रेडिक्शन में आता है। अगर कोई ऐसा कानून सेनीटरी इंसपेक्टर्स के बारे में केंद्रीय सरकार बनाती है तो वह हमारे यहां लागू हो सकता है। मंत्री जी के वक्तव्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि इस समय व्यवस्था क्या है। कौन सी ऐसी हालत है जिसकी वजह से वह अपने अधिकार उनको देने जा रहे हैं। आपके यहां सेनीटरी इंसपेक्टर्स आदि को ट्रेनिंग आदि देने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती तो हमको विचार करने का मौका था, लेकिन कोई ऐसी बात मंत्री जी ने नहीं बतलायी इसलिए हमको अपने राइट को सरेंडर नहीं करना चाहिए।

केंद्रीय सरकार द्वारा जो कानून बनेगा उससे जो सेनीटरी इंसपेक्टर टाउन एरियाओं, नोटीफाइड एरिया तथा म्युनिसिपैलिटीज में काम कर रहे हैं उनकी स्थिति में क्या कोई बढ़ोत्तरी होगी, या उनका पे स्केल बदलेगा, या कोई फर्क पड़ जायगा? यह कानून दूसरे प्रदेशों में भी लागू होगा तो क्या उसके अनुसार वे एक प्रदेश में से दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर किए जा सकेंगे? जब तक यह चीजें न मालूम हों, हमारे सामने एक कठिनाई है। २५२ में अगर केंद्रीय सरकार कोई ऐसा कानून बना दे तो हमारे यहां का कानून रिपील हो जायगा और हमको कोई पावर नहीं कि हम दूसरा कानून बना सकें।

**श्री अध्यक्ष**—

सारा नहीं रिपील होगा। जितना कंट्रेडिक्टरी होगा, वही रिपील हो जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—

जब हम सरेंडर कर देंगे तो हमको कोई पावर नहीं रहेगी। श्रीमन्, आपने २५१ के बारे में कहा है। २५० में अगर कोई कानून बनायेंगे तो उनके लिए २५१ में दिया हुआ है कि केंद्रीय कानून प्रिवेल करेगा जहां तक स्टेट का कानून कंट्रेडिक्टरी होगा। तो इसका कारण क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त दूसरे शेड्यूल की नम्बर ६ पर दिया हुआ है पब्लिक हेल्थ ऐंड सेनीटेशन, हास्पिटल्स ऐंड डिस्पेंसरीज। इसमें ड्रैग कर के आप सेनीटरी इंसपेक्टर्स को ला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन के साथ आपको हमदर्दी है, और उनके लिए आप कानून बनवाना चाहते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां जो डाक्टरों की कमी है, अस्पताल खुले पड़े हुए हैं और कानून के खिलाफ कम्पाउन्डर्स से काम चला रहे हैं। जनाने अस्पताल में भी डाक्टरों की कमी है। तो एक यूनिफार्म बेसिस पर जितने अस्पताल हैं उनको कायम करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था केंद्रीय सरकार से क्यों नहीं कराते कि ऐसा कोई कानून बने कि जितने डाक्टर्स हैं उनका भी वही स्टैन्डर्ड और पे स्केल हो जो केंद्रीय सरकार का है? यदि हेल्थ का ताल्लुक है जो जितनी बातें केंद्रीय सरकार कर रहीं है, अगर उस बेसिस पर पैरा ६ के मुताल्लिक कोई बात बनायी जाय तब तो ठीक है, लेकिन सेनिटरी इंसपेक्टर का कोई मामला इसके अन्तर्गत भी नहीं आ रहा है। इसलिए अगर राइट्स हम एक बार सरेंडर कर देंगे तो फिर रह नहीं जायगा और केंद्रीय सरकार का कानून ही चालू होगा, उसको रिपील वगैरह करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए जो प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्री ने रखा है मैं उसका घोर विरोध करता हूं।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि प्रस्ताव की भाषा से कुछ गलतफहमी हो गयी है। उसमें एक शब्द "आजीविका' आ गया है, शायद उसी की वजह से वह समझ रहे हैं कि पे-स्केल वगैरह की बात इसमें होगी। लेकिन "आजीविका" का अर्थ अंग्रेजी में है 'कालिंग 'प्रोफेशन' 'वोकेशनल' यानी डिक्शनरी में जो दिया हुआ है, चूंकि हम उस लफ्ज के आदी नहीं है . .

श्री अध्यक्ष—

मैं खुद पूछ रहा था कि "आजीविका" क्या है।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

डिक्शनरी में "कालिंग" का अर्थ दिया हुआ है "आजीविका"। इसलिए इसमें यह अर्थ दिया गया है। तो जो बिल बनेगा उसमें पे-स्केल की कोई बात नहीं है जैसाकि उनका खयाल है कि शिक्षा संबंधी संस्थाओं का एक पे-स्केल नहीं हुआ।

दूसरी बात यह है कि आज भी हमारे डाक्टर्स के बारे में क्या सिलेबस है और क्या करीकुलम है, इसके संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का एक ऐक्ट है उसके द्वारा इंडियन मेडिकल कौंसिल बनी हुई है, उसके अन्तर्गत यह काम होता है। ऐसे ही फार्मेसिस्ट कौंसिल बनी हुई है, वह भी सेंट्रल ऐक्ट के मातहत बनी है तो यह सेनीटरी इंसपेक्टर्स के लिए ही नहीं हो रहा है। भारत सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट का खयाल था कि स्वास्थ्य संबंधी काफी काम करता है सेनिटरी इंसपेक्टर, इसलिए तमाम देश के अन्दर एक सी उसकी पढ़ाई, ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन हो जैसी कि डाक्टर्स वगैरह की होती है। इसलिए वह बिल लाया जायगा। उसमें कोई तनख्वाह तय करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। यह तो एक प्रोग्रेसिव चीज है, अच्छाई की चीज है, इसलिए यह प्रस्ताव पेश किया गया है।

श्री कमलासिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सफाई दी उससे तो अब और खतरा सामने आ गया कि जब एक किस्म की पढ़ाई और ट्रेनिंग होगी. .

श्री अध्यक्ष--

माननीय कमलासिंह, यह संशोधन पर बहस नहीं हो रही है, प्रोसीजर का सवाल है। जब आप बोल चुके तब मंत्री जी ने उसका उत्तर दे दिया। अब दोबारा सवाल नहीं हो सकता।

श्री कमलासिंह यादव--

स्पष्टीकरण तो कर ही सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--

यह स्पष्टीकरण नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

मैं जानना चाहता हूं कि "कालिंग" का जो ट्रांस्लेशन "आजीविका" किया गया है, अगर अदालत में दूसरी जगह जायगा तो उसके जो माने लिये जायेंगे वह भिन्न तो नहीं हो जायंगे उससे जोकि इनका मंशा है। इसलिये दो दिन इन्तजार करें और जब सही-सही शब्द मिल जाय तब वह रखा जाय तो ठीक होगा। मंत्री जी को जब स्वयं ही निश्चय नहीं है और एक भ्रमात्मक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ....

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मैं तो निश्चित हूं।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं, श्रीमन्, इसका विरोध करता हूं। अगर यह वेतन सब का एक समान कर दें तो नहीं करूंगा।

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इसमें वेतन समान करने का सवाल नहीं है, वह तो जो इन्डियन मेडिकल काउंसिल है वह करती है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संकल्प स्वीकार किया जाय--

"चूंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रशासन से सम्बन्धित स्वच्छता निरीक्षकों (Sanitary Inspectors) की आजीविका के विनियमन का विषय सामान्य महत्व का है और उससे सम्बन्धित समस्यायें सभी राज्यों के लिये एक-सी हैं;

और उक्त प्रयोजन के लिये विधि, भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची २ की प्रविष्टि ६ और प्रविष्ट ११ में प्रमाणित विषयों से सम्बद्ध है जिनके सम्बन्ध में संसद को, संविधान के अनुच्छेद २४९ तथा २५० में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त राज्यों के लिये कोई भी विधि बनाने का अधिकार नहीं है;

और चूंकि सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा ऐसी विधि बनाई जानी चाहिये;

अतएव, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद २५२ के खंड (१) के अनुसरण में यह सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि स्वच्छता निरीक्षकों (Sanitary Inspectors) की आजीविक तथा उससे सम्बन्धित समस्त अन्य अथवा आनुषंगिक विषयों का विनियमन इस राज्य में संसद के अधिनियम द्वारा किया जायेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

# उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५ †

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, इस प्रकार का विधेयक इस सदन के अन्दर १९५६ में पास हुआ था और यह बाम्बे के १९५३ के अधिनियम के आधार पर बनाया गया था। उस विधेयक के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के अन्दर कुछ आपत्ति उठायी गयी और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऐक्ट की कुछ धाराओं को अवैध घोषित कर दिया। सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन था कि इसी ऐक्ट में संशोधन कर दिया जाय या नया विधेयक सदन के सामने लाया जाय।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, रूल १३८ के मुताबिक मैं चाहूंगा कि इससे संबंधित जो भी पेपर्स हों, वह दे दिये जायं ताकि उसे हम देख लें। इसमें सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दिया है, क्या उनकी आपत्ति है यह मालूम हो जाय ताकि हम इस पर बहस कर सकें।

श्री बनारसीदास—

माननीय कमलासिंह जी तो वकील हैं, वे जानते हैं कि सन् १९५६ में एक विधेयक पास हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कुछ धाराओं को अवैध घोषित कर दिया। उसी के फलस्वरूप यह विधेयक लाना पड़ा। कोई पेपर्स नहीं हैं। क्यों हम यह लाये हैं, यह मैं बता रहा था।

(इस समय १ बज कर २१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय, पीठासीन हुये।)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आब्जेक्शन्स किये, क्या जजमेंट हुआ, किस आधार पर आप यह विधेयक लाये हैं, यह सब हमें मालूम होना चाहिये और उसके पेपर्स मिलने चाहियें।

श्री अधिष्ठाता—

जजमेंट प्रिन्टेड डाकूमेंट होता है, उसे माननीय सदस्य स्वयं देख सकते हैं। बाम्बे ऐक्ट को भी आप देख सकते हैं। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बनारसीदास—

. बाम्बे ऐक्ट के बारे में जो आपने निवेदन किया, उसका भी एक कारण है, माननीय कमला सिंह जी स्वयं इस बात पर गौर करेंगे। वे संविधान को अच्छी तरह समझते हैं। यह जो अधिनियम है, यह कोई संशोधन नहीं है बल्कि मूल रूप में हम उसे सदन के सामने पेश कर रहे हैं। यदि वह हमारे संविधान के विरुद्ध हो तो आप आपत्ति कर सकते हैं। इस वक्त जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है उसका एक ही मकसद है और वह यह है कि हमारे सूबे में जितने भी कल-कारखाने हैं और जो इस तरह के अधिष्ठान हैं, जिनमें काम करने वालों को मजदूरी की शक्ल में, बोनस की शकल में, ग्रेच्युइटी की शक्ल में, हाउस एलाउंस की शक्ल में या किसी और शक्ल में जो रुपया उनको मिलना चाहिये अगर तीन सान के अन्दर कोई एग्रीमेंट न हो और वह उसे न मिल सके तो जो मजदूरों का रुपया है उसका एक फंड हो जिसका नाम श्रम कल्याण निधि रखा गया है और उस श्रम कल्याण निधि के अन्दर गवर्नमेंट भी ग्रांट-इन-एड दे सकती है। इसके

---

† २६ अप्रैल, १९६५, की कार्यवाही में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अलावा अधिष्ठान के मालिक लोग मजदूरों के कल्याण के लिये कोई धनराशि रखते हैं तो गवर्नमेंट को यह अधिकार हो कि उनकी प्रार्थना पर गवर्नमेंट उस धनराशि को उस फंड के अन्दर शरीक कर ले। इसका लक्ष्य रखा गया है कि मजदूरों के हित के लिये मनोरंजन वगैरह की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी चलाने की व्यवस्था हो, उनकी स्त्रियों के लिये तथा और जो परिवार के बेरोजगार लोग हैं उनके लिये कुटीर उद्योग की व्यवस्था करना--ये सब कुछ श्रम कल्याण निधि के कार्य हैं। चिकित्सा में मदद करना और इस प्रकार के दूसरे कार्य करना--इसी के लिये यह फंड बनाया गया है।

इस विधेयक के अन्दर इस बात की व्यवस्था की गयी है कि गवर्नमेंट एक कमेटी बनावे जिसका चेयरमैन गवर्नमेंट किसी को बनावे। उसमें लेबर वेलफेयर कमिशनर होगा और उसका एग्जीक्यूटिव आफिसर होगा। उस कमेटी में लेबर और सेवायोजकों का प्रतिनिधित्व रहेगा। हमारे यहां के कल कारखानों में श्रमिकों की काफी तादाद है और इस बात की शिकायत है कि उनके अन्दर बहुत से मजदूरों की धनराशि बिना क्लेम किये हुए रह जाती है जिसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। अब श्रम कल्याण निधि के बन जाने से श्रम कल्याण कार्य करने में इस धन का फायदा होगा। इस तरह से यह इस प्रकार का विधेयक है जिसको शीघ्र से शीघ्र पास किया जाना चाहिये ताकि ऐसी निधि का निर्माण किया जा सके जिससे जो धनराशि मजदूरों को नहीं मिल पाती है और कारखाने के अन्दर पड़ी रह जाती है उसका सही इस्तेमाल मजदूरों के कल्याण के लिये किया जा सके। इसीलिये विधान परिषद् ने इस पर विचार करके इसे पास किया है और अब यह विधान सभा के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है। ऐसा विधेयक जितनी जल्दी पास किया जायगा उतना ही मजदूरों का हित सम्पादन होगा। इसलिये, अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन के सामने इसे विचारार्थ पेश करता हूं और आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

*श्री कमलासिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो कि अपना प्रतिवेदन १ मास में प्रस्तुत कर दे।

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने बतलाया है कि इस विधेयक का पास होना बहुत जरूरी है लेकिन इस विधेयक के उद्देश्य और कारण जो दिये गये हैं उन के पढ़ने से मालूम हुआ कि हमारे माननीय मन्त्री जी इस मामले में कितने सजग हैं। इसमें उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९५६, के बारे में दिया गया है कि बाम्बे लेबर वेलफेयर फन्ड ऐक्ट, १९५३ जो बना था उस के कुछ महत्वपूर्ण उपबन्धों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में दावा दाखिल किया गया था जिस की वजह से माननीय मन्त्री जी ने १९५६ के अपने विधेयक के इन्फोर्समेंट को रोक दिया। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप ने एक विधेयक बनाया १९५६ में, और यह भी देखा कि बहुत ज्यादा अर्जेन्ट वह विधेयक है और उसका एन्फोर्समेंट भी जल्द से जल्द हो जाना चाहिये तो वजह क्या थी और क्या यह कहना काफी है कि चूंकि बम्बई में एक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया गया इस लिए मैंने इसको स्थगित कर दिया। अगर यह बात है कि जो समस्या आप इस विधेयक के द्वारा हल करने जा रहे हैं, उस को यह महत्व आप देते हैं, तो फिर जो दलील आप ने इस सदन में इसकी अर्जेंसी के बारे में दी है, मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं है। श्रीमन्, मैंने लाइब्रेरी में भी देखा, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे यहां की लाइब्रेरी ऐसी नहीं है कि जहां पर जो विधेयक या अमेंडमेंट हमें चाहियें वह मिल सके और चूंकि आप की रूलिंग हो गयी इसलिए मेरा मुंह बन्द है। यह सरकार तो चाहती है कि जो कानून वह आज बनाये चार दिन बाद फिर उसका अमेंडमेंट माननीय मन्त्री जी लावें। यह, प्रणाली जो इस तरह की चल रही है कि विरोधी दल के लोगों को कोई भी कागज जो कानून के मुताल्लिक हो वह न मिल सके,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

और माननीय मन्त्री जी इतनी भी सहानुभूति नहीं रख सकते कि अपोजीशन उन कागजों को पढ़कर उनकी मदद कर सके। कानून को बनाने में तो इससे बढ़कर अफसोस की बात और क्या हो सकती है?

इसके बाद मैं यह उम्मीद कर रहा था कि माननीय मन्त्री जी इस बिल को प्रस्तुत करते समय बतलायेंगे कि बम्बई का विधेयक जो १९५३ में बना था उसमें कौन-कौन-सी बातें थीं, जो सुप्रीम कोर्ट में रखी गयीं और उसके बाद किस रूप में उसमें परिवर्तन हुआ। माननीय मन्त्री जी आधार तो बताते हैं कि बाम्बे के ऐक्ट के आधार पर १९५६ का हमारा ऐक्ट बना लेकिन मन्त्री जी ने यह नहीं बताया कि वहां जो अमेंडमेंट किया गया १९६१ में उसके द्वारा क्या-क्या परिवर्तन उन्होंने किये हैं। अगर वह इन बातों के ऊपर प्रकाश डालते तो कुछ समझ में बात आ सकती थी। लेकिन अगर माननीय मन्त्री जी के पेट में हो, उनके दिमाग में हो, वह बात रह गयी तो अपोजीशन तो उससे कोई लाभ उठा नहीं सकेगा। फिर भी विधेयक जिस रूप में सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, मुझे बड़ा अफसोस है कि ऐसी गलत नीतियां उसमें रखी गयी हैं कि मुझे उसका विरोध मजबूरन करना पड़ रहा है। जहां तक नीति का प्रश्न है कि ऐसी परिषद् स्थापित होनी चाहिये, मैं मन्त्री जी से इसमें सहमत हूं और इसीलिए मैंने इसे जानते हुये जनमत जानने के लिए भेजने का प्रस्ताव नहीं रखा है। सेलेक्ट कमेटी में भेजने का जो मेरा प्रस्ताव है वह इसीलिए है कि इस बिल के अन्दर जो खराबियां हैं, क्लाज बाई क्लाज सेलेक्ट कमेटी में उसको देखा जायगा और सूचारु रूप से वहां इस पर विचार हो सकेगा क्योंकि यहां तो माननीय मन्त्री जी 'जल्दी' में हैं और वोट की भी जल्दी उनको है। इसलिए माननीय मन्त्री जी इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने को तैयार हो जायं तो बहुत अच्छी बात होगी और इस पर सुचारुरूप से एक-एक क्लाज पर वहां विचार हो सकेगा। लेकिन अगर माननीय मन्त्री जी बहुमत के बल पर इसे पास कराना चाहते हैं कि यह पास हो जाय और अपोजीशन को कोई मौका न मिले इसे अच्छी तरह देखने का, तो मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी तो मुख्य मन्त्री ही हैं इस प्रदेश के, जैसा चाहें वैसा कानून पास करा सकते हैं। इसमें दो रायें भी नहीं हो सकती हैं। लेकिन जहां तक विधेयक का प्रश्न है, मैं अवश्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जल्दबाजी में कोई गड़बड़ी न करें। जबकि वह विधेयक के कागजात, जिन पर यह आधारित है, अगर हमको नहीं दे सकते तो कम से कम हमें बताने की कोशिश करें ताकि हम उस पर कुछ विचार कर सकें। जो मेरी समझ में आया है इस विधेयक को पढ़ने से उसे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं।

परिषद् की स्थापना के बारे में धारा ४ में दिया गया है कि किस तरह उसकी स्थापना होगी, मन्त्री जी ने बताया कि उसमें एक अध्यक्ष होगा जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा और इसके बाद सेवायोजकों और कर्मचारियों के बराबर बराबर संख्या में प्रतिनिधि होंगे, जो कि सरकार नियुक्त करेगी। और इसके साथ ही साथ यह है कि जो राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये नियत किये जायेंगे, वही नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। एम्प्लायर और एम्प्लाई जो हैं, उनकी संख्या बराबर मन्त्री जी रखना चाहते हैं। एक मेहरबानी जरूर की है कि एक महिला सदस्या को भी मौका दिया गया ताकि उनसे भी कम से कम एक या दो जैसे माननीय मन्त्री जी चाहें, स्वतन्त्र सदस्य के रूप में इस परिषद् के मेम्बर हो सकेंगे। (घ) में यह दिया गया है कि परिषद् के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने के लिए श्रम कल्याण आयुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी होगा। जब मैं अनर्हताओं की ओर देख रहा हूं तो मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उसके अन्दर आपने यह दिया है जो सदस्य होंगे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगी, वह इस बिल में दी हुई हैं। लेकिन अध्यक्ष के बारे में कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आपने नहीं दी है, जिसका मतलब यह है कि अध्यक्ष वैतनिक अधिकारी भी हो सकता है, दिवालिया भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है, जो किसी अदालत से

नैतिक पतन के लिए दोषी ठहराया गया हो, ऐसे आदमी को भी हम अध्यक्ष बना सकेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी का ऐसा करना उचित नहीं होगा और इसीलिए मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर धारा ५ के अन्तर्गत कहीं भी ऐसी बात होती है कि जो परिषद् का अध्यक्ष या सदस्य है, दोनों के लिए यह डिस्क्वालिफिकेशन है, तो किसी हद तक हम समझ सकते थे। सदस्य के लिए यह दिया हुआ है कि परिषद् का वैतनिक अधिकारी परिषद् का सदस्य नहीं हो सकता है। इतने से ही हमें सन्तोष नहीं रखना चाहिये। क्योंकि जो नौकर है, वह तो अध्यक्ष हो ही नहीं सकता। हमें तो यह दिखलाना चाहिये कि परिषद् के किसी काम में यानी कांट्रैक्ट वगैरह में अगर कोई भी काम जो परिषद् कर रही हो, उसमें किसी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इन्टरेस्ट हो, तो ऐसे आदमियों को भी हम चाहते हैं कि परिषद् का मेम्बर नहीं होना चाहिये। लेकिन इसके लिए कोई व्यवस्था इस विधेयक के लिए नहीं है। जब तक इसके अन्दर माननीय मन्त्री जी यह न जोड़ दें कि कोई भी लाभप्रद पद रखने वाला या कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इन्टरेस्ट रखने वाला व्यक्ति इसका सदस्य नहीं हो सकता, तब तक मैं समझता हूं कि यह विधेयक पूर्ण नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि परिषद् का अध्यक्ष या सदस्य कम से कम ऐसा होना चाहिये जो परिषद् का कोई प्राफिट का आफिस होल्ड न करता हो।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं मन्त्री जी को यह बताना चाहता हूं कि जहां तक मेम्बरों की डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है, या हटाने का सवाल है, उसके लिए माननीय मन्त्री जी ने यह दिया है कि जो परिषद् की लगातार तीन से अधिक बैठकों में परिषद् की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहा हो, उसको पद से हटा दिया जायगा। मैं मन्त्री जी से वजह पूछना चाहता हूं कि किसलिये ऐसी बात रख रहे हैं। कोई सदस्य परिषद् का मुलाजिम तो है नहीं जो छुट्टी ले करके आ सकता है। और इस प्रकार सदस्य के लिए बाध्यता रखना शर्म की बात होगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति में इन बातों पर दोनों तरफ से विचार होना जरूरी है ताकि जो इस प्रकार की खामियां हैं, वह दूर हो सकें, और इस विधेयक को सही रूप दे सकें। जहां तक इम्प्लायर्स और एम्प्लाईज की संख्या का सवाल है, हम देखते हैं कि मन्त्री जी ने बराबर बराबर संख्या रखी है। आज पार्टीबन्दी तो होगी ही। ऐसे मामले में जहां पार्टीबन्दी से बैठने का सवाल हो, वहां पर बड़े लोगों की मदद नहीं करनी चाहिये बल्कि छोटे लोगों की और मजदूरों की मदद होनी चाहिये और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मजदूरों तथा कर्मचारियों की संख्या अधिक होनी चाहिये। जो आपने बराबर संख्या देकर अध्यक्ष के हाथ में कठपुतली बना रखा है कि वह जिधर जायेंगे, उसकी जीत होगी, मैं समझता हूं कि, यह ठीक नहीं है। कर्मचारी अधिक तादाद में हैं, उनका इन्टरेस्ट क्लैश करता है, इसलिए इसकी रक्षा करने के लिए तथा उन की संख्या देखते हुये मजदूरों का प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिये, ताकि वे अपने इन्टरेस्ट को परिषद् के सामने रख सकें और अपनी दिक्कतें दूर करा सकें।

जहां तक स्वतन्त्र सदस्यों का सवाल है मेरी समझ में नहीं आता कि यह स्वतन्त्र सदस्य कहां के लोग होंगे और किसलिए होंगे। इसके अलावा जो महिला सदस्य की व्यवस्था इस में दी गयी है, वह कौन होगी, उसके बारे में भी विधेयक में कहीं कोई जिक्र नहीं है। और न ही स्वतन्त्र सदस्य और महिला सदस्या की क्वालिफिकेशन्स का इस विधेयक में जिक्र है। अभी कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालय के विधेयक पर चर्चा के समय हमने यह देखा था कि कोर्ट के सदस्य जो होंगे, उनका नामिनेशन एक्सपर्ट्स में से होगा, लेकिन इस विधेयक में किस प्रकार की महिला का नामिनेशन सरकार करने जा रही है, कुछ समझ में नहीं आता। यह भी कुछ समझ में नहीं आता कि कौन-सा इन्डिपेंडेंट मेम्बर होगा जिसको माननीय मन्त्री जी परिषद् का मेम्बर बनायेंगे। मैं चाहूंगा कि सरकार के सामने कोई ऐसी चीज होनी चाहिये जिसके द्वारा माननीय मन्त्री जी सेलेक्शन कर सकें। जब तक यह चीज न होगी उस समय तक पार्टीबन्दी और पार्शियलिटी हो सकती है। अगर माननीय मन्त्री जी इसको दूर रखना चाहते हैं तो माननीय मन्त्री जी को इस विधेयक के अन्तर्गत अथवा रूल्स में ऐसी कोई बात अवश्य रख

[श्री कमलासिंह यादव]

देनी चाहिये कि किस महिला को और किस इन्डिपेंडेंट मेम्बर को आप परिषद् के मेम्बर के रूप में नामिनेशन करना चाहते हैं। अगर हम को इसकी झलक भी मिल जाय तो हम उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। लेकिन यह जो विधेयक हमारे सामने है, उसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है कि उसमें किस प्रकार के लोगों को सरकार रखेगी।

जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, कर्मचारी की परिभाषा को पढ़ कर तो मुझे बहुत निराशा हुई। कर्मचारियों की परिभाषा में लिखा हुआ है कि---"कर्मचारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अधिष्ठान में भाड़े या पारितोषिक पर, कोई कुशल या अकुशल, शारीरिक या लिपिक कार्य करने के लिए सेवायोजित हो और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो पर्यवेक्षी कार्य करने के लिए सेवायोजित किया गया हो, यदि उसकी मजदूरी चार सौ रुपये प्रति माह से अधिक न हो।

श्रीमन्, यह देखा जा रहा है कि आज के इस स्वतन्त्रता के युग में भी मजदूरों को जो मजदूरी मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल रही है। यदि मजदूरी बिलकुल न दी जाय तो बेगार होगी, लेकिन नाममात्र की मजदूरी देकर भी काम लिया जाय, वह भी बेगारी का ही दूसरा रूप है क्योंकि वह फोर्स्ड लेबर हुई। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि लेबर मिनिस्टर होने के नाते एक व्यवस्था जरूर करें कि चाहे किसी किस्म का ही मजदूर क्यों न हो, खेतिहर मजदूर हो या किसी इन्डस्ट्री में काम करने वाला हो या किसी अन्य उद्योग में काम करने वाला मजदूर हो, उसको उचित मजदूरी समय से मिलनी चाहिये। जहां तक संविधान का सम्बन्ध है संविधान की धारा ४३ में दिया हुआ है:--

"43. The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organization or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas."

इस प्रकार से हमारे विधान में यह डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल के रूप में साफ दिया हुआ है कि इन्डस्ट्री की भांति खेतिहर मजदूरों के लिये लेजिस्लेशन बनाया जायगा। खेतिहर मजदूरों को भी लिविंग वेज मिलनी चाहिये। जिससे वे अच्छे प्रकार से जिन्दगी गुजार सकें। अब मजदूरों में तीन प्रकार के कर्मचारी होते हैं। एक तो हलवाहे जो फसल बोते हैं और उसको काटते हैं यानी जो मौसमी कार्य करने वाले हैं। दूसरे वे जो फील्ड वर्कर होते हैं।

श्री बनारसीदास--

माननीय सदस्य जो बात कह रहे है, उसका संबंध इस विधेयक से नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---

बिलकुल इस विधेयक से संबंध नहीं है। यह जो बिल रखा गया है वह औद्योगिक संस्थानों में जो बचा हुआ धन है उसको उस संस्थान में काम करने वाले श्रमिकों के लिये किस प्रकार से उपयोग में लाया जाय, उसके बारे में है। खेतिहर मजदूरों से इसका कोई मतलब नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव---

मैं माननीय मंत्री जी को बता रहा हूं कि इस बिल में कमी क्या है।

श्री अधिष्ठाता---

जो फैक्ट्री लेबरर है उसके संबंध में यह बिल है, आप उसी के बारे में अपने सुझाव दे सकते हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

संविधान की धारा ४३ में यह दिया हुआ है कि किसानों के लिये भी लेजिस्लेशन बनाया जाय । इसी के बारे में सरकार से मैं कह रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

उसके लिये आपको अन्य अवसर मिल सकता है । उस समय आप यह बात कहें ।

श्री कमलासिंह यादव--

अन्य अवसर तो मिलेगा नहीं । इसलिये मैं इस संबंध में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उस प्रकार का कानून बनाने के बारे में संविधान में दिया हुआ है । लेकिन सरकार ने उसकी कोई व्यवस्था नहीं की है । हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं कि असंगत है, लेकिन फिर भी आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं ।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप बेकार ही मेरा मुंह बंद कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने व्यवस्था दे दी है कि इसके द्वारा खेतिहर मजदूरों के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है । इस समय आप उनके बारे में न कहें । किसी अन्य अवसर पर उनके बारे में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

व्यवस्था का प्रश्न है, जैसा कि आप कह रहे हैं । यह कानून मिल मजदूरों के बारे में बनाया जा रहा है और मिलों में चीनी मिल भी आ जाती है । जब चीनी मिलों में पैसा बचेगा तो उसका संबंध गन्ना के किसानों से भी होगा, जिसका खेतिहर मजदूरों से सीधा ताल्लुक हो जायगा । इसलिये यहां जो पैसा बचेगा उसका संबंध खेतिहर मजदूरों से भी होना चाहिये, गौर उसको मिलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है । आप बैठ जायं ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमान्, इतनी सख्ती न बरतिये, हम नये सदस्य हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपको नया सदस्य मैं कैसे मान लूं । आप मेरे पिता के साथ एम० एल० ए० रहे हैं ।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं यह कह रहा था कि तीन प्रकार के लेबरर्स होते हैं । फील्ड वर्कर्स को मैं छोड़े देता हूं । तीसरे आर्डिनरी लेबरर्स हैं; इनमें कुछ स्किल्ड लेबरर्स होते हैं जो उद्योग से संबंधित कार्यों में कार्य करते हैं और जो हमारे लेबरर हैं और जो बेलदार का काम करते हैं फैक्टरीज में, वह भी आर्डिनरी लेबरर होते हैं । इस तरह से चूंकि इस बिल में यह नहीं है कि राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने वाले उद्योग जो हैं उनके अलावा जो दूसरे उद्योग हैं जैसे कि काटेज इंडस्ट्रीज का उद्योग है वह इस में नहीं आ सकता । और यह सवाल आयेगा कि जो आदमी उद्योगों

[श्री कमलासिंह यादव]

में काम करते हैं उनके लेबर और वेजेज के कानून भी इसमें आयेंगे, लिविंग वेज का भी जिक्र नहीं आ सकता, लेकिन इस बिल में कोई भी ऐसा प्राविधान नहीं है जिससे उनको भी सहूलियत मिल सके । वेज की परिभाषा भी इसमें नहीं हैं । इसमें राय की भिन्नता कोई नहीं है कि वेज की परिभाषा ऐसे रखें, लेकिन जो अपवाद दिये हैं उसमें बहुत सी बातें दी गई हैं । लेबरर के लाभ के लिये जरूरी है कि उसका प्राविधान हो जिससे लेबरर लाभ उठा सकें । खास तौर से १३ में जो मजदूरों की परिभाषा दी गई है उसमें लिखा है कि मजदूरी का तात्पर्य धनराशि के रूप में किये जाने योग्य ऐसे समस्त पारिश्रमिक से है जो अभिव्यक्त या अन्तर्निहित संविदा अथवा सेवायोजन की शर्तें पूरी की जाने की दशा में, किसी सेवायोजित व्यक्ति को उसके सेवायोजन के अथवा ऐसे सेवायोजन में दिये गये कार्य के संबंध में देय होगा, किन्तु इस के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है :—इसमें यह (क) से (ङ) तक आपने दिये हैं । और इस तरह से अगर देखा जाय तो धारा ७ में लिविंग वेज का सवाल पहले उठता है किसी भी कर्मचारी के लिये . . . . . .

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैं फिर निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य विषयांतर कर रहे हैं । इस बिल का न लिविंग वेज से संबंध है और न हम मिनिमम वेज का कानून ला रहे हैं और न वह चीज इस बिल में विचाराधीन है जिससे उस पर कोई असर पड़ रहा हो । वह चीज बिलकुल अलग है । इस में तो केवल इतना है कि जो एकुमुलेटेड फंड हो जाय उसका क्या किया जाय, वही बात वह करें, वह तो बजट भाषण की तरह कहते चले जा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आरम्भ से ही माननीय कमलासिंह जी, इस बिल में जो प्राविधान हैं उन से अलग की बातें कर रहे हैं, मैंने उन से आग्रह भी किया । प्रति दिन सदन में उनके द्वारा सदन का समय लेने का प्रयास होता है, फिर भी वह सदन का समय लेना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि उनका जैसा आदमी इसको वांछनीय न मानेगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

ऐसा आक्षेप डायरेक्टर कुर्सी से न होना चाहिये, क्योंकि श्री बनारसीदास जी ने कह दिया इसलिये कुर्सी से आदेश हो गया । मैं बताना चाहता हूं कि जैसा श्री बनारसीदास जी ने कहा है वह बिलकुल गलत है । मैं आप का ध्यान दिलाऊंगा कि धारा ७ (२) का उपखंड (ढ) पढ़ लें उसके बाद पता चल सकेगा कि यह कहां की बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कमला सिंह जी, मैं ऐसा समझता हूं कि आपको यह भ्रम हो गया है कि बम्बई का जो ऐक्ट था उसके आधार पर यह बिल आया है । आप इसके उद्देश्यों और कारणों को देखें । वर्ष १९५३ में एक कानून बनाया गया । उसके बाद आगे चलकर बम्बई में जो ऐक्ट बना था उसकी कुछ धाराएं, जो कि हमारे ऐक्ट की धाराओं से मिलती जुलती थीं, की वैधता पर आपत्ति की गयी थी और भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रख कर यह समझा गया कि कुछ संशोधन करें । यह बिलकुल नया बिल है । पृष्ठभूमि के देने के लिये उद्देश्य और कारणों में चर्चा की गयी है बम्बई के बिल की ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं लिविंग वेज के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर र ा था । इस संबंध में खंड ७ के उपखंड (२) के उपखंड (ढ) को देखने की कृपा की जाय जिसमें कहा गया है कि :—

"ऐसे अन्य उद्देश्य जिनसे परिषद् की राय में, श्रमिकों के रहन-सहन में सुधार हो"

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, मैं तो यह समझता हूं कि यह तो कोई व्यवस्था माननीय सदस्य नहीं दे रहे हैं। वे केवल अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि वेज न बढ़े। पर इसका जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कोई संबंध नहीं है। इसमें कर्मचारी (एम्प्लाई) की व्याख्या की गयी है। वे व्यक्ति जिसको चार सौ रुपये प्रति माह से अधिक न हो, उसके अन्दर शामिल है। मेरी समझ में नहीं आता है कि माननीय कमला सिंह एक ऐसा ऐक्ट बनाना चाहते हैं कि जिसमें सब चीजें शामिल हों।

श्री कमलासिंह यादव--

कोई नयी चीज आप लायें, मैं यह नहीं कह रहा हूं। स्टैन्डर्ड आफ लिविंग से संबंधित आप कई कार्य कर सकते हैं और परिषद् को पावर है कि वह लिविंग वेज भी आप को दे सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

परिषद् लिविंग वेज नहीं देगा, उस धनराशि को जो श्रमिकों के कल्याण के लिये बनायी गयी है।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, उनके स्टैन्डर्ड को ऊंचा करने के लिये आप दे सकते हैं। खंड ७ के उप-खंड २ में यह दिया हुआ है कि . . .

श्री अधिष्ठाता--

यदि आपको इस बिल के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री कमलासिंह यादव--

अगर आप यह कहें कि मैं बिल के सम्बन्ध में नहीं बोल रहा हूं तो मैं वाक आउट करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

यह तो आपको अधिकार है।

श्री कमलासिंह यादव--

यह जो डिक्टेटरशिप आप चला रहे हैं, यह सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। यह जो बात कही गयी है वह डिक्टेटरशिप की तरह से ही कही गयी है।

तो श्रीमन्, मैं चला जा रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप जैसा चाहें वैसा कर लें।

(श्री कमलासिंह यादव ने सदन का परित्याग किया।)

*श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५, को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

तीन महीने के अन्दर दे और उस समिति को विधेयक में आवश्यक परिवर्तन करने का भी अधिकार हो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है और उसके जो आबजेक्टिव्स हैं, उनसे मैं एग्री करता हूं क्योंकि वे बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी मुझे दो-तीन बातें इस बिल के सुधार के सम्बन्ध में कहनी हैं।

पहली बात तो यह है कि यह जो बिल है यह इस गरज से लाया गया है कि वर्कर्स की जो अनक्लेम्ड वेजेज होती है, जैसे मंहगाई है, बोनस है, वेजेज है, ग्रेचुइटी है जो अनक्लेम्ड रहती है वे अभी तक मिल मालिक के पास रहती थीं, उनका यूटिलाइजेशन वर्कर के वेलफेयर के लिये हो। अभी तक इन अनक्लेम्ड वेजेज का जो पैसा होता था वह मालिक अपनी मर्जी से खर्च करता था और होता यह था कि अगर मिल मालिक ने एक गेस्ट हाउस बनाया तो वेलफेयर एक्टिविटी के पैसे में से उस पैसे को खर्च कर दिया और इस प्रकार उस पैसे का मिसयूज होता था। अब सरकार यह बिल लाई है और बिल में बहुत सी चीजें उसने रखी हैं कि इस फंड से यह-यह काम करेंगे। मेरा कहना है कि अनक्लेम्ड वेजेज में जो रुपया है उसमें से यह सब सरकार नहीं कर पायेगी। अगर वह सही मानी में वेलफेयर एक्टिविटीज को करना चाहती है तो जो फंड है वेलफेयर एक्टिविटी के लिये उसके अलावा भी मिल मालिक को जो प्राफिट होता है उसमें से एक अथवा दो परसेंट इसमें शामिल किया जाय जैसा कि जो नये आजाद देश हैं, समाजवादी देश हैं उन्होंने अपने यहां कर रखा है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रार्थना कर रहा था कि दूसरे कन्ट्रीज में जो वेलफेयर फण्ड्स हैं वह बहुत बड़े-बड़े फंड हैं और उसका सिद्धान्त यह होता है कि प्राफिट का कुछ हिस्सा--एक परसेंट, २ परसेंट या ४ परसेंट वेलफेयर फण्ड में आवश्यक रूप से आता है। अगर आप सही माने में कुछ कल्चरल एक्टिविटीज करना चाहते हैं, और सही माने में वर्कर्स की कन्डीशन को सुधारना चाहते हैं, आप उनके लिये अस्पताल बनवाना चाहते हैं चाहे गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं या हिल्स पर रेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं जहां पर मजदूर गर्मियों में जा सकें, तो आपको इसको भी करना होगा। हर देश में इस तरह की सुविधायें हैं और यह सारे कार्य वर्कर्स वेलफेयर फण्ड में से होता है। माननीय मंत्री जी की मंशा तो अच्छी है, किन्तु खाली मंशा अच्छी होने से कुछ होने वाला नहीं है। केवल इतना कह दिया कि अनक्लेम्ड वेजेज को लेकर एक कमेटी बना दिया है उससे बहुत काम होगा, किन्तु उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जब आप इसे सही माने में करना चाहते हैं तो इसका प्राविजन अवश्य होना चाहिये कि इस बिल के अन्दर एक हिस्सा, एक परसेन्ट का या दो परसेन्ट का प्राफिट का इसमें अवश्य दिया जायगा तभी आप इसे पूरा कर सकेंगे।

दूसरा सुझाव मुझको माननीय मंत्री जी को यह देना है कि इसके लिये जब तक इन्फोर्समेंट का एक बाकायदा इंतजाम नहीं होगा, आप मेरा विश्वास मानें, अनक्लेम्ड वेजेस का पैसा नहीं आयेगा। मैं अपने अनुभव के अनुसार माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बताना चाहता हूं कि सम्पूर्णानन्द एवार्ड में भी यह लिखा है कि ९० दिन के भीतर ग्रेच्युटी का पैसा मिल जाना चाहिये। लेकिन एम्पलायर को ढाई-ढाई साल से मालिकान पैसा नहीं दे रहे हैं। आप उनके

बारे में क्या कर रहे है। उसके पीछे झगड़े होते हैं, नियम बना हुआ है और उसके पीछे गवर्नमेंट का एग्रीमेंट भी हुआ है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बूढ़े और बीमार नौकरों को बेकार होने के बाद कई-कई वर्षों तक ग्रेच्युटी नहीं मिल पा रही है। मैं कहता हूं कि इसी प्रकार से अनक्लेम्डवेजेज मालिकान जब नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? यही कि लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अनुसार नोटिस देंगे। किन्तु इसमें भी वर्षों लगेंगे, इससे कोई मतलब हल नहीं होगा। इस लिये इसमें यह खुले रूप से कानून होना चाहिये कि ३ महीने के अन्दर अनक्लेम्ड पैसा बोर्ड के पास आ जाना चाहिये, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये और ऐसे लोगों के विरुद्ध रिएप्रोप्रिएशन का केस चलाया जायगा। यदि यह प्रतिबन्ध इस बिल में नहीं होगे तो यह बिलकुल इम्प्लीमेंट नहीं होगा।

जैसा मैंने आपसे कहा कि प्राविडेंट फंड का पैसा है उसके लिये कानून है कि जमा करना चाहिये। मिल मालिक नहीं करता, सरकार को टैक्स का पैसा नहीं देता तो क्या करना चाहिये। अभी उसी दिन म्योर मिल में आपने कहा तालाबन्दी होगी उन्होंने मिल बन्द कर दिया और मिनिस्टर जी ने परेशान हो कर कुछ सुविधायें मिल मालिक को दे दी और मिल फिर से चालू हुई। तो अगर आप इस तरह से कानून को इंफोर्स करेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक ही तरीका था कि आप इस तरह के मामलों में अपना आब्रिट्रेटर बैठाते और खुद मिल चलाते और इसके लिये पक्का इरादा होता इस मामले में इस तरह से डील करने का तब तो काम चल सकता था, नहीं तो ये मिल वाले आपका कोई कायदा कानून नहीं मानेंगे और सब कानून आपके कागज पर तो लिखे रहेंगे लेकिन अमल उन पर नहीं होगा। इसलिये एन्फोर्समेंट मशीनरी को मजबुत बनाइये। इसे पुलिस के चक्कर में मत डालिये। ऐसे अच्छे आदमियों को लाइये जो काम कर सकें। इसके लिये मैं सजेशन दूंगा कि आप लेबर बोर्ड के जो मेम्बर बनाइये उनको यह पावर हो कि मिलों के अन्दर जाकर उनके रजिस्टर्स चेक कर सकें और गवर्नमेंट को रिपोर्ट दें, नहीं तो यह मामला ऐसे का ऐसा ही धरा रह जायगा। तो एन्फोर्समेंट मशीनरी अच्छी होनी चाहिये और ऐसे लोगों को इसमें लाइये जो पब्लिक माइन्डेड हों। उसमें कांग्रेस के लेबर लीडर्स हैं उन्हीं में से किसी को लें लीजिये, लेकिन यह करना जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि जो लेबरर्स के वेजेज बाकी हैं और वह नहीं देते हैं उन्हें लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल होना चाहिये। नहीं तो उन पर मिसऐप्रोप्रियेशन का केस चलना चाहिये क्योंकि यह पब्लिक फंड है जिसे मिल वालों ने जानबूझ कर इतने दिनों तक जमा नहीं किया है। जब तक इनमें से दो चार को चार छः महीने के लिये जेल न भेज देंगे तब तक उनको पैसा मिलेगा नहीं।

(इस समय २ बजकर १९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती प्रकाशवती सूद पीठासीन हुईं।)

मैं मंत्री जी से कहूंगा कि सरकार आपके हाथ में है, आप दान के चक्कर में क्यों पड़ते हैं। दान कोई देने वाली नहीं है, आप उसे कानून के जरिये ले सकते हैं। कुछ थोड़ा तो आत्म-सम्मान होना चाहिये। मिल वाले अगर नहीं मानते हैं और कहते हैं बन्द कर देंगे तो वह कैसे कर सकते हैं। मिल उनके बनाये तो बनी नहीं है वह तो मजदूरों की मेहनत की कमाई से खड़ी हैं, गांधी जी के आन्दोलनों की वजह से हिन्दुस्थान में टेक्सटाइल मिलें बढ़ रही हैं, वह उनकी वजह से नहीं बनी है पूरे देश और कौम की वजह से बनी हुई हैं। आज जनता की सरकार है तो आप मिलवालों से कहें कि आप प्राविडेंट फंड का पैसा, ग्रेचुइटी का पैसा दीजिये और इतने परसेंट यह दीजिये क्योंकि इसे हम सरकार के लिये नहीं ले रहे है, तो मजदूरों की चिकित्सा के लिये, उनके बच्चों की एजूकेशन के लिये ले रहे हैं और ऐसे ही कामों पर उस पैसे को खर्च करेंगे। इस काम में सख्ती कीजिये और इसको सख्ती से आप ही ले सकते हैं और तभी मामला ठीक से चलेगा।

चौथी चीज जो मुझे कहना है वह यह है कि इसके अन्दर जो आपने बोर्ड के बारे में रखा है उसमें लेबर के रिप्रेजेन्टेटिव रहने चाहिये। मेरा तो यह कहना है कि उसके अन्दर लेबर के बड़े

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

बड़े रिप्रेजेंटेटिव रहें। मजदूर संस्थाओं के माने जाने वाले जो लीडर हैं उनको रहना चाहिये। हर एक बोर्ड या कमेटी की तरह से इसमें न करें। जिनको लेबर नहीं मानता हो उनको इसके अन्दर नहीं रखना चाहिये और उनको उसमें रख कर लादने वाली बात आपको नहीं करनी चाहिये। जिस आदमी के पीछे लेबर नहीं है उनको आप अगर उस बोर्ड या कमेटी में रखते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिये आप ऐसे आदमियों को रखें जो यूनियन के आदमी हों, आइ० एन० टी० यू० सी० या हिन्द मजदूर सभा के नुमायन्दे इसमें आप रखें। उन संस्थाओं से कहा जायगा तो वे इस तरह के आदमी दे देंगे जो इसमें आकर अच्छा काम करेंगे और मजदूरों के हित की बात सोचेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोई हेर फेर भी नहीं आयेगा। आपको शुरू में ऐसी भावना पैदा नहीं करनी चाहिये जिससे लोग यह समझें कि आप ऐसा बोर्ड बना रहे हैं जिसमें लोग आपकी हाथ की कठपुतली होकर रहें। मालिकों से पैसा आयेगा जो पब्लिक के वेलफेयर के लिये खर्च होगा और जो वह ठीक समझेगा वैसा करेगा। जो आदमी उसमें अपना टाइम डिवोट कर सकें उनको रखना चाहिये। तभी यह कार्य ठीक ढंग से और सुचारू रूप से चल सकेगा।

मुझे इस बात का खेद है कि मैं बदकिस्मती से इस विधेयक पर कोई संशोधन नहीं दे पाया। हमने इसके लिये परसों एक संशोधन भेजा था तो कल हमारे पास लिख कर आया कि अभी बिल इन्ट्रोड्यूस नहीं हुआ है। इस वजह से संशोधन नहीं दे सका। कब तक यहां यह पर इन्ट्रोड्यूस हुआ और कब आया इसका मुझ को पता भी नहीं चला। अब बनारसीदास जी के ऊपर सब निर्भर करता है। मुझे आशा है कि जितने भी सुझाव मैंने दिये उनको बनारसीदास जी स्वीकार करेंगे। बनारसीदास जी मजबूत आदमी हैं। कमजोर आदमी नहीं हैं। अगर वे अपनी पार्टी के अन्दर मजबूत आदमी हैं तो बाहर भी मजबूती दिखानी चाहिये और मिल मालिकों के खिलाफ भी मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिये तभी मैं उनको मजबूत आदमी मान सकता हूं। मेरी यह धारणा है कि जब से बनारसी दास जी मिनिस्टर बने हैं तब से उन्होंने कोई मजबूती नहीं दिखाई है। कमजोर के सामने मजबूती दिखाने की बात नहीं होती है अगर बड़े आदमी के सामने मजबूती दिखाई जाय तो वह बहादुरी होती है। आप बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ मजबूती दिखायें तभी सही बात हो सकती है। मैं मानता हूं कि यह बिल बहुत अच्छा है। इसके फंड में मालिकों के प्राफिट से हिस्सा आयेगा और मजदूरों के लिये वेलफेयर में खर्च होगा। अगर कोई उसको डिफाइ करेगा तो उसका प्रासिक्यूशन होना चाहिये। इससे पैसा जल्दी आयेगा और काम भी होगा। मुझे आशा है कि जो सुझाव मैंने सदन के सामने रखे हैं उन पर मन्त्री जी विचार करेंगे और मशीनरी के इन्फोर्समेंट के लिये और मालिकों के खिलाफ पेनाल्टी रखने के लिये कि जो पैसा ठीक टाइम से न दे और इन्कार कर दे उस पर जल्दी ऐक्शन लिया जायगा।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, जो बिल हमारे सामने पेश है मैं उसकी ताईद करता हूं और आशा करता हूं कि यह पास किया जायगा। जो यह बिल आज सदन के सामने पेश है यह मजदूरों के लिये बहुत महत्व का बिल है और इसकी थोड़ी सी बैकग्राउन्ड समझी जाय तो आप इसकी प्रशंसा कर सकेंगे।

जो बिल १९५७ में पास हुआ था उसमें दो कमियां थीं। एक कमी तो यह थी कि अगर अनक्लेम्ड वेजेज फैक्ट्री से बोर्ड को ट्रान्सफर हो जायं और उसके बाद उसके दावेदार पैदा हो जायं तो वह रुपया कहां से अदा किया जाय? इस मामले में वह बिल साइलेंट था। दूसरी बात, इसके अन्दर मजीद एक प्राविजन कर दिया गया है कि जब वह रुपया बोर्ड को ट्रान्सफर हो जायगा तो उसको बाकायदा मुस्तहिर किया जायगा और जो उसके दावेदार बनेंगे उनको यह हक हासिल होगा कि वह अगले चार साल तक बाकायदा अपना दावा पेश करके उस रुपये को

हासिल कर सकेंगे। तो इस तरह से मजदूरों के पैसे को, जो मैनेजमेंट मनीपुलेट करता है उससे, उनको ट्रान्सफर आदि करने से नुकसान न पहुंच जाय इसके लिये इस बिल में सेफगार्ड किया गया है और पहले बिल की निस्बत इस बिल में यह इम्प्रूवमेंट है।

दूसरी बात यह है कि आप इस बात को समझिये कि वह मजदूर जो दस्तकार है, कारखाने में काम करता है, ऐसी हालात में काम करता है जो नार्मल नहीं हैं उसको जरूरत से ज्यादा गर्मी में, जरूरत से ज्यादा शोर में, बाज मर्तबा गंदी हवा में काम करना पड़ता है। दूसरे उसको लोहे की मशीनों से काम करना पड़ता है। तो जड़ चीजों के साथ रहते-रहते वह भी अपने आपको जड़ महसूस करने लगता है और अगर उसकी जिन्दगी में कुछ तफरीह, कुछ मदद और कुछ घरेलू सहायता न की जाय तो दिन व दिन उसकी जिन्दगी कम होती चली जाती है। इसके मुकाबले में जो खेतिहर मजदूर हैं वह उन हालात में काम करता है जो कुदरती है, जो जिन्दगी को बढ़ाने वाले है, जो कुव्वत बढ़ाने और ताकत देने वाले हैं। तो उसे वेलफेयर की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि फैक्टरी के वर्कर को वेलफेयर की जरूरत है। हालांकि गवर्नमेंट ने दोनों के वेलफेयर का इंतजाम किया है, यहां तो आप को वेलफेयर के लिये वेलफेयर सेंटर्स मिलते हैं और इस बोर्ड के जरिये वेलफेयर के काम को मजीद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और जहां तक देहाती मजदूर का ताल्लुक है, उसके लिये वेलफेयर के वास्ते हमारे ब्लाक्स में गाने बजाने वाले हैं, तमाशे होते रहते हैं जो गांव गांव घूम कर, फिर कर उनके रिक्रियेशन का काम, उनकी तफरीह का काम करते रहते हैं और जैसी उनकी जरूरत होती है उसको पूरा करते हैं।

एक दूसरा एतराज बोर्ड के बनाये जाने और उसमें नामजदगी के बारे में किया गया। इसके मुताल्लिक मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी तमाम लेबर तहरीक कानून पर ही नहीं चलती, बल्कि सद्भावना पर ज्यादा चलती है। हम उसके अन्दर जम्हूरियत के जो बुनियादी उसूल हैं उनको लेकर चलाने की कोशिश करते हैं और आप देखेंगे कि मजदूरों के बहुत से मसले बाई पार्टाइट कमेटीज और कांफ्रेंसेज के जरिये तय किये जाते हैं और बुनियादी मसलों पर उसमें फैसले लिये जाते है जो कानून के बिना जोर के भी अमल में आया करते है। तो यही बेसिस इस बोर्ड के बनाने का है और इसके अन्दर जो मजदूरों के और मैनेजमेंट के बराबर के नुमाइन्दे रखे गये हैं उसका मंशा भी यही है कि हम दोनों का कोआपरेशन लेकर, दोनों की दुआयें ले कर इस बोर्ड को चलायें और वेलफेयर के काम को करें। श्रम कल्याण का कामकाज भी मैनेजमेंट करता है और उसके लिये वह कुछ रुपया भी सर्फ करता है, मगर उसके काम करने का तरीका बिलकुल अपने ढंग का है। इस बोर्ड के जरिये से उस काम को एक तरजीह दे देना है, उसके अन्दर एक नज्म पैदा कर देना है और इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है।

इसके साथ-साथ यह बोर्ड एक मजदूर और मैनेजमेंट का ही काम बन कर न रह जाय इसलिये इसमें उच्च कोटि के सोशल वर्कर्स की नामजदगी का एक तरीका भी रखा गया है जिसमें इन वर्कर्स को रखे जाने का मंशा यह है कि जहां हम उन मजदूरों का कुछ कल्याण करने की बात करें वहां उन के बाल बच्चों का और गृहस्थी को भी उठाने की कोशिश करें, क्योंकि घर गृहस्थी में अगर थोड़ी सी तालीम दे दी जाती है, थोड़ी सिलाई वगैरह का काम सिखला दिया जाता है तो घर का बजट ठीक चलेगा और मुश्किलात को कम करने में मदद होगी। तो सोशल वर्कर्स का अमली तरीके से मुकम्मिल बोर्ड होगा। इससे फायदा यह है कि जब हम सरकार के मातहत कोई काम करते हैं तो रेड-टेप से बड़ी भारी मुसीबत पैदा होती है और बरसों लग जाते हैं और कानून की मुश्किलात में पड़ कर तमाम चीजें बेकार नजर आने लगती हैं। लेकिन यह खुदमुख्तार बोर्ड होगा। गवर्नमेंट इसके अन्दर रहबरी करने वाली होगी, हावी और काबिज नहीं होगी। गवर्नमेंट की मशीनरी का फायदा भी होगा ही और आजाद होने से इसका काम सुचारुरूप से और अवाम और मजदूरों के मफाद को सामने रखते हुये चलाया जा सकेगा। दूसरे हम इसके कार्यों को डिसेंट्रलाइज कर सकेंगे। इस वक्त इसका काम एक ही सेंटर से चल नहीं पाता है। हम लेबर वेलफेयर में जो जिले के होते हैं, कोई प्रस्ताव करते हैं, वह सेंटर में भेज दिया जाता है

[श्री जयगोपाल]

और साल दो साल के बाद वह मंजूर और नामंजूर होकर भी नहीं आ पाता है। बोर्ड बन जाने के बाद ऐसी चीजें नहीं हो सकेंगी। फैक्टरी लेविल के ऊपर जब वेलफेयर के काम किये जायंगे तो हर फैक्टरी के अन्दर वेलफेयर आफिसर, जो कि बेकार मद की तरह से है, उसका पूरा इस्तेमाल हो सकेगा और सरकार के पास बड़ी काफी तादाद ऐसे लोगों की होगी जिनको मजदूरों के वेलफेयर के लिये वह इस्तेमाल कर सकेगी और हर फैक्ट्री के अन्दर मजदूर और मालिकों के मुश्तरका क्लब बनाये जायेंगे जिससे मजदूर और मालिक के बीच में जो ऊंच-नीच का भेद-भाव चलता है उसको भी दूर किया जा सके। तो हर लिहाज से यह मददगार रहेगा।

एक इस वेलफेयर में जो आइटम्स दिये गये हैं उससे मतलब तो निकलता है कि गोविन्द सहाय कमेटी ने कुछ सिफारिशात की थीं उनके मातहत कुछ वेलफेयर सेंटर्स चले भी हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो इस बोर्ड के जरिये से पूरे तौर से उनको चलाया जा सकेगा। आज मजदूरों की तफरीह के साथ-साथ इस बात की भी जरूरत है कि उसको कुछ काम-काज सिखलाये जायं या साइड बिजनेस मुहइया किये जायं जिससे वह घरेलू जिम्मेदारी को ज्यादा जिम्मेदारी से निभा सके और उसकी कोई साइड इन्कम हो जाय ताकि उसका फेमिली बजट आराम से चल सके। नार्दर्न रलवे ने अपना वेलफेयर का प्रोग्राम बनाया। उसमें उन्होंने कोशिश की है कि जो छोटी जगहों पर काम कर रहे है उनको वेलफेयर सेंटर्स पर तालीम देते हैं ताकि वह ऊंचे ओहदे पर काम कर सकें और तरक्की पा सकें। तो अगर वेलफेयर में ऐसा भी किया जायगा, जो मजदूर फैक्टरी के साथ लगे हों वह वेलफेयर सेंटर्स के जरिये से तालीम हासिल करके ऊंचे ओहदों पर जा सकें तो यह मजदूरों की तरक्की के लिये एक बहुत आवश्यक कदम होगा। मजदूरों की भी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे ऊंचे ऊंचे ओहदों पर जायं, लेकिन उनके मीन्स नहीं होते कि वह उनको ऊंची टेक्निकल तालीम दे सकें। इस फंड से उनको तालीम दी जानी चाहिये। नार्दर्न रेलवे अपने मजदूरों के बच्चों के लिये इन्तजाम करती है और उनके बच्चे डाक्टर और इंजीनियर बन कर और आफिसर बन कर अच्छी अच्छी जगहों के लिये निकले हैं। जब अफसरों की तादाद में मजदूरों से गये हुये बच्चे होंगे तो वह कोई सरमायेदारी और ऐरिस्ट्राक्रैसी के जरिये से अफसर नहीं बनेंगे बल्कि उनका एक लेबर बायस होगा और उससे जो शोषित समाज के लिये हम वैल्यूज क्रिएट करना चाहते हैं उन वैल्यूज को इस्टैबलिश करने का एक मौका मिलेगा। यह दो चीजें, मैं समझता हूं, इस विधेयक के अन्दर जरूर आ जानी चाहिये। जो तीन मीटिंग्स में बराबर गैर-हाजिर रहेंगे उनका नाम काट दिया जायेगा, यह इतना जरूरी नहीं है, जितना कि यह कि जो लोग आयें वे उसमें लगन से काम करें, ऐसा न हो कि लोग आ जायें, उसमें बैठकर सोते रहें, या आयें और चले जांय। जब तबियत आयी चले आये, जब चाहा वापस चले गये। यह नहीं होना चाहिये। इस चीज को रोकने के लिये यह किया गया है।

एक बात और है। जितना ज्यादा कल्याण हम इन श्रमिकों का कर सकेंगे उतना प्रदेश का फायदा है। सरकार आज अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी, उतना विकास उनका नहीं कर पा रही है, उतना वेलफेयर उनको नहीं दे पा रही है जितना कि आवश्यक है। सबसे जरूरी चीज तो यह है कि उनका बौद्धिक विकास हो। जगह-जगह उनके लिये चलती फिरती लाइब्रेरी तथा वाचनालय होना चाहिये। जब उनकी दिमागी तरक्की होगी तो वे मैनेजमेंट की स्कीमों में भी कुछ हिस्सा ले सकेंगे और उनमें इतनी हिम्मत आयेगी कि उसकी जिम्मेदारियों को निभा सकें। अगर उनको मैनेजमेंट में कभी डाला भी जायेगा तो वे अपने काम को कामयाबी के साथ कर पायेंगे।

इसके अलावा, मान्यवर, श्रम कल्याण का उत्पादन के साथ भी घनिष्ट संबंध है। जितना ज्यादा मजदूर खुशहाल होगा, उसकी हालत अच्छी होगी, जितना सेहतबख्श होगा, उतना ही अच्छा काम वह फैक्टरी के अन्दर कर सकेगा और जितना अच्छा काम वह कर सकेगा, उतना ही ज्यादा उत्पादन होगा। इसलिये श्रीमन्, श्रम कल्याण का काम बहुत आवश्यक है। जितनी

हम इसको तरक्की देंगे, उतनी ही देश की पैदावार बढ़ेगी। जितनी पैदावार बढ़ेगी, उतना ही देश खुशहाल होगा, देश की गरीबी मिटेगी और हम एक नये समाज को जन्म दे सकेंगे। हम देखते हैं कि लाक आउट की वजह से और मालिक मजदूरों के झगड़े की वजह से बहुत नुकसान होता है। जब उनका बौद्धिक विकास होगा, वे अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो वे इन चीजों को पसद नहीं करेंगे और वे इस चीज को भी समझेंगे कि आपसी झगड़ों को समझौते द्वारा वे तय करें और जो कानून उनके लिये बने हुये हैं उनका वे पालन करें और उन पर वे निर्भर रहें। इस बोर्ड के जरिये से हम अपने तमाम मकसदों को पूरा कर सकेंगे।

आज सरकार ने जितनी बड़ी-बड़ी दस्तकारियां हैं उनके अन्दर वेज बोर्ड मुकर्रर कर दिय हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि आज यूनियन और मजदूरों के बीच लगाव नहीं रह गया है। श्रम कल्याण ही ऐसा जरिया है जो मजदूर और यूनियन के बीच लगाव बनाये रख सकता है और हमारी यूनियनें कामयाबी के साथ चल सकती हैं, उनकी जरूरतों को हल कर सकते हैं, और उनके बीच कोई टकराव नहीं रह जाता। हमारी ट्रेड यूनियन्स को मजबूती और कामयाबी के साथ चलाने के लिये श्रम कल्याण का होना आवश्यक है। यूनियन्स और मजदूरों के बीच में ताल्लुकात कायम रहने का सिर्फ यही तरीका है कि हम श्रम-कल्याण के काम करें। सरकार भी, और इस वक्त के हालात भी यह चाहते हैं कि श्रम कल्याण के काम को सिर्फ सरकार ही न करे और अगर यूनियन्स इस काम को अपने हाथ में लें लें तो बहुत अच्छा है। इस बोर्ड के बन जाने के बाद इस मकसद को आगे बढ़ाने में, यूनियन्स को इस बात के लिये प्रेरित करने में, बहुत मदद मिलेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी बिल है और इस से मजदूरों की बहुत बड़ी मदद और खिदमत होगी। मैं इसको सपोर्ट करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे जल्दी पारित करेगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

आदरणीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्तुत बिल के उदार और उच्च विचारों की प्रशंसा करता हूं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने वेलफेयर बोर्ड बनाने का प्रयास अवश्य किया है। इससे हमारे श्रमिकों की अवस्था में कुछ सुधार अवश्य होगा। परन्तु मैं पहले एक उसूल की बात कहना चाहता हूं जिसे मैं पहले से कहता हुआ चला आ रहा हूं। हमारी सरकार ने उसके लिये जो व्यवस्था आज तक श्रम कानून में की है वह हमारी सरकार के लिये और हमारे समाज के लिये और हमारे मुल्क के लिये कभी भी सम्मानित नहीं कही जा सकती। हमारी सरकार की ओर से जो संशोधन आया और जिससे एक नयी व्यवस्था की गई वह यह थी कि जो रुपया किसी श्रमिक का किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के यहां रह जाता है उसे इकट्ठा करके सरकार उसे उपयोगी कार्यों में, मजदूरों की हालत सुधारने में लगावेगी। श्रमिक मेहनत करता है, उसकी मजदूरी के ऊपर जो डाका पड़ता है, जो चोरी होती है, उसे सरकार दुरुस्त न कर सके, यह मुल्क के लिये बहुत बुरी बात है। यह जरूरी हो जाता है कि मजदूरों की पड़ी हुई मजदूरी को जमा करके हमारी सरकार अपनी उदारता का परिचय दे कि वह श्रमिकों के उत्थान के लिये उसे लगावेगी। मेरा सरकार के ऊपर आरोप है.....

श्री बनारसीदास—

जरा बिल को पढ़े तो होते।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

माननीय मंत्री जी समझते हैं कि वह कानून की व्यवस्था को अधिक समझते हैं लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर उन्होंने देखने की कोशिश की होती तो इस सदन में वह संशोधन लाया गया और पास हुआ। मैंने उसका विरोध किया था।

हमारी सरकार ने अच्छा कदम उठाया श्रमिकों और इंडस्ट्रियलिस्टों के आपसी झगड़ों को मिटाने के लिये, उनको एक-दूसरे के नजदीक लाने के लिये, और उनके आपस के संबंध

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

इम्प्रूव करने के लिये। परन्तु मुझे खेद है कि आज तक जितनी भी व्यवस्थायें हमारी सरकार की तरफ से हुईं, ट्रिब्यूनल बनाये गये, अवार्ड दिये गये, उनके डिसप्यूट का फैसला हुआ, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट बैक-आउट कर गये। यह कैसी व्यवस्था है? कानून में उसे बैक-आउट करने का रास्ता खुला हुआ है। होना यह चाहिये था कि जब डिसप्यूट एक बार तय हो गया जो उस अवार्ड के पीछे जुडिशल कोर्ट के फैसले की तरह सैंक्टिटी होनी चाहिये। लेकिन हमारे कानून में एक चोर रास्ता रखा हुआ है जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर भाग जाता है और पकड़ में नहीं आता है।

श्री बनारसीदास---

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं उसका इस बिल से कोई वास्ता नहीं है। वह अलग चीज है। इससे सदन का अनावश्यक समय नष्ट होता है।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

मैंने बिल के ऊपर एक सरसरी व्यू जरूर दिया है परन्तु मैं जानता हूं कि मैं अपने अधिकार को इस्तेमाल कर रहा हूं और बिल की परिधि के अन्दर ही बोल रहा हूं। हम वकील हैं और वकील लोग कभी भी इर्रिलिवेंट बात नहीं कर सकते हैं।

मैं चाहता हूं कि जो खामियां आज की व्यवस्था में हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिये। ये तो टिट-बिट्स यानी छोटे टुकड़े हैं। आप असली व्यवस्था कीजिये जिसके ऊपर मजदूरों की रोजी-रोटी डिपेंड करती है। अगर कोई डिसीशन नहीं मानता है तो उसे हथकड़ी और जेल होना अनिवार्य होना चाहिये।

यूसुफ साहेब जो बात कह रहे थे उसमें बहुत कुछ तथ्य है। उस बयान पर मैं उन्हें जोरदार शब्दों में सपोर्ट करता हूं। मजदूरों की जो टूटी-फूटी मजदूरी रह जाती है उसे फौरन उस व्यक्ति के घर पहुंचाना चाहिये। अगर हमारी सरकार यह नहीं कर सकती है तो वह क्या दावा रखती है जनता से वोट लेने का? वह सरकार वोट की अधिकारी नहीं है जो किसी की रोजी-रोटी को प्रश्रय नहीं दे सकती है। वह सरकार कमजोर से कमजोर है। बहुत से लोग समझते हैं कि खुदा ने उन्हीं को पैदा किया है कि वे जनता की भलाई को समझ सकें और उसके लिय व्यवस्था कर सकें। यह किसी की मनोपाली नहीं है। जिन्होंने इन्साफ को पढ़ा है और जिन्होंने दुनिया के इतिहास और उसके विकास को देखा है वे इस बात को महसूस करते हैं कि दुनिया की सभ्यता और संस्कृति के बड़े बड़े तत्वों के साथ हमारे मुल्क को आगे बढ़ना चाहिये। अगर हमारे पास रोशनी न हो तो आज दूसरे से प्रकाश खरीदा जाता है, उसे उधार लिया जाता है। लेकिन जिसके पास दिमागी ताकत नहीं है वह दूसरे के प्रकाश से अपना विकास नहीं कर सकता। आज आप वकीलों और जजों के पास जाकर उसकी दिमागी ताकत को खरीदते हैं। यह दिमागी कमजोरी की बात है जिसको हम दूर करने का प्रयास नहीं करते या जब हम किसी काम को सही तरीके से नहीं समझते तो.....

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया विषय पर ही बोलें।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

सरकार गरीबों को कोट पहनाना चाहती है और उनकी हजामत बना कर उन्हें खूबसूरत बनाना चाहती है, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि आप उन्हें ठीक से खाने को दीजिये।

श्री अधिष्ठाता---

आप इसी विषय पर सीमित होकर बोलें, इधर उधर की बात न कीजिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

अब मैं असली मसले पर आता हूं। इन्सान को खूबसरत बनाने के बजाय आप उसके खाने की व्यवस्था कीजिये, उसके रहने की ठीक से व्यवस्था कीजिये, हजामत बना कर जापानी रेडीमेड बुशशर्ट पहनाने से उसके शरीर में ताकत नहीं आयेगी और न उसके दिमागी ताकत में वृद्धि होगी। जो विधेयक आपलाये हैं उसका तो मैं स्वागत करता ही हूं और उसका आदर व सम्मान करता हूं, लेकिन इसमें जो कमियां रह गयी हैं उन पर नजर कर लें और दूसरों से प्रकाश लेकर उसे नोट करने की कृपा करें। ऐसी कमियों को दूर करना आपका फर्ज है और यह आपका सौभाग्य है अगर आपके हाथों से गरीबों की अच्छी व्यवस्था हो जाती है। और इसके लिये यू शुड थैंक टु योर स्टार्स। किसी मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिये कि वह हमेशा ही इस सदन में बैठा रहेगा। यह तो चन्द दिन की बात है, कभी कोई उठता है तो कोई गिरता है, कभी किसी के हाथ में ताकत होती है तो कभी किसी के हाथ में होती है। अब्राहम लिंकन, जिसने दुनिया से गुलामी को उखाड़ फेंकने का सन्देश दिया, आज भी कोई अमेरिका जाने पर वहां लैंड करते ही अब्राहम लिंकन की स्टेचु देखता है जिसके हाथ में टार्च है जिससे वह दुनिया को प्रकाश देने की भावना को व्यक्त करता है और आज भी अमेरिका तथा दुनिया के लोग उसके प्रति कृतज्ञ हैं कि उसने दुनिया के लिये एक प्रकाश दिया। इसी तरह से माननीय बनारसी दास जी को भी एक अच्छा मौका मिला है, जिससे वे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन वे तो दूसरों से प्रकाश लेने की बात कहने पर नाराज हो जाते हैं। अगर जिन्दा रहना है और मुल्क की ताकत को आगे बढ़ाना है तो आपको कुछ ऐसे ही काम करने चाहिये जिससे कि मुल्क आगे बढ़ सके।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसके उद्देश्य और कारण से हमारी पूर्ण सहमति है। मैं ऐसा मानता हूं कि मजदूरों के कल्याण के लिये एक कदम इस प्रस्तुत विधयक द्वारा सरकार उठाना चाहती है। मुझे शिकायत इस बात की है कि सन् ५६ में सरकार ने अहसास किया कि मजदूरों के लाभ के लिये इस प्रकार का एक अधिनियम बनाना चाहिये। इस आदरणीय सदन में अधिनियम बना भी लेकिन सरकार ने उसे लागू नहीं किया। मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश को सरकार में जो अक्षमता है, जो अकर्मण्यता है वह इस बात की द्योतक है कि इस अधिनियम को इस प्रदेश में लागू नहीं किया गया। मैं मानता हूं कि बम्बई के इस प्रकार के कानून के संबंध में न्यायालय में विवाद खड़ा किया गया। क्या यह उचित नहीं होता कि जो कानूनी पहलू थे विवाद से संबंधित उन पहलुओं पर जो हमारा ला डिपार्टमेंट है उससे या जो हमारे देश या प्रदेश के इस क्षेत्र में मान्य व्यक्ति हैं उनको राय लेकर के कि क्या सही सही होना चाहिये, हम अपने ५६ क अधिनियम में संशोधन कर लिये होते और उस अधिनियम से हमारा मजदूर समाज लाभान्वित होता। लेकिन इस सरकार ने एक मामले की आड़ लेकर इस अधिनियम को अपने प्रदेश में लागू नहीं होने दिया। मुझे शुबहा है कि यह जो १९६५ का विधेयक है शायद स्वीकृत होने और अधिनियम बनने के बाद यह भी लागू न हो और शायद कोई दूसरा श्रम मंत्री आये, वह नये रूप में इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के एक दूसरा विधेयक इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत करे तो मैं यह अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहता हूं कि मजदूरों के प्रश्न की इस सरकार ने उपेक्षा की है।

जहां तक श्रम कल्याण निधि स्थापित करने का प्रश्न है मैं इस श्रमिकों के हित में मानता हूं लेकिन मैं यह समझ नहीं पाता कि इसकी आय के स्रोत बहुत ही सीमित हैं। एक तो श्रमिकों का पैसा इसमें जाता है उनके सदुपयोग की एक सुन्दर व्यवस्था इस विधेयक के द्वारा की गई है। लेकिन क्या यह उचित नहीं है कि जितना धन इस प्रकार का मजदूरों का आता है इस निधि

[श्री मैनेजरसिंह]

में उतना ही धन मालिकों से भी लेने की व्यवस्था इसमें होती और उतना ही धन राजकोष से भी इसमें दिया जाता ताकि एक अच्छी धनराशि मजदूरों के कल्याण पर खर्च की जाती। यह मैंने खेद के साथ देखा कि धारा ७ (३) में धन के उपयोग की व्यवस्था है। उसमें यह भी है कि इस निधि से मिल मालिकों को जो यह अनुदान दिया जायगा वह इसलिये दिया जायगा कि श्रमिकों के कल्याण के लिये जो योजना वह चलायेंगे उसमें इसका उपयोग कर सकेंगे।

(इस समय २ बजकर ५९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

मैं ऐसा समझता हूं कि इससे इस पैसे की ओर इस विधेयक की जो मंशा है उसका हनन हुआ है इस सेक्शन ७ (३) से और मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि यह जो असंगतियां हैं या जो इसके उद्देश्यों के विपरीत धारायें इसमें निहित हैं उनका परिभार्जन हो सके। मैं इसका सख्त विरोध करना चाहता हूं। इस प्रकार की व्यवस्था इस विधेयक में नहीं होनी चाहिये। पैसा मालिकों के पास से इस निधि में वापस लेते हैं और फिर घुमा फिरा कर चोरदरवाजे से उस पैसे को उन्हीं मालिकों के पास पहुंचाना चाहते हैं। मालिक एक योजना बनायेंगे श्रमिकों के नाम पर अपनी क्रीड़ा के लिये कोई भवन खड़ा करेंगे और कहेंगे कि यह मजदूरों के कल्याण की योजना है, और उसमें उस पैसे को लगायेंगे। ऐसी व्यवस्था इस विधेयक में नहीं होना चाहिये। मैं नम्रता के साथ माननीय सहकारिता मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था को आप समाप्त करें। सरकार यदि कोई योजना चलाती है श्रमिकों के लाभ के लिये तो इसके लिये इस निधि से पैसा लें तो मुझे कोई विरोध नहीं है। लेकिन हरगिज मालिकों को कैसा भी अनुदान दें। इस निधि से न मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक के क्षेत्र को आपने सीमित किया है। यह विधेयक पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो राजकीय संस्थान कारखाने में हैं उनमें यह लागू नहीं होगा। सरकारी कारखानों में यदि पैसा किसी मजदूर का अदेय रह गया, उस पैसे का क्या होगा? क्यों नहीं उस पैसे को श्रमनिधि में जाने देते? इसमें क्या आपत्ति है? और इस प्रकार का भेद आप क्यों करत हैं? इस प्रकार का यदि भेद करते हैं तो मिल मालिक कहेंगे कि यह विधेयक सम दृष्टि से नहीं बनाया गया है। हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय में फिर मुकदमा इस पर दाखिल हो कि एक कानून आपने बनाया, उसमें राजकीय कारखानों को क्यों अपवाद में छोड़ दिया? वहां जो अदेय पैसा है, उसका क्या होगा? यह एक बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी और एक भ्रम पैदा होगा, सरकार की नियत पर भी लोगों को शुबहा होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक की परिधि के अन्दर सरकारी कारखानों को भी लाना चाहिये।

परिषद् के गठन के संबंध में भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मालिकों और मजदूरों के जो समान सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था है, वह उचित नहीं है। मालिकों की संख्या यदि १ होना चाहिये, तो मजदूरों के प्रतिनिधियों की संख्या ३ होनी चाहिये, कम से कम १ और ३ का अनुपात होना चाहिये। मैं इस बात को भी नहीं मानता कि जो मजदूर संघ हैं, उनके प्रतिनिधि रख दिये जायं, मैं उनके प्रतिनिधि रखने के खिलाफ हूं। जहां मिल मालिक शोषण करता है तो कुछ शोषण हमारे मजदूर नेता भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय यूसुफ साहब जो मजदूर लीडर हैं, उन्होंने इस सदन में कहा था कि यदि आप पद्म श्री वगैरह की उपाधि दें, तो पूंजीपतियों से पैसा दिलवा देंजो हमारी राष्ट्रीय उपाधियां हैं, जिनपर हमें गर्व होना चाहिये, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया और कहा कि पूंजीपतियों से पैसा मिलेगा। उन्होंने इसी सदन में कहा कि मैं दिलवाऊंगा पूंजीपतियों से। मजदूरों के हक के लिये लड़ने वाले नेता मजदूरों का शोषण करने वाले मिल मालिकों पर आज भी हान्वी हैं। वे इतना साधिकार कह सकते हैं कि मिल मालिकों से सरकार को पैसा दिला देंगे। यह कठोर सत्य है कि जो मजदूर नेता लोग हैं, वे भी कम

शोषण नहीं करते हैं मजदूरों का मैं एक बात आचार्य कृपालानी जी की कहना चाहता हूं, जो उन्होंने मजाक में कही थी, एक अवसर पर। जब के० एम० पी० पी० का स्थापना सम्मेलन पटना में था, वहां हमारे प्रदेश के कई मजदूर नेता उनके यहां आये और उन्होंने कहा दादाजी चल कर हिन्दुस्तान के जो हमारे मजदूर क्षेत्रों में जो साथी काम करते हैं, उसकी एक अलग बैठक है, उसको संबोधित कीजिये। उन्होंने मजाक में हंसते हुए कहा कि भाई मैं उसको सम्बोधित नहीं करूंगा। तुम लोग भी मजदूरों का बहुत शोषण करते हो। एक हमारे कानपुर के पुराने मजदूर नेता ने कहा कि दादा क्या मैं भी शोषक हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक मजदूर नेता जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह शोषण करते हैं। उससे कम हमारा नहीं है। मजदूर नेता जो के० एम० पी० पी० में हैं, वे कुछ कम करते हैं किन्तु शोषण कम अधिक तुम सब मजदूरों का करते हो। यह कठोर सत्य है। और मैं यह भी नहीं चाहता कि ऐसी परिषद् में माननीय यूसुफ साहब या राजाराम शास्त्री बैठें या किसी पक्ष का कोई और बैठे। आप इस तरह की व्यवस्था दीजिये कि स्वयं मजदूर कोई बैठे इस परिषद् में।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

यही मालिक भी कहता है कि मजदूर बैठें।

श्री मैनेजरसिंह--

इसमें आपको क्या आपत्ति है? अगर वह चाहता है तो आप क्यों खामखाह उसमें टांग अड़ाना चाहते हैं?

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

जब एम० एल० ए० खरीदे जा सकते हैं, तो मजदूर तो बेचारा गरीब है, उसको अपनी नौकरी का डर है, इसलिये वह मालिका का सामना नहीं कर सकता।

श्री मैनेजरसिंह--

मैं इस बात को मानता हूं कि एम० एल० ए० खरीदे जा सकते हैं लेकिन मजदूर नहीं खरीदे जा सकते। आज इसी प्रकार की चर्चाएं होती हैं कि विधायकों के वोट रुपये पर लिये जाते हैं, लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र से बड़ी कौंसिलके लिए जो चुनाव हुआ था। हमारी कांग्रेस से एक दहारीराम धोबी खड़ा किया गया और चुपचाप उसको तोड़ने की लाख साजिशें अंग्रेजी हुकूमत के बड़े-बड़े अफसरों ने की लेकिन वह हिला नहीं और आज के जो प्रगतिशील कहे जाने वाले विधायक हिलते हैं, तो आप हिल सकते हैं। आपको मिल मालिक मिला सकता है, लेकिन मजदूर को नहीं मिला सकता है।

परिषद् के गठन के बारे में मेरा कहना है कि मनोनयन न हो और अगर हो भी तो मजदूर ही रहे। न कोई सरकार का एजेन्ट हो, न मजदूर संघ का नेता हो जो मिल मालिकों से मिल करके मजदूर का शोषण करता है। मैं नहीं समझता कि माननीय यूसुफ साहब को क्यों बुरा लग रहा है। क्या चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहावत के अनुसार वह अपने को उस श्रेणी में समझते हैं?

अध्यक्ष की जहां व्यवस्था है, उसमें मुझे यह कहना है कि अयोग्यता का जो आधार है, उसमें सदस्य के लिये तो प्राविधान है, लेकिन अध्यक्ष के लिये नहीं है। मान लीजिये वहां कोई अधिकारी ही अध्यक्ष हो जाय और वह अधिकारी कहीं पागल हो जाय, तब क्या करेंगे? नौकरी से तो हटाएंगे नहीं। आप आगरा भेज देंगे तो दस दिन तक तो पागल रहेगा, तो उस पागलपन की हालत में क्या वह अध्यक्ष रहेगा? इसलिये मैं चाहता हूं कि अयोग्यता का जो आधार है, वे समान रूप से सदस्य और अध्यक्ष पर लागू होना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदस्यों में आपने एक स्वतंत्र महिला सदस्य के मनोनयन की बात कही। स्वतंत्र किसको मानते हैं मैं नहीं समझता। सरकार की कोई व्याख्या है? स्वतंत्र महिला कौन है? जो घर

[श्री मैनेजरसिंह]

द्वार और परिवार से मुक्त हो। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या उसकी व्याख्या है, इसको मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया। मैं चाहता हूं कि उसको आप न रखें तो अच्छा है, महिलायें भी मजदूरों का काम करती हैं वह आ जायेंगी। इसलिये इसमें स्वतन्त्र महिला सदस्य की कोई संगति नहीं मालूम पड़ती इसको भी आप ठीक करा दें।

अन्त में मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस बिल के उद्देश्य और कारणों से हमारी सहमति है और मैं फिर दोहराऊंगा कि श्रमिकों के कल्याण के लिये इस निधि की स्थापना हो रही है। इस बिल की मैं सराहना करता हूं और अपेक्षा करूंगा कि सरकार ऐक्ट बनने के बाद इसे फौरन लागू करेगी और श्रमिकों का पैसा जो आयेगा और जो राज्य कोष और श्रमिकों का पैसा होगा उस सब की निधि को विकसित करेंगी और इसका फैलाव हो सकेगा। कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में भी माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिये। वहां अगर आप सरकारी अफसरों की फौज इकट्ठा कर देंगे तो बहुत पैसा वेतन भत्ते में चला जायगा इसलिये जहां तक हो आप ऐसे उपाय करें कि जो मौजूदा श्रम विभाग के लोग हैं, उन्हीं अधिकारियों के सहयोग से उन को अधिक काम देकर इस काम को करा लें। इस से पैसा बचेगा और श्रमिकों के लाभ में अधिक सहायक होगा।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है वह एक अच्छा बिल है और इस से सूबे के मजदूरों का लाभ होगा। इसी वास्ते मैं इस का स्वागत करता हूं और मंत्री जी को भी बधाई देता हूं। देर आयद दुरुस्त आयद। उन्होंने इस बिल को लाकर यह व्यवस्था करने की कोशिश की है लेकिन इस में जो व्यवस्था पहले सन् ५६ के ऐक्ट में थी वह आज तक लागू नहीं हुई। इस के (१) (३) उपधारा में लिखा है कि जब से सरकार चाहेगी तब से यह लागू होगा। यह इस में नहीं रहना चाहिये। होना यह चाहिये कि जैसे ही यहां पास होने के बाद गवर्नर की स्वीकृति हो जाय यह लागू कर दिया जाय या सन् ५६ सही लागू समझा जायगा। जब सन् ५६ में यह कानून आ चुका जिस से प्रदेश के मजदूरों के लाभ की संभावना थी तो उसी समय से यह लागू होना चाहिये। तो इस तरह से जिन मजदूरों का लाभ पहुंचता उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिये।

दस्तखत की बात फौरन लागू की जाय वर्ना यह कठिनाई और बढ़ जायगी और मजदूरों की हानि होगी। मैं क्षेत्राधिकार वाली बात का भी उल्लेख कर दूं जबकि आज यह बिल मजदूरों के कल्याण के लिये आया है तो केवल यह थोड़े ही कारखानों या मिलों में लागू हो यह काफी नहीं है। इस तरह का काम करने वाले सूबे के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, दो तीन और विभागों के जैसे रोडवेज के कारखाने के और ड्राइवर व कन्डक्टर आदि हैं, पी० डब्ल्यू० डी० के और कैसा के वर्क चार्ज्ड लोग हैं उनको भी इस तरह की सुविधा मिलना चाहिये क्योंकि उनके लिये अन्य कहीं व्यवस्था नहीं है, वह होती तो कोई बात नहीं थी लेकिन वह नहीं है इसलिये इस बिल का क्षेत्राधिकार बढ़ाते हुये इस में असरकारी के अलावा सरकारी संस्थाओं को भी मिला लेना चाहिये। श्रमनिधि की व्यवस्थायें ठीक हैं और जो अनपेड पैसा पड़ा हुआ है, जो जुर्माना दिये जायेंगे और जो सरकार द्वारा अनुदान दिया जायगा, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये। अभी तक यह देखने में आया है कि नाराजी के कारण काम करने के पश्चात् भी हमारे वर्कर्स को एबसेन्टी मार्क कर दिया जाता है। उनके ड्यूज जो एबसैन्ट ड्यूज हैं, उनको भी इसमें शामिल कर दिया जाना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है । क्या आज सदन का कार्य यों ही चलेगा ?

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई । )

श्री रक्षपालसिंह--

श्रीमन् मैं कह रहा था कि श्रम निधि बढ़ाने के लिये कौन-कौन सी बातों को इन्क्लूड करना चाहिये । मेरा सुझाव यह है कि जो समय-समय पर प्रदेश में एवार्ड हुये हैं जैसे सम्पूर्णानन्द एवार्ड, उसके अन्दर ऐसी व्यवस्था हो कि अगर मजदूर अगुवाई करेगा और मजदूरों को जो लाभ होने वाला है इसी बोर्ड की एक कमेटी बनायी जाय जो सारे का सारा पैसा मिल मालिक से लेकर मजदूरों के क्षेत्र में ट्रान्स्फर किया हुआ समझा जाय, इसकी व्यवस्था की जाय। यह नहीं होना चाहिये कि मजदूर प्रार्थना करें तो उस पर विचार किया जायगा और तब वह पैसा रखा जायगा । इसी प्रकार से जो एवार्ड दिये गये हैं, जो कमेटियों की सिफारिशें हुई हैं उनके आधार पर मजदूर को मिलने वाला जितना धन है वह ट्रान्स्फर होकर श्रमिक कल्याण निधि में आ जाय, इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिये ।

बोर्ड के गठन के बारे में यह व्यवस्था की गयी है कि मजदूरों और मालिकों के बराबर बराबर मेम्बर होंगे । वह बोर्ड ऐसा होगा जो सारी फंक्शनिंग करेगा, अनपेड ड्यूज के बारे में निर्णय करेगा । बड़ा आदमी छोटे को खरीद लेता है इसके आधार पर मजदूरों के हित में बोर्ड फंक्शन नहीं कर सकेगा । इसलिये मेरा सुझाव है कि मजदूरों के प्रतिनिधि अधिक होने चाहिये और मालिकों के प्रतिनिधि कम होने चाहिये । हमारे प्रदेश में जितने मजदूर फेडरेशन हैं उनके प्रतिनिधि भी बोर्ड में होने चाहिये क्योंकि वे प्रादेशिक संगठन हैं और वे प्रदेश के मजदूरों के बारे में, उनकी अच्छाई तथा बुराई के बारे में सोच सकते हैं ।

सरकार की पिछली नीति यह रही है कि कानून बना, लेकिन लागू नहीं किया । यह कानून लागू भी किया गया तो सारे के सारे अधिकार बोर्ड में निहित होंगे लेकिन बोर्ड के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वह २ अथवा ३ महीने के बाद मीटिंग करे और इस प्रकार बोर्ड ने अगर ५ साल तक कोई कार्यवाही नहीं की तो कुछ फायदा मजदूरों को नहीं होगा । इसलिये साफ साफ इसमें व्यवस्था होनी चाहिये कि बोर्ड साल में ३ अथवा ४ दफा मीटिंग करेगा और उसके बैठने की तिथि भी इसमें निश्चित कर देनी चाहिये । एक कार्यालय भी इस बोर्ड का होना चाहिये । इसके अलावा एक बोर्ड की सब-कमेटी हो जो अनपेड ड्यूज को तय करे क्योंकि अनपेड ड्यूज को बोर्ड में कौन तय करेगा, कैसे तय करेगा इसके बारे में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है । इस सब-कमेटी में श्रम कल्याण आयुक्त के अलावा अन्य सदस्य भी हों जो अनपेड ड्यूज के बारे में निर्णय करेगी ।

श्रमिक क्षेत्रों में बहुधा यह देखा गया है कि कानून बन जाने के बाद वे प्रभावी नहीं होते हैं क्योंकि मिल मालिक उनका पालन नहीं करते हैं । इसलिये इसमें पेनाल्टी का क्लाज भी जोड़ दिया जाय कि जो भी व्यक्ति इस कानून के अन्तर्गत बने हुये नियमों का पालन नहीं करेगा उसको निश्चित रूप से ६ महीने की सजा अथवा १ हजार रुपये जुर्माने का दंड दिया जायगा ।

इस कानून के अन्तर्गत जो बोर्ड गठित किया गया है उसे सरकार सहायता देगी और लाखों करोड़ों रुपये का धन उसके पास रहेगा । उसकी सालाना रिपोर्ट गजट में प्रकाशित होगी यह पर्याप्त नहीं है । जब यह विधान सभा उस बोर्ड को धन देने वाली है तो उस बोर्ड के हिसाब-किताब और खर्च को देखने का अधिकार विधान सभा को होना चाहिये और मेरी यह मांग है कि यह व्यवस्था होनी चाहिये कि बोर्ड का हिसाब-किताब विधान मंडल के दोनों सदनों के सामने रखा जायगा ताकि दोनों सदन उस पर चर्चा कर सकें और यह देख सकें कि क्या बोर्ड ने किया और क्या नहीं किया । तो इस तरह से श्रीमन्, जो थोड़ी सी खामियां हैं, जिनका उल्लेख मैंने किया

[श्री रक्षपाल सिंह]

तथा और भी बातें हो सकती हैं जो कि श्रीमन्, हम बैठकर तय कर सकते हैं, तो इसके लिये आवश्यक है कि इस विधेयक को चाहे थोड़े समय के लिये ही सही, प्रवर समिति में भेज दिया जाये, जिससे कि जो मजदूरों के कल्याण का विधेयक है, उसकी खामियों को दूर किया जा सके । इसलिये मैं इसको प्रवर समिति में भेजने का समर्थन करता हूं ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, उसकी वास्तव में बहुत दिनों से मजदूरों की ओर से मांग थी कि इस तरह का फण्ड स्थापित किया जाये जो कि मजदूरों के हित में खर्च हो सके और जो सही तरीके से हमारी पार्टी का सिद्धान्त है कि समाजवादी ढंग से समाज की रचना हो और सही ढंग से मजदूरों की सेवा की जाये, उस भावना के भी यह विधेयक पूरी तरह अनुकूल है । श्रीमन्, मैं इस विधेयक के ब्यौरे में अधिक न जाकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम १९५३ में बाम्बे लेबर वेलफेयर ऐक्ट आया और उसको लेकर उसकी कुछ धाराओं के ऊपर उच्चतम न्यायालय में रिट वगैरह हुई, जिसके परिणामस्वरूप १९६१ में पुनः यह ऐक्ट नये रूप में आया । हमारे यहां भी १९५५-५६ में एक लेबर वेलफेयर ऐक्ट आया, तो १९५५-५६ में यह महसूस किया गया कि अपने यहां भी एक ऐसा वेलफेयर विधेयक लाया जाये । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस समय जो विधेयक लाया गया वह भी कार्यान्वित नहीं हो सका और निरस्त हो गया । किन्तु उस समय जो विधेयक लाया गया और इस समय जो विधेयक सदन में लाया गया है, उन दोनो में काफी अन्तर है । यदि दोनों को देखा जायेगा तो इतना अन्तर जरूर मिलेगा कि उसमें दो तरह की कार्य पद्धति अपनायी गयी थी, एक परिषद् की एक्जीक्यूटिव कमेटी और दूसरा एडवाइजरी बोर्ड, लेकिन श्रीमन्, इसमें परिषद् को ही पूर्ण रूप से शक्ति प्रदान की गयी है, उसके लिये कोई एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना नहीं की गयी है । यह इस बोर्ड में एक तरीके से अच्छाई की गयी है, जिसका मैं समझता हूं इधर और उधर के बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों को स्वागत करना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे मुल्क में ही नहीं, दुनिया के जितने समाजवादी मुल्क हैं, उन सब में मजदूरों के लाभ और हित के लिये ऐसे कोष और निधि स्थापित किये हैं । चाहे इंगलैंड हो, चाहे चीन का मुल्क हो जो अफीमचियों का मुल्क है वहां भी मजदूरों के लिये ऐसी कल्याणकारी योजनायें हैं । चीन में १९४९ के बाद ऐसी नीति अपनायी गयी है कि ऐसे निधि स्थापित होने चाहिये तथा मजदूरों को अवश्य कुछ समय खाली मिलना चाहिये, जिसमें वह रिक्रेएशन कर सकें, अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकें और कुछ समय तक अपने शरीर की शिथिलता को दूर कर सकें । उन्होंने इसके लिये बड़े-बड़े स्थान नियुक्त किये हैं । हमारे प्रान्त में जब इस तरह का विधेयक आया तो मैं चाहता था कि इसका पूर्ण रूप से स्वागत किया जाता । मैं तो श्रीमन्, कई मजदूर यूनियनों का नुमाइन्दा हूं और मैं जानता हूं कि इसका कितना अधिक स्वागत मजदूरों के बीच में किया जा रहा है और किया जायगा ।

इस विधेयक में, श्रीमन्, जो खामियां हैं उनकी तरफ में माननीय मंत्री जी का ध्यान अवश्य आकर्षित करना चाहता हूं । जहां तक खामियों का सम्बन्ध है, इस विधेयक में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं किया गया है पिनाल्टी के बारे में । कहा गया है कि अगर कोई परिषद् का सदस्य मौजूद न हो तब भी परिषद् की मीटिंग में भाग लेने वालों द्वारा कोई प्रास्ताव पास हो, तो भी उस मीटिंग को वैध माना जायगा । मैं समझता हूं कि इस तरह की बातों का निराकरण होना आवश्यक है । इसी प्रकार से इस तरह का भी प्राविधान किया गया है कहीं पर कि अगर कोई अवैध और गलत काम हो गया हो और वह गुड फेथ में हो तो उसे "गुड फेथ" में करने के बाद उसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकालना चाहिये और उसे स्वीकार करना चाहिये । इसकी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि इसमें शंकायें पैदा हो सकती हैं । लोगों के अन्दर विभिन्न प्रकार के विचार पैदा हो सकते हैं, धन के दुरुपयोग होने की बहुत से लोग शिकायत कर सकते हैं । इसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये ।

श्री कमलासिंह यादव--

कोरम तो है नहीं । श्रीमन्, न हो इस वक्त सदन को स्थगित कर दें ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

आज तो वोटिंग से लोगों को फुर्सत नहीं है । कमेटी में ज्यादा लालच होता है बजाय कायदे-कानून बनाने के । इसलिये आज उठिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं इसमें तो अपोजिशन का ही नुकसान हो जायगा । बहरहाल कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

इसमें दोनों का ही फायदा है । अपोजिशन को भी मौका मिलेगा । अपोजिशन का भी फर्ज है कि कोरम पूरा रखे । गवर्नमेंट साइड का ही फर्ज नहीं है कि कोरम पूरा रखे । अगर अब की बार कोरम पूरा नहीं होगा और जल्दी लोग चले गये तो फिर मैं सदन को एडजर्न कर दूंगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, हम लोग चाहते हैं कि नियम के मुताबिक काम हो । अगर नियम के मुताबिक काम नहीं हो सकता है तो इसको स्थगित कर दिया जाय ।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय--

श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां एक तरफ इस विधेयक में बहुत-सी अच्छी बातें कही गई हैं, श्रम कल्याण की बातें कही गई हैं, वहां पर इसमें कुछ कमियां हैं जिनकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये । मैं यह बता रहा था कि जहां तक परिषद् की मीटिंग का सम्बन्ध है उसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं । उसमें मौलिक बातें यह हैं कि यदि मीटिंग में कोई ऐसी बातें हो जायं कि कोई सदस्य हाजिर न हो या कोई विशेष बात हो जाय तो उस समय जो प्रस्ताव होगा उस प्रस्ताव को मान लिया जायगा । यह भी है कि कोई बात गुड फेथ में कही गई है और उसको यह समझा गया है कि वह बात गुड फेथ में कही गई, तो उसको भी मान लिया जायगा । यह स्थिति है । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये यह शंका उत्पन्न हो सकती है । जब शंका उत्पन्न हो सकती है तो जब इसके ऊपर क्लाज वाइज डिस्कशन होगा तो मैं बताऊंगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, इस समय सदन में कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजते रहने पर)

(खाद्य मन्त्री के सभा सचिव) श्री हरीदत्त काण्डपाल--

श्रीमन्, चूंकि आज हाउस की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा है इसलिये वहां पर मेम्बर अपना मत दे रहे हैं । मेरी प्रार्थना है कि आज के लिये कोरम की कंडीशन को वेव कर दिया जाय ।

श्री कमलासिंह यादव--

कोई प्रश्न इस समय उपस्थित नहीं किया जा सकता ।

श्री रक्षपालसिंह--

इसको पास करने के लिये भी तो कोरम चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

एक बार और ट्राई कर लें ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई । )

श्री उपाध्यक्ष---

कोरम हो गया है, आप भाषण जारी रखें, लेकिन अब कम नहीं होना चाहिये ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह स्थिति है और विरोधी दल दिलचस्पी नहीं ले रहा है, वे बैठेंगे नहीं.....

श्री उपाध्यक्ष---

मैं वार्न करता हूं कि यह विधेयक समय के अन्दर ही पास किया जायगा । इसके लिये समय नहीं बढ़ेगा ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---

जब किसी को दिलचस्पी नहीं है और इसको समय में पास ही होना है तो. . . . . .

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, फिर कोरम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि सदन एडजर्न किया जाय ।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन गणपूर्ति के अभाव में ३ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया । )

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२८ अप्रैल, १९६५ ई० ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

# नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तगर्त तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६३ पर]

## सूची नं० १

## ब्लाक भाग्यनगर, जिला इटावा के अन्तर्गत मुर्गी पालन हेतु दिया गया अनुदान

| क्रमांक | व्यक्तियों के नाम | १९६१ | १९६२ | १९६३ | १९६४ | कार्य का उद्देश्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १ | हबीब खां, ग्राम जमुहां .. | — | — | २५०.०० | — | मुर्गी शाला |
| २ | श्री जम्मन खां ,, .. | — | — | २५०.०० | — | ,, |
| ३ | श्री लाला राम, ग्राम न्यामतपुर | — | — | २५०.०० | — | ,, |
| ४ | श्री विजय सिंह, ग्राम बिनपुरापुर | — | — | २५०.०० | — | ,, |
| ५ | श्री कृष्ण मुरारी, ग्राम ककराही .. | — | — | १७.५० | — | मुर्गी खरीद |
| ६ | श्री हबीब खां ,, .. | — | — | १७.५० | — | ,, |
| ७ | श्री झुम्मन खां ,, .. | — | — | १७.५० | — | ,, |
| ८ | श्री शौकत अली ,, .. | — | — | १७.५० | — | ,, |
| ९ | श्री मोहम्मदी ,, .. | — | — | १७.५० | — | ,, |
| १० | श्री नजीर खां ,, .. | — | — | १७.५० | — | ,, |
| ११ | श्री बसंतलाल ,, .. | — | — | १७.५० | — | ,, |
| १२ | श्री अब्दुल्ला ,, .. | — | — | १७.५० | — | ,, |
| १३ | श्री मुहम्मद गनी ,, .. | — | — | १७.५० | — | ,, |
| १४ | श्री बालमुकुन्द ,, .. | — | — | १७.५० | — | ,, |
| १५ | श्री ईद खां ,, .. | — | — | १७.५० | — | ,, |
| १६ | श्री बादशाह ,, .. | — | — | १७.५० | — | ,, |
| १७ | श्री गिरीश कुमार, दयालनगर .. | — | — | २५०.०० | — | मुर्गी शाला |
| १८ | श्री राम सहाय, नब्जीसिंह .. | — | — | २००.०० | — | ,, |
| १९ | श्री बृजलाल, न्यामतपुर बैहारी .. | — | — | २०.०० | — | मुर्गी खरीद |
| २० | श्री राजा राम ,, .. | — | — | २०.०० | — | ,, |
| २१ | श्री बाबू राम ,, .. | — | — | २०.०० | — | ,, |
| २२ | श्री शिव राम ,, .. | — | — | २०.०० | — | ,, |
| २३ | श्री राम सरूप ,, .. | — | — | २०.०० | — | ,, |
| २४ | श्री कुंवर बहादुर ,, .. | — | — | २०.०० | — | ,, |
| २५ | श्री विजय सिंह, बिनपुरापुर .. | — | — | २०.०० | — | ,, |
| २६ | श्री गंधर्व सिंह ,, .. | — | — | २०.०० | — | ,, |
| २७ | श्री बटेश्वर दयाल, अजमतपुर सेहुड़ | — | — | २०.०० | — | ,, |
| २८ | श्री रामाधीन, बैसुन्दरा ,, .. | — | — | — | २०.०० | पोल्टरी फेज |
| २९ | श्री कन्हैयालाल, लखनपुर .. | — | — | — | २०.०० | ,, |
| ३० | श्री हियात अली, सेहुद ,, .. | — | — | — | २०.०० | ,, |
| ३१ | श्री लल्लू प्रसाद अटा ,, .. | — | — | — | २०.०० | ,, |
| ३२ | श्री अब्दुल, बाबा का पुरवा .. | — | — | — | २०.०० | ,, |
| ३३ | श्री भोले राम, कैशनपुर खाम .. | — | — | — | २०.०० | ,, |
| | योग .. | | | २५०—१५९० | १२०.०० | |
| | कुल योग .. | | | १,९६० | | |

## सूची नं० २

### ब्लाक सहार (इटावा) के अन्तर्गत मुर्गी पालन के लिए अनुदान

| क्रमांक | व्यक्तियों के नाम | १९६३ | १९६४ | कार्य का उद्देश्य |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| | सर्वश्री-- | | | |
| १ | --बशीर अहमद, नि० असेनी .. | १२०.०० | -- | मुर्गी बंगला |
| २ | --महेन्द्र प्रताप सिंह, पुत्र अतरल सिंह, नि० सिरपू .. | -- | २५०.०० | ,, |
| ३ | --जय प्रकाश राजपूत, पुरवा मग्गा .. | -- | २३८.०० | ,, |
| ४ | --मोती लाल, नि० बकरहिया .. | ७.५० | -- | उन्नतिशील मुर्गी व्यय। |
| ५ | --बाबूराम, नि० बिरथल पुरवा .. | ७.५० | -- | ,, |
| ६ | --बशीर अहमद, नि० असेनी .. | १२.८४ | -- | ,, |
| ७ | --सुलेमान, नि० खुसरहा .. | ९.७२ | -- | ,, |
| ८ | --मटरू भीखा, सिरसानी .. | २०.०० | -- | ,, |
| ९ | --लाल मोहम्मद, नि० कंचोसी .. | १९.४४ | -- | ,, |
| १० | --छेदी लाल, नि० महराजपुर .. | १०.०० | -- | ,, |
| ११ | --चन्द्र भान सिंह, सिरपू .. | -- | ४०.०० | ,, |
| १२ | --जय प्रकाश, पुरवा मगिया .. | -- | १०.०० | ,, |
| १३ | --महेन्द्र पाल सिंह, सिरपू .. | -- | ५०.०० | ,, |
| १४ | --नवाब सिंह, नवीमोहन .. | -- | ५०.०० | ,, |
| १५ | --दयाराम, पियरोली शिव .. | -- | १०.०० | ,, |
| १६ | --मुहम्मद सिद्दीकी, गोपालपुर .. | -- | १०.०० | ,, |
| १७ | --बशीर अहमद, असेनी .. | -- | २०.०० | ,, |
| १८ | --मलखान, अमो आहार .. | -- | ४०.०० | ,, |
| १९ | --विश्राम सिंह, हरवंशपुर .. | -- | १७.०० | मुर्गी पिंजड़ा |
| २० | --शिवराम सिंह ,, .. | -- | १७.०० | ,, |
| २१ | --दयाराम, पिपरोली शिव .. | -- | १७.०० | ,, |
| २२ | --मोहम्मद सिद्दीकी, गोपालपुर .. | -- | १७.०० | ,, |
| २३ | --बशीर अहमद, असेनी .. | -- | १७.०० | ,, |
| २४ | --राम किशोर तिवारी .. | -- | १७.०० | ,, |
| | योग .. | २०७.०० | ८२०.०० | |

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७५ पर)

जिला बुलन्दशहर के सहकारी बीज गोदामों व उन पर कार्य करने वाले सहकारी पर्यवेक्षकों की सूची ।

| क्रम-संख्या | बीज गोदाम का नाम | खण्ड का नाम | सहकारी पर्यवेक्षकों का नाम | समय |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १—मालगढ़ .. | | बुलन्दशहर | श्री प्रहलाद सिंह त्यागी | १—१०—६३ से ३१—३—६५ |
| २—नैथला (मामन) | | | श्री ओम प्रकाश शर्मा | १—७—६३ से ३१—३—६५ |
| ३—कैलावन .. | | शिकारपुर | श्री जयप्रकाश गुप्ता | १—७—६३ से ३१—३—६५ |
| ४—औरंगाबाद .. | | लखावटी .. | श्री भगवानप्रसाद शर्मा | ३०-१०-६३ से ३१-३-६५ |
| ५—महाराजपुर .. | | | श्री रघुनन्दनप्रसाद शर्मा | १-१०-६४ से ३१-३-६५ |
| ६—मौ .. | | मौ .. | श्री निरंजनदेव शर्मा | १-८-६४ से ३१-३-६५ |
| ७—कुचेसर .. | | | श्री बैजनाथ .. | १-१०-६३ से ३१-३-६५ |
| ८—गुलावठी .. | | गुलावठी .. | श्री हरनारायण शर्मा | १-११-६३ से ३१-३-६५ |
| ९—बराल .. | | | श्री लक्ष्मीचन्द्र शर्मा .. | १-५-६४ से ३१-३-६५ |
| १०—स्याना .. | | स्याना .. | श्री रामेश्वर दयाल त्यागी | १-७-६३ से ३१-३-६५ |
| ११—जहांगीराबाद | | जहांगीराबाद | श्री जयप्रकाश गुप्ता | १-७-६३ से ३१-३-६५ |
| १२—रौरा .. | | | श्री नत्थी लाल चौबे | १-७-६३ से ३१-३-६५ |
| १३—जाडौल .. | | | श्री जसवन्तसिंह त्यागी | १-१-६५ से ३१-३-६५ |
| १४—ऊंचा गांव .. | | ऊंचा गांव | श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा | १-९-६४ से ३१-३-६५ |
| १५—खानपुर .. | | | श्री सीताराम मिश्रा | १-११-६४ से ३१-३-६५ |
| १६—शिकोई .. | | अनुपशहर | श्री लक्ष्मन प्रसाद गौतम | १-७-६३ से ३१-३-६५ |
| १७—बिबियाना .. | | | श्री प्रभुदयाल वर्मा .. | १-१०-६३ से ३१-३ ६५ |
| १८—डिबाई .. | | डिबाई .. | श्री लालाबाबू शर्मा | १-७-६३ से ३१-३-६५ |
| १९—बैलोन .. | | | श्री सुरेशचन्द्र शर्मा .. | १-७-६३ से ३१-३-६५ |
| २०—धर्मपुर .. | | दानपुर .. | श्री रमेशचन्द्र बिशनोई | १-४-६४ से ३१-३-६५ |
| २१—पूठरी कला .. | | | श्री मुरारी सिंह ... | १-७-६३ से ३१-३-६५ |
| २२—चौढेरा .. | | पहासू .. | श्री रामसिंह यादव .. | १-११-६३ से ३१-३-६५ |
| २३—अनिया .. | | अनिया .. | श्री इन्द्रपाल सिंह त्यागी | १-१०-६३ से ३१-३-६५ |
| २४—करौरा .. | | | श्री चतुर गिरि .. | १-३-६५ से ३१-३-६५ |
| २५—मैना मोजपुर .. | | खुर्जा .. | श्री द्विगविजेन्द्र सिंह त्यागी .. | १-७-६३ से ३१-३-६५ |

| क्रम-संख्या | बीज गोदाम का नाम | खण्ड का नाम | सहकारी पर्यवेक्षकों का नाम | समय |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| २६—जहांगीरपुर .. | जेवर .. | | श्री राम प्रकाश त्यागी | १-७-६३ से ३१-३-६५ |
| २७—थौरा .. | | | श्री रविदत्त शर्मा .. | १-१-६५ से ३१-३-६५ |
| २८—रबूपुरा .. | | | श्री महेन्द्रदत्त शर्मा .. | ३१-१०-६४ से ३१-३-६५ |
| २९—बिलसूरी .. | | सिकन्दराबाद | श्री मोहम्मद उमर .. | १-७-६३ से ३१-३-६५ |
| ३०—दादरी .. | | दादरी .. | श्री रतीराम शर्मा .. | १-७-६३ से ३१-३-६५ |
| ३१—जारचा .. | | | श्री महावीर सिंह .. | १-७-६३ से ३१-३-६५ |
| ३२—दनकोर .. | | दनकोर .. | श्री रमेशचन्द्र गर्ग .. | १-७-६३ से ३१-३-६५ |
| ३३—ककोर .. | | | श्री आत्माराम दीक्षित | १४-९-६३ से ३१-३-६५ |
| ३४—सूरजपुर .. | | बिसरख | श्री कैलाशचन्द्र शर्मा | १-१-६४ से ३१-३-६५ |
| ३५—छपरौला .. | | | श्री टीकाराम शर्मा .. | ३१-७-६४ से ३१-३-६५ |
| ३६—बरौला .. | | | श्री चरनसिंह .. | ३१-१-६५ से ३१-३-६५ |

नोट—यह सब लोग अब भी काम कर रहे हैं।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

# नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७९ पर )

## जिला जौनपुर की मंड़ियाहुं से नेवदिया सड़क के निर्माण के व्यय का विवरण

| क्रमांक | नाम अनुदान ग्रहीता | दी गयी धनराशि |
|---|---|---|
| | | रु० |
| १ | श्री महादेव प्रसाद .. .. .. .. | १,५४४ |
| २ | श्री मनीराम दुबे .. .. .. .. | १,२६३ |
| ३ | श्री रामलखन उपाध्याय .. .. .. | १,०८० |
| ४ | श्री रामेश्वर दास .. .. .. .. | १,००० |
| ५ | श्री राम खेलावन .. .. .. .. | १,१०० |
| ६ | श्री दिलेश्वर राज .. .. .. .. | ५२० |
| ७ | श्री राम निहोर .. .. .. .. | १,५८८ |
| ८ | श्री जोशीराम यादव .. .. .. .. | २,३७० |
| ९ | श्री इन्द्रजीत दुबे .. .. .. .. | २,३७० |
| १० | श्री राजबहादुर सिंह .. .. .. .. | २,३४६ |
| ११ | श्री हरिवंश सिंह .. .. .. .. | २,१९१ |
| १२ | श्री कामता प्रसाद .. .. .. .. | १,८२० |
| १३ | श्री राम नरेश यादव .. .. .. .. | ८०० |
| १४ | श्री श्रीनाथ .. .. .. .. | ४८० |
| १५ | श्री वंशराज तिवारी .. .. .. .. | १,६४४ |
| | कुल योग .. | २२,११६ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ तथा ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८९–७९० पर)

| विकास का नाम | विकास खंड के मुख्यालय की स्थिति | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थिति | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कब से स्थापित है | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| १–मछवां .. | मछवां .. | गोपालगंज .. | १-१२-५९ | क्षेत्र समिति के निर्णयानुसार, |
| २–तेलियानी .. | तहसील क्षेत्र क्वार्टर फतेहपुर .. | तेलियानी .. | ५–४–५९ | ,, |
| ३–मिटोरा .. | मिटोरा .. | मिटोरा .. | ७–१०–५७ | ,, |
| ४–हरवा .. | हरवा .. | हरवा .. | २०–१२–६१ | ,, |
| ५–असोधर .. | असोधर .. | असोधर .. | २८–९–६२ | ,, |
| ६–बछआ .. | बछुआ .. | बछआ .. | ६–४–५९ | ,, |
| ७–हवगांव .. | हवगांव .. | हवगांव .. | १–४–५८ | ,, |
| ८–छाता .. | छाता .. | छाता .. | २८–२–५९ | ,, |
| ९–बिजईपुर .. | बिजईपुर .. | बिजईपुर .. | १–६–६० | ,, |

संसद पुस्तकालय

उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण जो विकास खण्डों के मुख्यालयों पर स्थित नहीं है या स्थापित नहीं किए जायेंगे।

| खण्ड का नाम | खण्ड के मुख्यालय की स्थिति | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थिति | खण्ड के मुख्यालय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित न करने का कारण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| १—मलवां | मलवां | गोपालगंज | मलवां विकास खंड में गोपालगंज की स्थिति अपेक्षाकृत केन्द्रीय एवं व्यावहारिक दृष्टि से अधिक सुविधाजनक है। | क्षेत्र समिति के निर्णयानुसार। |
| २—खजुहा | खजुहा | पूरेदान .. | खजुहा विकास खंड की क्षेत्र समिति ने पूरेदान ग्राम सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया क्योंकि वह स्थान केन्द्र के अधिकांश के लिये सुविधाजनक है। इसके अतिरिक्त खजुहा से चार मील दूर बिदकी में जिला परिषद् का एक चिकित्सालय है। जिससे वहां की निकटवर्ती जनता को कोई कठिनाई नहीं होती। | ,, |
| ३-अमोली | अमोली .. | जजमोइयां | अमोली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये जजमोइयां ग्राम में एक पक्का भवन उपलब्ध था। यों, जजमोइया ग्राम के मुख्यालय से केवल डेढ़ मील की दूरी पर है। | ,, |
| ४—तेलियानी | फतेहपुर | तेलियानी | तेलियानी खण्ड का मुख्यालय फतेहपुर है जहां जिला चिकित्सालय स्थित है, अतः यह निश्चित किया गया कि केन्द्र के अन्य सुविधाजनक स्थान पर केन्द्र की स्थापना की जाय। | ,, |

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९१ पर)

---

मूल्यांकन समिति की सिफारिशों की सूची जिन पर कार्यवाही की जा चुकी है।

---

(१) श्रमिकों को नागरिक और सामाजिक शिक्षा देने के लिये प्रयास करना,

(२) श्रम कल्याण केन्द्रों में वितरित किये जाने वाले दूध के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करना कि वह जरूरतमंद तथा सुपात्र व्यक्तियों को मिले और जिस लिये दिया जाय उसी हेतु इस्तेमाल हो। दूध शुद्ध, अच्छा और स्वच्छता से बांटा जाय ;

(३) शारीरिक विकास कार्यक्रमों के सुसंपादनार्थ क्लबों की स्थापना करना तथा श्रमिकों में नेतृत्व भावना का विकास करना ;

(४) स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहन देना ;

(५) पुस्तकालयों में बालकों, स्त्री, पुरुषों के लिये उनकी आवश्यकता और रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की व्यवस्था करना;

(६) परिचालित पुस्तकालय खोलना;

(७) दृश्य-श्रव्य सामग्री द्वारा शिक्षा दिलाने पर अधिक बल देना;

(८) केन्द्रों के रेडियो में लाउड स्पीकरों का लगाया जाना ;

(९) सांस्कृतिक कार्य-क्रम, लोक नृत्य, नाटक, कवि सम्मेलन, मुशायरा, आदि को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करना ;

(१०) बच्चों के लिये कमरे के खेलों की अलग व्यवस्था करना तथा उन्हें आधुनिक खेलों को खिलाने के लिये एक प्रशिक्षित महिला को रखना;

(११) सिलाई कक्षाओं में यथा आवश्यक अधिक सिलाई मशीनों की व्यवस्था करना;

(१२) श्रम कल्याण कार्य सभी औद्योगिक श्रमिकों तथा दूकान कर्मचारियों के लिये बढ़ाया जाना;

(१३) आदर्श केन्द्रों में समय का ऐसा विभाजन करना कि उसके कार्यकलापों में स्त्रियां भाग ले सकें और लाभान्वित हों;

(१४) श्रम कल्याण कार्यकलापों का श्रमिकों की रहन सहन तथा कार्य की दशाओं के अनुरूप होना ;

(१५) श्रम कल्याण केन्द्र भवन में बड़े हाल बनाना;

(१६) केन्द्रों के लिये भवन की व्यवस्था करते समय उसकी स्थिति को अधिक महत्व देना;

(१७) कल्याण कार्य में लगे हुये कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;

(१८) केन्द्रों में स्त्रियों और लड़कियों के लिये गृह अर्थशास्त्र की शिक्षा प्रारम्भ करना;

(१९) केन्द्रों में प्रशिक्षण-एवं उत्पादन कार्यक्रम का श्रीगणेश करना;

(२०) सहकारिता कार्यकलापों को संघटित करना;

(२१) श्रम कल्याण आंकड़ों का एकत्रित किया जाना तथा उनका रख रखाव ;

(२२) राज्य श्रम कल्याण परामर्शदात्री समिति के सदस्यों का पदेन जिला श्रम कल्याण परामर्शदात्री समितियों का सदस्य होना;

(२३) प्रत्येक केन्द्र के लिये एक स्थानीय परामर्शदात्री समिति का निर्माण;

(२४) कारखाना श्रम-कल्याण अधिकारियों का सहयोग कारखाने के अन्दर और बाहर होने वाले श्रम कल्याण कार्यकलापों में समन्वय लाने के लिये प्राप्त करना।

---

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९२ पर)

प्रतिलिपि आडिट नोट, देव सहकारी समिति, हल्दी, जिला बलिया बाबत साल १९६२–६३ दिनांक २९–६–६४

रजिस्ट्री संख्या १२५८, दिनांक ६–१–६१ ।

### भाग–अ

१––सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन वर्ष १९६१–६२ का बस्ते में नहीं पाया गया और न तो उसका अनुपालन ही किया गया है ।

### भाग–ब

२––दिनांक ३०–११–१९६२ तथा २२–१२–१९६२ के बीच में बगैर तारीख का जल्सा किया गया है उस पर जल्से की तिथि अंकित नहीं है ।

३––दिनांक ३०–११–१९६२, २२–१२–१९५२, २७–१–१९६३, ५–२–१९६३ तथा ३०–६–१९६३ को जल्सा किया गया है मगर उस पर तिथि तथा उपस्थिति सुपरवाइजर दूसरी रोशनाई से है तथा जल्सा की कार्यवाही दूसरी रोशनाई से है ।

४––समिति में निम्नलिखित रजिस्टर एकदम सादा पाया गया । आज तक उसमें प्रविष्टी नहीं पाई गई । रजिस्टर पेशगी, रोकड़ वही तथा डेड स्टाक रजिस्टर ।

५––ट्रेडिंग स्टाक रजिस्टर पर वर्ष आडिट में एक भी प्रविष्टी नहीं की गई है ।

६––दिनांक ८–११–१९६३ को पांच नये सदस्य भर्ती किये गये हैं मगर उनकी स्वीकृति कमेटी द्वारा नहीं प्राप्त की गई है ।

७––२०–१–१९६३ के बाद से ट्रेक्टर तथा मशीन आपरेशन रजिस्टर नहीं लिखा गया है ।

८––दैनिक चिट्ठा बाबत मजदूरी तथा किराया ८–२–१९६३ तक बकाया रखा गया है । उस के बाद से नहीं लिखा गया है । उस पर दल नायक सुपरवाइजर व जांच करने वाला आफिसर की दस्तखत नहीं पाई गई है तथा पेशगी आदि का रजिस्टर नहीं भरा गया है ।

९––जिन्सवार, फसल रजिस्टर वर्ष आडिट का नहीं रखा गया है ।

१०––कृषि मशीन तथा हल रजिस्टर अपूर्ण पाया गया ।

११––पशुओं के चारे और दाने आदि का रजिस्टर नवम्बर, ६२ तक लिखा गया है मगर उसका योग नहीं किया गया है तथा गोदाम के अध्यक्ष का हस्ताक्षर नहीं पाया गया ।

१२––८–११–१९६३ से भर्ती किये गये व नये सदस्यों की हैसियत रजिस्टर पर अंकित नहीं है तथा सदस्यों के एकत्रित भूमि रजिस्टर पर भी इसका इन्द्राज नहीं है ।

१३––३०–६–१९६२ की बैलेंसशीट व फेहरिस्त लेन-देन नहीं पाया गया ।

१४––सम्प्रेक्षण वर्ष के आमदनी-खर्च के प्रमाण में एक भी रसीद नहीं पाई गई ।

१५—३०-६-१९६३ को ८९८-८२ तहवील दिखाई गयी है मगर खजांची के हस्ताक्षर नहीं हैं।

१६—३०-६-१९६३ को ५,०००.०० रु० की गेहूं की बिक्री दिखा कर ५,००० वापिसी अमानत श्री वेंकेट राम को देना दिखाया गया है। कैश बुक में वर्ष १९६२-६३ के नक्शा आय-व्यय में इस रकम को नहीं सम्मिलित किया गया है।

१७—३०-६-१९६३ के नक्शा से फिहरिश्त लेन-देन नहीं बनाया गया है अतः वैलेन्सशीट के आंकड़े सही रूप में प्रमाणित नहीं हो सके।

———

संसदीय प्रतिष्ठान सभा

## नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९८ पर)

बाराबंकी जनपद के अल्प सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत १९६४–६५ में वितरित तकावी का विवरण।

| क्रम सं० | योजना का नाम जिसके लिये विकास योजना के अन्तर्गत ऋण दिया गया | धनराशि |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | रु० |
| | **विकास क्षेत्र बाराबंकी** | |
| १ | ट्यूबवेल .. .. .. .. | ६८,८००.०० |
| २ | पम्पिग सेट .. .. .. .. | १३,५००.०० |
| ३ | रहट .. .. .. .. | ६९,९४०.०० |
| ४ | कूप .. .. .. .. | ८०,४५०.०० |
| ५ | बोरिंग .. .. .. .. | ११,८५०.०० |
| | **विकास क्षेत्र मसौली** | |
| १ | ट्यूबवेल .. .. .. .. | ५,०००.०० |
| २ | पम्पिग सेट .. .. .. .. | १०,५००.०० |
| ३ | रहट .. .. .. .. | ३१,६२०.०० |
| ४ | कूप .. .. .. .. | ७२,९३०.०० |
| ५ | बोरिंग .. .. .. .. | ६,९५०.०० |
| | **विकास क्षेत्र देवा** | |
| १ | ट्यूबवेल .. .. .. .. | १०,०००.०० |
| २ | पम्पिग सेट .. .. .. .. | ३,५००.०० |
| ३ | रहट .. .. .. .. | २६,२००.०० |
| ४ | कूप .. .. .. .. | ४५,१५०.०० |
| ५ | बोरिंग .. .. .. .. | २,०५०.०० |
| | **विकास क्षेत्र हरवा** | |
| १ | ट्यूब वेल .. .. .. .. | ३९,१००.०० |
| २ | पम्पिग सेट .. .. .. .. | ३९,७००.०० |
| ३ | रहट .. .. .. .. | २५,७००.०० |
| ४ | कूप .. .. .. .. | ४०,०००.०० |
| ५ | बोरिंग .. .. .. .. | २,८००.०० |
| | **विकास क्षेत्र फतेहपुर** | |
| १ | ट्यूबवेल .. .. .. .. | ५०,००.०० |
| २ | पम्पिग सेट .. .. .. .. | ५,०००.०० |
| ३ | रहट .. .. .. .. | १५,६४०.०० |
| ४ | कूप .. .. .. .. | ३२,९१०.०० |
| ५ | बोरिंग .. .. .. .. | ५,५००.०० |

विधान सभा

| क्रम सं० | योजना का नाम जिसके लिये विकास योजना के अन्तर्गत ऋण दिया गया | धनराशि |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | **विकास क्षेत्र, सूरतगंज** | रु० |
| १ | ट्यूबवेल .. .. .. .. | ४४,४००.०० |
| २ | पम्पिग सेट .. .. .. .. | १२,०००.०० |
| ३ | रहट .. .. .. .. | २८,५५०.०० |
| ४ | कूप .. .. .. .. | ७९,८५०.०० |
| ५ | बोरिंग .. .. .. .. | २२,०००.०० |
| | **विकास क्षेत्र, रामनगर** | |
| १ | ट्यूबवेल .. .. .. .. | २२,५००.०० |
| २ | पम्पिग सेट .. .. .. .. | — |
| ३ | रहट .. .. .. .. | ६,८५०.०० |
| ४ | कूप | ११,०००.०० |
| ५ | बोरिंग .. .. .. .. | ६,५००.०० |
| | **विकास क्षेत्र, निन्यूरा** | |
| १ | ट्यूबवेल .. .. .. .. | — |
| २ | पम्पिग सेट .. .. .. .. | १२,५००.०० |
| ३ | रहट .. .. .. .. | १७,६५०.०० |
| ४ | कूप .. .. .. .. | ३५,३००.०० |
| ५ | बोरिंग .. .. .. .. | २,९००.०० |
| | **विकास क्षेत्र, रुदौली** | |
| १ | ट्यूबवेल .. .. .. .. | ३५,०००.०० |
| २ | पम्पिग सेट .. .. .. .. | ५,०००.०० |
| ३ | रहट .. .. .. .. | २०,८००.०० |
| ४ | कूप .. .. .. .. | १९,७००.०० |
| ५ | बोरिंग .. .. .. .. | ३,५००.०० |
| | **विकास क्षेत्र, पूरे डेलाई** | |
| १ | ट्यूबवेल .. .. .. .. | ६१,५००.०० |
| २ | पम्पिग सेट .. .. .. .. | २,५००.०० |
| ३ | रहट .. .. .. .. | १६,३००.०० |
| ४ | कूप .. .. .. .. | २९,५७५.०० |
| ५ | बोरिंग .. .. .. .. | ६,२२५.०० |
| | **विकास क्षेत्र, मवई** | |
| १ | ट्यूबवेल .. .. . .. | ५,०००.०० |
| २ | पम्पिग सेट .. .. .. .. | ७,५००.०० |
| ३ | रहट .. .. .. .. | २९,१५०.०० |
| ४ | कूप .. .. .. .. | ४५,५००.०० |
| ५ | बोरिंग .. .. .. .. | १३,८५०.०० |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| क्रम-संख्या | योजना का नाम जिसके लिये विकास योजना के अन्तर्गत ऋण दिया गया | धनराशि |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | रु० |
| | **विकास क्षेत्र, दरियाबाद** | |
| १ | ट्यूबवेल .. .. .. .. | १०,३००.०० |
| २ | पम्पिग सेट .. . .. .. | .. |
| ३ | रहट .. .. .. .. | २१,५००.०० |
| ४ | कूप .. .. .. .. | २४,८००.०० |
| ५ | बोरिंग .. .. .. .. | ५,०००.०० |
| | **विकास क्षेत्र, बनीकोडर** | |
| १ | ट्यूबवेल .. .. .. .. | २९,६००.०० |
| २ | पम्पिग सेट .. .. .. .. | ७,४००.०० |
| ३ | रहट .. .. .. .. | ३५,४००.०० |
| ४ | कूप .. .. .. .. | ६२,२९०.०० |
| ५ | बोरिंग .. .. .. .. | ११,९००.०० |
| | **विकास क्षेत्र, हैदरगढ़** | |
| १ | ट्यूबवेल .. .. .. .. | .. |
| २ | पम्पिग सेट .. .. .. .. | २,०००.०० |
| ३ | रहट .. .. .. .. | ३,३००.०० |
| ४ | कूप .. .. .. .. | १२,१००.०० |
| ५ | बोरिंग .. .. .. .. | .. |
| | **विकास क्षेत्र, त्रिवेदीगंज** | |
| १ | ट्यूबवेल .. .. . .. | १०,०००.०० |
| २ | पम्पिग सेट .. .. .. .. | ५,०००.०० |
| ३ | रहट .. .. .. .. | १९,७५०.०० |
| ४ | कूप .. .. .. .. | १७,८००.००० |
| ५ | बोरिंग .. .. .. .. | २,५००.०० |
| | **विकास क्षेत्र, सिद्धौर** | |
| १ | ट्यूबवेल .. .. .. | १२,५००.०० |
| २ | पम्पिग सेट .. .. .. .. | २६,०००.०० |
| ३ | रहट .. .. .. .. | ६,२००.०० |
| ४ | कूप .. .. .. .. | ६,४००.०० |
| ५ | बोरिंग .. .. .. .. | ५००.०० |

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४९ एल० ए०—१९६५—८६२ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश